सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

मध्य प्रदेश शासन

वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या–3

fnukd 21 fl rEcj 2020 dk
fo/kku lHkk e iLrr dh xbZ

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष

मध्य प्रदेश शासन

वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या–3

विषय सूची

	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन		vii
विहंगावलोकन		ix
अध्याय – I		
प्रस्तावना		
इस प्रतिवेदन के विषय में	1.1	1
लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा	1.2	1
लेखापरीक्षा क्षेत्र	1.3	2
लेखापरीक्षा पर शासन की प्रतिक्रिया	1.4	2
पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कार्रवाई	1.5	3
लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर वसूली	1.6	4
अध्याय – II		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
नगरीय विकास एवं आवास विभाग		
नगर पालिक निगम, भोपाल एवं इन्दौर में जल प्रदाय प्रबन्धन पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.1	5
अध्याय – III		
अनुपालन लेखापरीक्षा		
सामान्य क्षेत्र		
विधि एवं विधायी कार्य (निर्वाचन) विभाग		
अनियमित उपार्जन (क्रय) एवं अतिरिक्त व्यय	3.1	43
राजस्व विभाग		
अनियमित व्यय	3.2	45

	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
सामाजिक क्षेत्र		
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
भंडार के निर्गम प्रमाणकों में हेरा–फेरी द्वारा गबन	3.3	46
व्ययों की वसूली न होना	3.4	47
निष्फल व्यय	3.5	49
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग		
अनियमित व्यय	3.6	51
जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग		
पर्यवेक्षण शुल्क का अधिक भुगतान	3.7	52
नगरीय विकास एवं आवास विभाग		
परिहार्य व्यय	3.8	54
अधिरोपित शास्ति का परिहार्य भुगतान	3.9	55
महिला एवं बाल विकास विभाग		
परिहार्य अधिक भुगतान	3.10	56
कपटपूर्ण आहरण एवं अनाधिकृत खातों में जमा	3.11	58
असंबंधित बैंक खातों में कपटपूर्ण भुगतान	3.12	62

परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
2.1.1	नगर पालिक निगम, भोपाल एवं इन्दौर की वार्डवार जनसंख्या एवं जल कनेक्शनों की संख्या की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	67
2.1.2	वर्ष 2013 से 2018 के दौरान नगर पालिक निगम, भोपाल एवं इंदौर में एसएलबी संकेतकों के अनुसार लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की स्थिति	70
2.1.3	जलशोधन संयंत्र में उपयोग किये जा रहे एलम/पीएसी सम्बन्धी जार परीक्षण प्रतिवेदन का विवरण	72
2.1.4	नगर पालिक निगमों में वर्षवार जल प्रभार के वसूली की स्थिति	73
3.1.1	जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा वोटिंग कम्पार्टमेंट के उपार्जन के संदर्भ में भुगतान को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	74
3.2.1	कलेक्टर मुरैना तथा श्योपुर द्वारा की गयी नियुक्तियों का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	76
3.3.1	कपटपूर्ण हेरा–फेरी कर जारी तथा वास्तविक रूप से जारी भंडार की मात्रा को दर्शाने वाला पत्रक	77
3.4.1	2016–18 के दौरान दवाओं/सामग्रियों के नमूना परीक्षण के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को किए गए भुगतान का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	79
3.5.1	ब्लड कम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट के लिए क्रय किए गए उपकरणों का विवरण	91
3.5.2	परिचालन के लिए उपलब्ध आवश्यक सुविधा की स्थिति	94
3.6.1	पैकेजेस तथा फर्म जिनसे कोटेशन आमंत्रित किए गए थे, का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	95
3.6.2	क्रयों तथा आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान का पैकेजवार एवं प्रमाणक वार विवरण दर्शाने वाला पत्रक	96

परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
3.7.1	पर्यवेक्षण शुल्क तथा उस पर सेवाकर के रूप में अधिक राशि का भुगतान दर्शाने वाला विवरण पत्रक	97
3.8.1	नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा ऊर्जा कारक संधारित करने में असफलता के कारण किए गए अधिभार के भुगतान का विवरण	98
3.9.1	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अधिरोपित शास्ति और किए गए भुगतान का विवरण	103
3.10.1	एस.एन.पी. के अन्तर्गत पके हुये भोजन की आपूर्ति पर अधिक भुगतान का विवरण	105
3.11.1	आहरण एवं संवितरण अधिकारी वार मानदेय शीर्ष (मुख्य शीर्ष–2235, 31–004) से निकाली गई और असंबंधित बैंक खातों में जमा की गई राशि का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	106
3.12.1	आहरण एवं संवितरण अधिकारी वार पोषण आहार शीर्ष से निकाली गई और असंबंधित बैंक खातों में जमा की गई राशि का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	108
3.12.2	आहरण एवं संवितरण अधिकारी वार आँगनवाड़ी भवन किराया (शीर्ष–22–011) शीर्ष से निकाली गई और असंबंधित बैंक खातों में जमा की गई राशि का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	109
3.12.3	आहरण एवं संवितरण अधिकारी वार सामग्री आपूर्ति (शीर्ष–34–009) शीर्ष से निकाली गई और असंबंधित बैंक खातों में जमा की गई राशि का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	110
3.12.4	आहरण एवं संवितरण अधिकारी वार रख–रखाव (शीर्ष–33–002) शीर्ष से निकाली गई और असंबंधित बैंक खातों में जमा की गई राशि का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	111
3.12.5	आहरण एवं संवितरण अधिकारी वार फ्लेक्सी फंड (शीर्ष–51–000) शीर्ष से निकाली गई और असंबंधित बैंक खातों में जमा की गई राशि का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	112

परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
3.12.6	आहरण एवं संवितरण अधिकारी वार विज्ञापन (शीर्ष–35–000) शीर्ष से निकाली गई और असंबंधित बैंक खातों में जमा की गई राशि का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	112
3.12.7	आहरण एवं संवितरण अधिकारी वार परीक्षा एवं प्रशिक्षण (शीर्ष–24–002) शीर्ष से निकाली गई और असंबंधित बैंक खातों में जमा की गई राशि का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	113
3.12.8	आहरण एवं संवितरण अधिकारी वार अटल बाल मिशन शीर्ष से निकाली गई और असंबंधित बैंक खातों में जमा की गई राशि का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	113
3.12.9	आहरण एवं संवितरण अधिकारी वार यात्रा भत्ता (शीर्ष–21–001) शीर्ष से निकाली गई और असंबंधित बैंक खातों में जमा की गई राशि का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	114
संक्षिप्तों की शब्दावली		115

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन मध्य प्रदेश शासन के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्रों के विभागों जिनमें विधि एवं विधायी कार्य (निर्वाचन), लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राजस्व, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, नगरीय विकास एवं आवास तथा महिला एवं बाल विकास विभाग सम्मिलित हैं, की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को समाहित करता है। तथापि, आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विभागों को छोड़ दिया गया है तथा आर्थिक क्षेत्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समाहित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो वर्ष 2017–18 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा करने के दौरान जानकारी में आये तथा ऐसे भी मामले हैं जो पूर्व वर्षों में जानकारी में आ चुके थे परन्तु उन्हें पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था; वर्ष 2017–18 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी यथास्थान आवश्यकतानुसार सम्मिलित किये गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र, मध्य प्रदेश शासन, 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु, में चयनित कार्यक्रमों और विभागों की एक निष्पादन लेखापरीक्षा एवं 12 लेखापरीक्षा कंडिकाएं सम्मिलित हैं जो सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी निकायों, समितियों आदि के निष्पादन लेखापरीक्षा एवं वित्तीय लेन–देनों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित हैं। महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सार नीचे दिया गया है:

1. निष्पादन लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु संचालित की जाती है कि क्या शासकीय कार्यक्रमों/योजनाओं/विभागों द्वारा अपेक्षित उद्देश्यों को न्यूनतम लागत में प्राप्त कर लिया गया है और उनका प्रयोजित लाभ दिया गया है।

1.1 नगर पालिक निगम, भोपाल एवं इन्दौर में जल प्रदाय प्रबन्धन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

जल आपूर्ति, 74 वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत, नगरीय स्थानीय निकायों को सौंपे गये 18 कार्यों की सूची में से एक है। नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत, नगरीय स्थानीय निकायों को सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत उद्देश्य के लिये उचित एवं पर्याप्त जल आपूर्ति हेतु शक्तियाँ प्रदाय की गई हैं। मध्य प्रदेश में, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एल.पी.सी.डी.) के विरूद्ध औसत सतही जल की उपलब्धता 78 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इस प्रकार, राज्य में जल की माँग एवं आपूर्ति के मध्य 57 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का अन्तर है। मध्य प्रदेश में जल प्रदाय प्रबन्धन की वस्तुस्थिति का आकलन करने के लिये, राज्य के वृहद्तम नगर पालिक निगमों, नगर पालिक निगम, भोपाल (बी.एम.सी.) एवं नगर पालिक निगम, इन्दौर (आई.एम.सी.) को निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया।

- दोनों नगर पालिक निगमों में जल स्रोत (जलशोधक संयंत्र) से प्राप्त पानी एवं उच्चस्तरीय टंकियों/जल संग्राहक के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरित किये जाने वाले पानी की मात्रा में 30 से 70 प्रतिशत की रेंज में अन्तर, पानी की हानि के निगरानी के लिये रिसाव खोजी प्रकोष्ठ (*Leakages detection cell*) के न होने, वाल्व संचालन प्रणाली और वितरण प्रणाली में प्रवाह मीटर के न लगाये जाने के कारण परिलक्षित हुआ।

(कंडिका 2.1.6.3)

- वार्ड/परिक्षेत्र अथवा नगर पालिक निगम स्तर पर वार्षिक दर अनुबन्ध के स्थान पर सहायक यंत्री/उप–यंत्री द्वारा प्रत्येक रिसाव प्रकरण के मरम्मत हेतु परिक्षेत्र/वार्ड वार पृथक निविदा आमंत्रित किये जाने के कारण रिसाव प्रकरणों के निपटान में 22 से 182 दिन विलम्ब हुआ।

(कंडिका 2.1.6.4)

- नगर पालिक निगम, भोपाल एवं इन्दौर द्वारा दर्शाये गये जल आपूर्ति एवं वास्तविक जल प्रदाय में क्रमशः नौ से 20 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं 36 से 62 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का अन्तर होना पाया गया। वास्तविक रूप से यह अन्तर, नगर पालिक निगमों द्वारा प्रति व्यक्ति मांग की गणना, उच्च स्तरीय टंकी में उपलब्ध

पानी के स्थान पर फिल्टर संयंत्र पर उपलब्ध पानी की मात्रा के आधार पर करने के कारण होना पाया गया।

(कंडिका 2.1.6.5)

- अनुपयुक्त परिक्षेत्रीकरण (*Improper zoning*) होने, दाब मापक संयंत्र न होने तथा वाल्व संचालन अनुसूची का संधारण न होने के कारण दोनों नगर पालिक निगमों में एक दिन के अन्तराल से एवं 30 से 60 मिनट के लिये असमान तथा निर्धारित दाब से कम दाब पर पानी प्रदाय किया गया तथा नगर पालिक निगम, भोपाल में मात्र पाँच परिक्षेत्र में और नगर पालिक निगम, इन्दौर के चार परिक्षेत्र में रोज पानी प्रदाय किया गया था। जबकि, एस.एल.बी. राजपत्र अधिसूचना में पानी प्रदाय किये जाने की अवधि नगर पालिक निगम, भोपाल एवं नगर पालिक निगम, इन्दौर द्वारा क्रमशः दो से चार घण्टे एवं 30 मिनिट से एक घण्टा प्रतिदिन दर्शाया गया था।

(कंडिका 2.1.6.6)

- कुल 9.41 लाख रहवासियों में से केवल 5.30 लाख रहवासियों (56.32 प्रतिशत) को ही अधिकृत जल कनेक्शन प्रदाय किये गये थे।

(कंडिका 2.1.6.9)

- वर्ष 2013–18 की अवधि में, दोनों नगर पालिक निगमों में 4,481 जल के नमूने (भौतिक, रसायनिक एवं जीवाण्विक) प्रतिकूल (बी.आई.एस. मानक 10500 के नीचे) थे, किन्तु, नगर पालिक निगमों द्वारा क्या कार्रवाई की गई यह अभिलेखों से सुनिश्चित नहीं किया जा सका। जल नमूनों का स्वतंत्र संयुक्त परीक्षण किया गया एवं इससे परिलक्षित हुआ कि 54 नमूनों में से 10 नमूने प्रतिकूल पाये गये थे जिनमें गंदलापन (*Turbidity*) तथा फिक्ल कॉलीफार्म (*faecal coliform*) पाया गया था। जिसके फलस्वरूप 8.95 लाख रहवासियों (नगर पालिक निगम, भोपाल में 3.62 लाख तथा नगर पालिक निगम, इन्दौर में 5.33 लाख) को प्रदूषित पानी प्रदाय किया गया था। लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी उपरोक्त अवधि के दौरान 5.45 लाख जलजनित बीमारियों के प्रकरणों का होना सूचित किया गया था।

(कंडिकाएं 2.1.7.1 एवं 2.1.7.3)

- नमूना जाँच किए गए 45 उच्चस्तरीय टंकियों/जल संग्राहकों में से 23 प्रकरणों में, न तो उच्चस्तरीय टंकियाँ/जल संग्राहक नियमित अन्तराल पर साफ किये गये न ही टंकियों में पाई गई मिट्टी की जैविकीय जाँच कराई गई जो कि प्रदाय किये जाने वाले पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु अनिवार्य थी। दोनों नगर पालिक निगमों में, टंकियों की सफाई हेतु जिम्मेदार उपयंत्री, अपने कर्तव्य निर्वहन में विफल रहे जबकि, उच्च तकनीकी अधिकारी (सहायक यंत्री या कार्यपालन यंत्री) द्वारा कभी भी इस कार्य की निगरानी अपने स्तर से नहीं की गई।

(कंडिका 2.1.7.4)

- नगर पालिक निगम, इन्दौर द्वारा बोरवेल का पानी बिना जाँच किये ही प्रदाय किया जा रहा था। संयुक्त रूप से एकत्रित एवं जाँच कराये गये 20 बोरवेल के जल नमूनों में से, सभी नमूनों में या तो आयरन, नाईट्रेट, कैल्शियम, कण्डक्टीविटी थे या फिकल कॉलीफार्म, निर्धारित बी.आई.एस. मानक 10500 से अधिक पाये गये, जिससे लीवर, हृदय, अग्नाशय को नुकसान, डायबिटीज, डायरिया, उल्टी आना, पेट दर्द, पाचन सम्बन्धी समस्याएं, पीलिया, टायफाइड तथा किडनी में पत्थरी हो सकती है।

(कंडिका 2.1.7.5)

- एस.एल.बी. निर्देशिका के अनुसार, जल प्रभार की 90 प्रतिशत वसूली दक्षता प्राप्त की जानी है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि दोनों नगर पालिक निगमों में जल प्रभार की राशि ₹ 470.00 करोड़ बकाया थी।

(कंडिका 2.1.8.2)

- नगर पालिक निगमों द्वारा जल लेखापरीक्षा नहीं कराई गई और इसके कारण जल आपूर्ति प्रणाली में हानि सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

(कंडिका 2.1.10.2)

- प्रबन्धन नियंत्रण एवं जल आपूर्ति प्रणाली के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिये, राज्य स्तर के साथ–साथ नगर पालिक निगमों के स्तर पर व्यापक सूचना प्रबन्धकीय प्रणाली (एम.आई.एस.) नहीं थी।

(कंडिका 2.1.10.3)

2. अनुपालन लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने विकट क्षेत्रों में विभिन्न महत्वपूर्ण कमियों को प्रतिवेदित किया है जो शासकीय विभागों/संस्थाओं की प्रभावी कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है।

लेखापरीक्षा कंडिकाएं

कलेक्टर मुरैना तथा श्योपुर द्वारा सहायक ग्रेड–3 तथा भृत्य के पदों पर अवैध नियुक्तियों के परिणामस्वरूप वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹ 76.12 लाख का अनियमित व्यय हुआ।

(कंडिका 3.2)

सी.एम.एच.ओ., छतरपुर के कार्यालय में भंडार प्रबंधन के प्रावधानों एवं विभागीय निर्देशों के अनुपालन न करने तथा अधीनस्थ इकाइयों को आपूर्ति की गई औषधियों/सामग्रियों के निर्गम प्रमाणकों में स्टोर कीपर द्वारा कपटपूर्ण हेरा–फेरी के कारण ₹ 12.71 लाख का गबन हुआ।

(कंडिका 3.3)

नई दवा नीति के अंतर्गत औषधियों के गुणवत्ता परीक्षण के परीक्षण व्ययों की कटौती हेतु क्रय आदेश की शर्तों का अनुपालन नहीं करने के फलस्वरूप संबंधित आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 2.36 करोड़ के व्ययों की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 3.4)

मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को पर्यवेक्षण शुल्क तथा उस पर सेवाकर के रूप में राशि ₹ 1.06 करोड़ का अधिक भुगतान।

(कंडिका 3.7)

नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद द्वारा उच्च दाब (एच.टी.) कनेक्शनों में ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) निर्धारित स्तर पर संधारण में विफलता के कारण मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा अधिरोपित शास्ति के भुगतान के रूप में ₹ 1.10 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 3.8)

पूरक पोषण कार्यक्रम (एस.एन.पी.) के अंतर्गत जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा स्व–सहायता समूहों को पोषण आहार की राशि ₹ 2.32 करोड़ का परिहार्य अधिक भुगतान किया गया।

(कंडिका 3.10)

कोषालय स्तर पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता और बी.सी.ओ./संचालनालय की चूक के कारण डी.पी.ओ./पी.ओ. द्वारा आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के अंतर्गत आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/आँगनवाड़ी सहायिकाओं के राशि ₹ 4.24 करोड़ के मानदेय का कपटपूर्ण आहरण किया गया तथा इसे अनाधिकृत व्यक्तियों के खातों में जमा किया गया।

(कंडिका 3.11)

अध्याय – I
प्रस्तावना

अध्याय–I

प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 एवं भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा के अधिदेश के अनुपालन में मध्य प्रदेश शासन के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विभागों की वर्ष 2017–18 की अवधि में की गई निष्पादन तथा अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्षों को शामिल करता है।

इस प्रतिवेदन का लक्ष्य कार्यकारी उत्तदायित्व सुनिश्चित करने और विभिन्न विभागों के प्रशासन की प्रक्रिया और लोक सेवा प्रदाय में सुधार करने में सहायता करना है।

प्रतिवेदन का अभिन्यास निम्नानुसार है:

1. **अध्याय–I**: लेखापरीक्षित इकाईयों के बारे में सामान्य जानकारी।
2. **अध्याय–II**: नगर पालिक निगम, भोपाल एवं इंदौर में जल प्रदाय प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा।
3. **अध्याय–III**: 12 लेखापरीक्षा कंडिकाएं।

1.2 लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा

मध्य प्रदेश में 53 विभागों में से 34 विभाग सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत हैं। इन विभागों का नेतृत्व अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों द्वारा किया जाता है, जिनकी आयुक्त/संचालक और उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सहायता की जाती है।

वर्ष 2013–18 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमानों एवं वास्तविक व्यय की प्रवृत्ति **चार्ट 1.1** में वर्णित है।

चार्ट 1.1: बजट अनुमान तथा वास्तविक व्यय

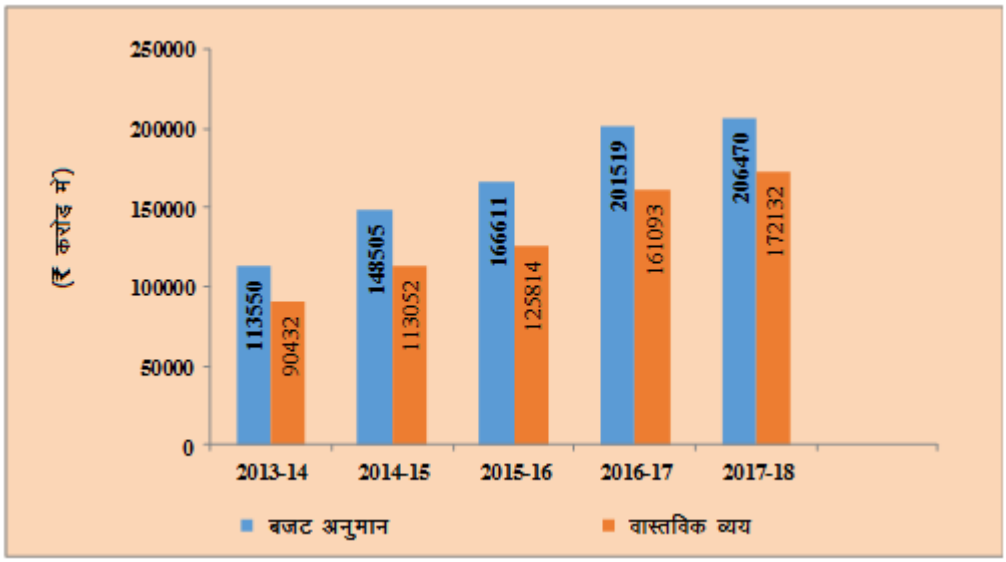

(स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत पाँच मुख्य विभागों के व्यय की प्रवृत्ति **तालिका 1.1** में दी गयी है:

तालिका 1.1: सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य विभागों का व्यय

(₹ करोड़ में)

विभाग	2015–16	2016–17	2017–18
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	16,138.28	27,063.69	31,654.94
नगरीय विकास एवं आवास विभाग	9,623.91	11,087.57	12,675.20
स्कूल शिक्षा विभाग	7,229.04	9,720.38	10,563.75
वित्त विभाग	8,005.35	8,973.52	9,654.14
गृह विभाग	4,663.00	5,285.18	5,888.01

(स्रोत: संबंधित वर्षों के मासिक विनियोग लेखों से संकलित)

1.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र

वर्ष 2017–18 के दौरान, महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्य प्रदेश द्वारा सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 34 विभागों की कुल 8,478 लेखापरीक्षित इकाईयों में से 1,962 लेखापरीक्षित इकाईयों की अनुपालन लेखापरीक्षा संचालित की गई थी।

1.4 लेखापरीक्षा पर शासन की प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित इकाईयों/विभागों को लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर उनके अभिमत प्राप्त करने के लिए चार चरण में अवसर प्रदान करता है, जैसे:

- **लेखापरीक्षा ज्ञापन:** लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान उत्तर देने हेतु जारी।
- **निरीक्षण प्रतिवेदन:** लेखापरीक्षा के पूर्ण होने के एक माह के भीतर लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को चार सप्ताह के अंदर उत्तर देने हेतु जारी।
- **प्रारूप कंडिकाएं:** शासन/विभागीय प्रमुखों जिनके अन्तर्गत लेखापरीक्षित इकाईयाँ कार्य करती हैं, को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किये जाने के पूर्व शासन/विभाग के विचारों को छः सप्ताह के भीतर भेजने हेतु जारी।
- **निर्गम सम्मेलन:** लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने से पूर्व लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर विभागीय/शासन के विचार प्राप्त करने के लिए विभाग के प्रमुख तथा राज्य शासन को अवसर दिया जाता है।

इन सभी चरणों में, लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित इकाईयों/विभाग के प्रमुख/शासन को खण्डन करने एवं स्पष्टीकरण देने के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करता है और केवल जब विभाग के उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं या समाधानकारक नहीं हैं तो लेखापरीक्षा प्रेक्षण, जैसा भी प्रकरण हो, निरीक्षण प्रतिवेदन अथवा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए संसाधित किया जाता है। हालांकि, यह देखा गया है कि, ज्यादातर प्रकरणों में, लेखापरीक्षित इकाईयाँ/विभाग, समय पर तथा संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं करते हैं जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

1.4.1 निरीक्षण प्रतिवेदन

34 विभागों से संबंधित 4,443 आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) को मार्च 2018 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2019

की स्थिति में 12,489 निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल 44,844 कंडिकाएं ठोस उत्तर की प्रत्याशा में निराकरण के लिए बकाया थीं। इनमें से, डी.डी.ओ. द्वारा, 10,684 निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल 32,711 कंडिकाओं के प्रारंभिक उत्तर दिये गये थे जबकि 1,805 निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल 12,133 कंडिकाओं (मनी वैल्यू ₹ 44,431.70 करोड़) के संबंध में डी.डी.ओ. की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी।

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति **तालिका 1.2** में दर्शायी गयी है:

तालिका 1.2: 31 मार्च 2019 की स्थिति में बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाएं (31 मार्च 2018 तक जारी)

अवधि	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या (प्रतिशत)	बकाया कंडिकाओं की संख्या (प्रतिशत)	डी.डी.ओ. के प्रारंभिक उत्तर हेतु लंबित कंडिकाओं से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या (प्रतिशत)	बकाया कंडिकाएं, जिन पर डी.डी.ओ. के प्रारंभिक उत्तर प्राप्त नहीं हुए की संख्या (प्रतिशत)	डी.डी.ओ. के प्रारंभिक उत्तर हेतु बकाया कंडिकाओं की मनी वैल्यू (₹ लाख में)
2017–18	1,325 (10.61)	8,893 (19.83)	1,026 (56.84)	7,480 (61.65)	31,76,639.79
1 वर्ष से 3 वर्षों तक	3,361(26.91)	16,273(36.29)	590(32.69)	3,751(30.91)	10,75,549.31
3 वर्षों से 5 वर्षों तक	1,707 (13.67)	5,581 (12.45)	156 (08.64)	758 (06.25)	1,87,634.34
5 वर्षों से अधिक	6,096 (48.81)	14,097 (31.43)	33(01.83)	144 (01.19)	3,346.57
योग	**12,489**	**44,844**	**1,805**	**12,133**	**44,43,170.01**

2017–18 के दौरान, विभागीय अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा की आठ बैठकें (लेखापरीक्षा समिति बैठकें) हुई जिनमें 299 निरीक्षण प्रतिवेदन तथा 3,718 कंडिकाओं का निराकरण किया गया।

1.5 पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

लोक लेखा समिति की आंतरिक कार्रवाई की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर स्वतः कार्रवाई प्रारंभ करनी थी चाहे इनकी लोक लेखा समिति द्वारा जाँच की जा रही हो अथवा नहीं। उन्हें लेखापरीक्षा द्वारा सम्पादित विस्तृत कार्यान्वयन टीप भी, जिसमें उनके द्वारा की जा रही अथवा प्रस्तावित कार्यवाहियाँ दर्शाते हुये प्रस्तुत करनी थी।

वर्ष 2012–13 से 2016–17 के दौरान, सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 132 लेखापरीक्षा कंडिकाएं प्रतिवेदित की गयी थीं। इनमें से लोक लेखा समिति ने 43 कंडिकाएं मौखिक चर्चा हेतु एवं 89 कंडिकाएं लिखित उत्तर हेतु चयनित की। मार्च 2019 की स्थिति में, 43 कंडिकाओं में से 22 कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति में चर्चा हो चुकी है एवं 89 कंडिकाओं में से 88 कंडिकाओं पर शासन के उत्तर (व्याख्यात्मक टिप्पणी) पर कार्यालय का अभिमत लोक लेखा समिति को प्रेषित किया गया है। इन कंडिकाओं में से, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, 2012–13 से संबंधित चार कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति द्वारा चार सिफारिशी प्रतिवेदन जारी कर दिये गये हैं एवं उन पर शासन की कार्यान्वयन टीप प्रतीक्षित है। जैसा कि **तालिका 1.3** में दिया गया है।

तालिका 1.3: लोक लेखा समिति में चर्चा की स्थिति, मध्य प्रदेश, विधान सभा

स्थिति	सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्रों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2012–13 से 2016–17
लेखापरीक्षा कंडिकाओं की कुल संख्या	132
लोक लेखा समिति में चर्चा (मौखिक चर्चा) के लिए चयनित	43
लोक लेखा समिति में लिखित उत्तर के लिए चयनित	89
लोक लेखा समिति द्वारा की गई सिफारिशें	04 (मौखिक चर्चा के अंतर्गत 01[1] कंडिका+लिखित उत्तर के लिए 03 कंडिकाएं)
कार्यान्वयन टीप प्राप्त	अभी तक प्राप्त नहीं हुई।
विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	अभी तक नहीं की गई।

1.6 लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर वसूली

जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल उज्जैन के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच (जनवरी 2018) में परिलक्षित हुआ कि राशि ₹ 1.68 लाख की दवाइयों की आपूर्ति हेतु (मार्च 2017), आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान हेतु बीजक दो प्रतियों में तैयार किया गया था। भुगतान देयक क्रमांक 292 दिनांक 14 अक्टूबर 2017 द्वारा कोषालय के माध्यम से आपूर्तिकर्ता के बैंक खाते में किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि संबंधित लेखापाल द्वारा बीजक की द्वितीय प्रति को निरस्त नहीं किया गया था जबकि कपटपूर्ण दावों हेतु इसे बाद में उपयोग किये जाने से बचने के लिये इसे निरस्त किया जाना अपेक्षित था तथा इस चूक के कारण देयक क्रं. 341 दिनांक 16 नवम्बर 2017 द्वारा इनवायस/बीजक की द्वितीय प्रति का उपयोग कर ₹ 1.68 लाख की राशि दोबारा आहरित कर कोषालय के माध्यम से आपूर्तिकर्ता को भुगतान (दिसम्बर 2017) की गयी थी। यह भी देखा गया है कि आकस्मिक व्यय पंजी (सी.ई.आर.) में बीजक की उप प्रमाणक के रूप में प्रविष्टि दो बार की गयी थी लेकिन आकस्मिक व्यय पंजी की प्रविष्टियॉ कार्यालय प्रमुख द्वारा अभिप्रमाणित नहीं की गयी थी। इस प्रकार भुगतान के पूर्व उपप्रमाणकों को निरस्त किये जाने एवं आकस्मिक व्यय पंजी में प्रविष्टियॉ अभिप्रमाणित किये जाने संबंधी संहिता के प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹ 1.68 लाख का संदेहास्पद कपटपूर्ण दोहरा भुगतान हुआ।

इसे इंगित किये जाने पर, शासन ने सूचित किया (अगस्त 2019) कि अधीक्षक, केन्द्रीय जेल उज्जैन ने त्रुटिवश राशि का भुगतान कर दिया था जिसे चालान द्वारा शासकीय कोषालय में जमा (जनवरी 2018 तथा मई 2018) किया जा चुका है। इस प्रकरण में जेल मुख्यालय ने सभी जेल अधीक्षकों को अनुदेश जारी किये थे (दिसम्बर 2018) कि मध्यप्रदेश कोषालय संहिता (खण्ड–1) के नियम 194 एवं 196 के प्रावधानों के अनुसार, भुगतान किये जाने के पश्चात सभी देयकों पर 'भुगतान किया' एवं 'निरस्त' की सील अवश्य लगायी जानी चाहिये जिससे उन्हें बाद में कपटपूर्ण दावों एवं जालसाजी हेतु उपयोग न किया जा सके। अधीक्षक केन्द्रीय, जेल उज्जैन को भी भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी दी (मई 2019) गयी थी।

[1] मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिये सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित एक कंडिका पर लोक लेखा समिति द्वारा कोई अग्रेतर सिफारिश जारी नहीं की गई।

अध्याय – II
निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 नगर पालिक निगम, भोपाल एवं इन्दौर में जल प्रदाय प्रबन्धन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय–II: निष्पादन लेखापरीक्षा

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

2.1 नगर पालिक निगम, भोपाल एवं इन्दौर में जल प्रदाय प्रबन्धन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यपालन सारांश

जल आपूर्ति, 74 वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत, नगरीय स्थानीय निकायों को सौंपे गये 18 कार्यों की सूची में से एक है। नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत, नगरीय स्थानीय निकायों को सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत उद्देश्य के लिये उचित एवं पर्याप्त जल आपूर्ति हेतु शक्तियाँ प्रदाय की गई हैं।

मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3.08 लाख वर्ग किलोमीटर है जो भारत के क्षेत्रफल (32.88 लाख वर्ग किलोमीटर) का 9.37 प्रतिशत है। राज्य की जनसंख्या 8.23 करोड़ (भारत की जनसंख्या का 6.16 प्रतिशत) है। मध्य प्रदेश में, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एल.पी.सी.डी.) के विरूद्ध औसत सतही जल की उपलब्धता 78 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इस प्रकार, राज्य में जल की माँग एवं आपूर्ति के मध्य 57 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का अन्तर है। मध्य प्रदेश में जल प्रदाय प्रबन्धन की वस्तुस्थिति का आकलन करने के लिये, राज्य के वृहदतम नगर पालिक निगमों नगर पालिक निगम, भोपाल (बी.एम.सी.) एवं नगर पालिक निगम, इन्दौर (आई. एम.सी.) को निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा में अप्रैल 2013 से मार्च 2018 तक की अवधि को शामिल किया गया है।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

- दोनों नगर पालिक निगमों में जल स्रोत (जलशोधक संयंत्र) से प्राप्त पानी एवं उच्चस्तरीय टंकियों/जल संग्राहक के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरित किये जाने वाले पानी की मात्रा में 30 से 70 प्रतिशत की रेंज में अन्तर, पानी की हानि के निगरानी के लिये रिसाव खोजी प्रकोष्ठ (*Leakages detection cell*) के न होने, वाल्व संचालन प्रणाली और वितरण प्रणाली में प्रवाह मीटर के न लगाये जाने के कारण परिलक्षित हुआ।

(कंडिका 2.1.6.3)

- वार्ड/परिक्षेत्र अथवा नगर पालिक निगम स्तर पर वार्षिक दर अनुबन्ध के स्थान पर सहायक यंत्री/उप–यंत्री द्वारा प्रत्येक रिसाव प्रकरण के मरम्मत हेतु परिक्षेत्र/वार्ड वार पृथक निविदा आमंत्रित किये जाने के कारण रिसाव प्रकरणों के निपटान में 22 से 182 दिन विलम्ब हुआ।

(कंडिका 2.1.6.4)

- नगर पालिक निगम, भोपाल एवं इन्दौर द्वारा दर्शाये गये जल आपूर्ति एवं वास्तविक जल प्रदाय में क्रमशः नौ से 20 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं 36 से 62 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का अन्तर होना पाया गया। वास्तविक रूप से यह अन्तर, नगर पालिक निगमों द्वारा प्रतिव्यक्ति मांग की गणना, उच्च स्तरीय टंकी में उपलब्ध पानी के स्थान पर फिल्टर संयंत्र पर उपलब्ध पानी की मात्रा के आधार पर करने के कारण होना पाया गया।

(कंडिका 2.1.6.5)

- अनुपयुक्त परिक्षेत्रीकरण (*Improper zoning*) होने, दाब मापक संयंत्र न होने तथा वाल्व संचालन अनुसूची का संधारण न होने के कारण दोनों नगर पालिक निगमों में एक दिन अन्तराल से एवं 30 से 60 मिनिट के लिये असमान तथा निर्धारित दाब से कम दाब पर पानी प्रदाय किया गया तथा नगर पालिक निगम, भोपाल में मात्र पाँच परिक्षेत्र में और नगर पालिक निगम, इन्दौर के चार परिक्षेत्र में रोज पानी प्रदाय किया गया था। जबकि, एस.एल.बी. राजपत्र में पानी प्रदाय किये जाने की अवधि नगर पालिक निगम, भोपाल एवं नगर पालिक निगम, इन्दौर द्वारा क्रमशः दो से चार घण्टे एवं 30 मिनिट से एक घण्टा प्रतिदिन दर्शाया गया था।

(कंडिका 2.1.6.6)

- कुल 9.41 लाख रहवासियों में से केवल 5.30 लाख रहवासियों (56.32 प्रतिशत) को ही अधिकृत जल कनेक्शन प्रदाय किये गये थे।

(कंडिका 2.1.6.9)

- वर्ष 2013–18 की अवधि में, दोनों नगर पालिक निगमों में 4,481 जल के नमूने (भौतिक, रसायनिक एवं जीवाण्विक) प्रतिकूल (बी.आई.एस. मानक 10500 के नीचे) पाये गये थे, किन्तु, नगर पालिक निगमों द्वारा क्या कार्रवाई की गई यह अभिलेखों से सुनिश्चित नहीं किया जा सका। जल नमूनों का स्वतंत्र संयुक्त परीक्षण किया गया एवं इससे परिलक्षित हुआ कि 54 नमूनों में से 10 नमूने प्रतिकूल पाये गये थे जिनमें गंदलापन (*Turbidity*) तथा फिक्ल कॉलीफार्म (*faecal coliform*) पाया गया था। जिसके फलस्वरूप 8.95 लाख रहवासियों (नगर पालिक निगम, भोपाल में 3.62 लाख तथा नगर पालिक निगम, इन्दौर में 5.33 लाख) को प्रदूषित पानी प्रदाय किया गया था। लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी उपरोक्त अवधि के दौरान 5.45 लाख जलजनित बीमारियों के प्रकरणों का होना सूचित किया गया था।

(कंडिकाएं 2.1.7.1 एवं 2.1.7.3)

- नमूना जाँच किए गए 45 उच्चस्तरीय टंकियों/जल संग्राहकों में से 23 प्रकरणों में, न तो उच्चस्तरीय टंकियों/जल संग्राहक नियमित अन्तराल पर साफ किये गये न ही टंकियों में पाई गई मिट्टी की जैविकीय जाँच कराई गई जो कि प्रदाय किये जाने वाले पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु अनिवार्य थी। दोनों नगर पालिक निगमों में, टंकियों की सफाई हेतु जिम्मेदार उपयंत्री, अपने कर्तव्य निर्वहन में विफल रहे जबकि, उच्च तकनीकी अधिकारी (सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री) द्वारा कभी भी इस कार्य की निगरानी अपने स्तर से नहीं की गई।

(कंडिका 2.1.7.4)

- नगर पालिक निगम, इन्दौर द्वारा बोरवेल का पानी बिना जाँच किये ही प्रदाय किया जा रहा था। संयुक्त रूप से एकत्रित एवं जाँच कराये गये 20 बोरवेल के जल नमूनों में से, सभी नमूनों में या तो आयरन, नाईट्रेट, कैल्शियम, कण्डक्टीविटी थे या फिकल कॉलीफार्म, निर्धारित बी.आई.एस. मानक 10500 से अधिक पाये गये, जिससे लीवर, हृदय, अग्नाशय को नुकसान, डायबिटीज, डायरिया, उल्टीआना, पेट दर्द, पाचन सम्बन्धी समस्याएं, पीलिया, टायफाइड तथा किडनी में पत्थरी हो सकती है।

(कंडिका 2.1.7.5)

- एस.एल.बी. निर्देशिका के अनुसार, जल प्रभार की 90 प्रतिशत वसूली दक्षता प्राप्त की जानी है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि दोनों नगर पालिक निगमों में जल प्रभार की राशि ₹ 470.00 करोड़ बकाया थी।

(कंडिका 2.1.8.2)

- राज्य स्तर के साथ–साथ नगर पालिक निगमों के स्तर पर जल आपूर्ति के लिये कोई निगरानी प्रणाली विकसित नहीं थी।

(कंडिका 2.1.10.1)

- नगर पालिक निगमों द्वारा जल लेखापरीक्षा नहीं कराई गई और इसके कारण जल आपूर्ति प्रणाली में हानि सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

(कंडिका 2.1.10.2)

- प्रबन्धन नियंत्रण एवं जल आपूर्ति प्रणाली के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिये, राज्य स्तर के साथ–साथ नगर पालिक निगमों के स्तर पर व्यापक सूचना प्रबन्धकीय प्रणाली (एम.आई.एस.) नहीं थी।

(कंडिका 2.1.10.3)

2.1.1 प्रस्तावना

जल यथा सतही जल[1] एवं भूजल[2]; एक आवश्यक प्राकृतिक संसाधन है जीवित प्राणी के लिये जल एक मूलभूत आवश्यकता और अमूल्य राष्ट्रीय संपदा है। जल प्रबन्धन योजना, सभी प्रतिस्पर्धी मांगों से सम्बद्ध है और सभी उपयोगकर्ताओं और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए समान आधार पर पानी के आवंटन का प्रयास करना है। यह प्रत्येक स्थानीय निकाय की अनिवार्य जिम्मेदारी है कि वह अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत निवासियों को पीने योग्य पानी की आपूर्ति करे।

संविधान के 74 वें संशोधन में अनुच्छेद 243 डब्लू के अन्तर्गत जल आपूर्ति, नगरीय स्थानीय निकायों को सौंपे गये 18 कार्यों की सूची में से एक महत्वपूर्ण कार्य है।

मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3.08 लाख वर्ग किलोमीटर है जो भारत के क्षेत्रफल (32.88 लाख वर्ग किलोमीटर) का 9.37 प्रतिशत है। राज्य की जनसंख्या 8.23 करोड़ (भारत की जनसंख्या 133.51 करोड़ का 6.16 प्रतिशत) है। मध्य प्रदेश में औसतन सतही जल की उपलब्धता 81.50 लाख हेक्टेयर–मीटर है। शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार (एम.ओ.यू.डी.) द्वारा निर्धारित (2008) सर्विस लेवल बेंचमार्किंग (एस.एल.बी.) के मानक अनुसार 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के विरूद्ध पानी की उपलब्धता के अनुसार 2.34 अरब घन मीटर (बी.सी.एम.)/78 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति की जा सकी। इस प्रकार, राज्य में पानी की माँग एवं आपूर्ति में 57 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का अन्तर है। मध्य प्रदेश की 16 नगर पालिक निगमों में से, वृहदतम नगर पालिक निगम, नगर पालिक निगम, भोपाल (बी.एम.सी.) एवं नगर पालिक निगम, इन्दौर (आई.एम.सी.), जिनकी जनसंख्या मार्च 2018 की स्थिति में क्रमशः 23.64 लाख एवं 29.06 लाख है, वार्ड वार विवरण ***परिशिष्ट 2.1.1*** में दर्शाया गया है, पर निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु विचार किया गया।

जल आपूर्ति में, जल स्रोतों से लिये गये पानी का प्रबंधन और विभिन्न चरणों में उपभोक्ताओं को इसे उपलब्ध कराना शामिल है।

जल प्रबन्धन प्रणाली को नीचे दिये गये **फ्लो चार्ट** में प्रदर्शित किया गया है:

[1] सतही जल, महाद्वीपीय सतहों पर स्थित वह जल है जैसे नदी, झील या आर्द्रभूमि।

[2] भूजल, वह जल है जो दरारों, मिट्टी, रेत और चट्टानों में रिक्त स्थानों में भूमिगत पाया जाता है।

फ्लो चार्ट-2.1.1: नगर पालिक निगमों में जल आपूर्ति की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाने वाला आरेख चित्र

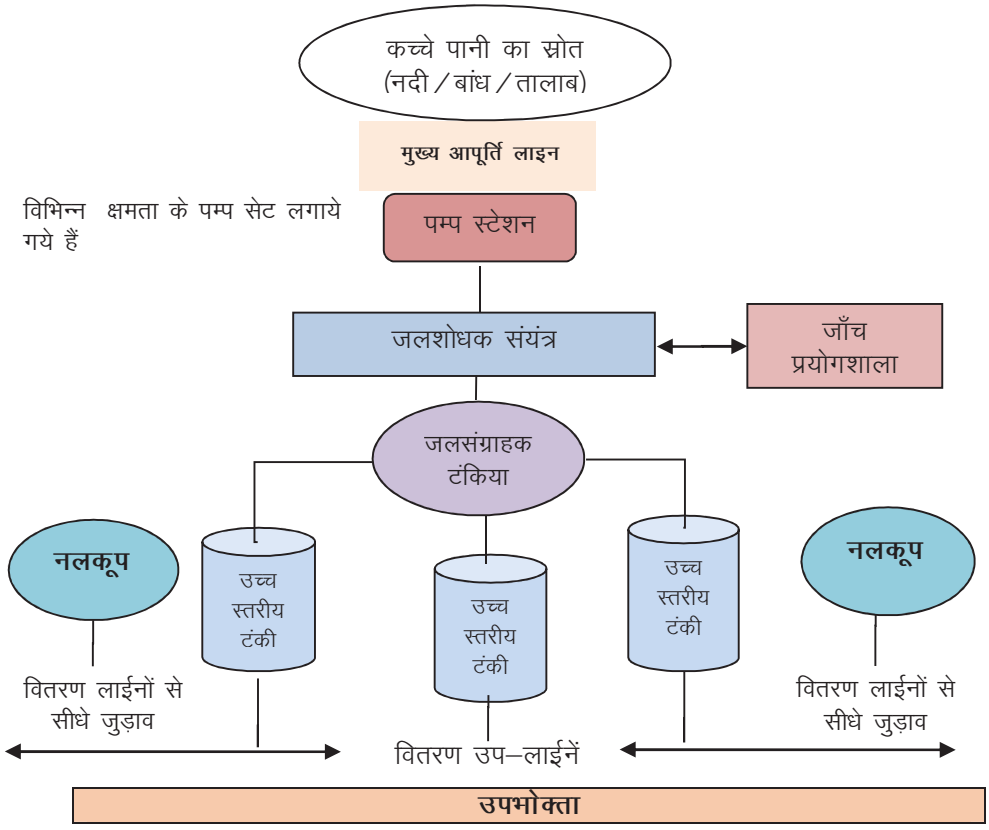

2.1.2 संगठनात्मक ढाँचा

राज्य स्तर पर, नगरीय स्थानीय निकायों के वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण के लिये नगरीय विकास एवं आवास विभाग अभिहित है जिसके अन्तर्गत संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नगरीय निकायों को दी जाने वाली निधियों एवं उसके उपयोग पर नियंत्रण करता है। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) एवं अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के अन्तर्गत चार[3] चिन्हित शहरों के लिये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के मूल्यांकन हेतु मंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति (एस.एल.एस.सी.)/राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एस.एल.टी.सी.) का गठन किया गया है। नगरीय स्थानीय निकाय स्वायत्त संस्थाएं हैं जो अपने सुचारू कार्यपद्धति के लिये नियमों एवं नीतियों का निर्धारण करती हैं।

संचालनालय स्तर पर, परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये, निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन देने हेतु, प्रमुख अभियंता (ई.एन.सी.), एवं उनके सहयोग के लिये अधीक्षण यंत्री (एस.ई.), कार्यपालन यंत्री (ई.ई.), सहायक यंत्री (ए.ई.) तथा उप–यंत्री (सब.ई.) पदस्थ हैं।

नगर पालिक निगम स्तर पर, जल आपूर्ति के सुचारू क्रियान्वयन हेतु अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का लिये आयुक्त, एवं उनके सहयोग के लिये अधीक्षण यंत्री (जल प्रदाय), कार्यपालन यंत्री (जल प्रदाय), सहायक यंत्री, उप–यंत्री एवं अन्य अमला पदस्थ हैं।

[3] भोपाल, इन्दौर, जबलपुर और उज्जैन।

2.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या नगर पालिक निगम, भोपाल (बी.एम.सी.) एवं नगर पालिक निगम, इन्दौर (आई.एम.सी.) द्वारा भोपाल एवं इन्दौर के क्षेत्रान्तर्गत सभी नागरिकों को पर्याप्त, नियमित तथा आवश्यक गुणवत्ता का पानी प्रदाय किया जा रहा था।

2.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नांकित स्रोत से लिये गये थे:

- मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 एवं मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961;
- जल आपूर्ति एवं शोधन हेतु केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सी.पी.एच.ई.ई.ओ.) की नियमावली, तथा संचालन एवं संधारण मार्गदर्शिका एवं राष्ट्रीय/राज्य जल नीति;
- पेयजल हेतु भारतीय मानक ब्यूरो 10500;
- वित्त नियमावली, मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग नियमावली, भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश/परिपत्र;
- सभी को 2030 तक पानी उपलब्ध कराने के लक्ष्य हेतु संवहनीय विकास लक्ष्य (एस. डी.जी.);
- नगरीय स्थानीय निकायों में पानी की आपूर्ति हेतु सर्विस लेवल बैंचमार्किंग पर 13 वें वित्त आयोग की अनुशंसा; तथा
- शहरी विकास मंत्रालय (एम.ओ.यू.डी.), द्वारा जारी सर्विस लेवल बैंचमार्किंग हैण्डबुक।

2.1.5 लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली एवं कवरेज

निष्पादन लेखापरीक्षा, दो नगर पालिक निगम यथा भोपाल एवं इंदौर सहित प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग कार्यालय, नोडल विभाग के रूप में आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास के अप्रैल 2013 से मार्च 2018 तक के अभिलेखों की नमूना जाँच के द्वारा की गई।

नगर पालिक निगम, भोपाल एवं इन्दौर की एक नजर में समग्र स्थिति नीचे **तालिका 2.1.1** में दी गई है:

तालिका 2.1.1: नगर पालिक निगम, भोपाल एवं इन्दौर की एक नजर में समग्र स्थिति

स. क्र.	मद	इकाई	नगर पालिक निगम, भोपाल	नगर पालिक निगम, इन्दौर
01	नगर पालिक निगम का दर्जा मिलने का वर्ष	वर्ष	1983	1956
02	क्षेत्रफल	वर्ग कि.मी.	285.9	280
03	जनसंख्या (2011 के जनगणना अनुसार)	लाख	19.22	21.95
04	अनुमानित जनसंख्या (2018)	लाख	23.64	29.06
05	जोन/वार्ड की संख्या	सं.	19/85	19/85
06	जल स्रोतों की संख्या	सं.	04	03

स. क्र.	मद	इकाई	नगर पालिक निगम, भोपाल	नगर पालिक निगम, इन्दौर
07	जल शोधन संयंत्र की संख्या	सं.	14	03
08	कुल रहवासियों की संख्या	लाख	4.20	5.21
09	कुल नल कनेक्शनों की संख्या (मार्च 2018 की स्थिति में)	लाख	2.77	2.53
10	प्रतिदिन कुल जल के मांग की मात्रा	एम.एल.डी.	363	525
11	प्रतिदिन कुल वितरित जल की मात्रा	एम.एल.डी.	279	485
12	उच्चस्तरीय टंकियों/जलसंग्राहकों की संख्या	सं.	136	86
13	वितरण नेटवर्क की लम्बाई	कि.मी.	2100	1850

(स्रोतः नगर पालिक निगम, भोपाल एवं नगर पालिक निगम, इन्दौर)

आगम सम्मेलन 10 सितम्बर 2018 को आयुक्त सह सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के साथ हुआ, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यप्रणाली एवं मानदण्डों की चर्चा की गई एवं नमूना नगर पालिक निगमों के नामों की चर्चा की गई।

निर्गम सम्मेलन प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल के साथ दिनांक 26 अप्रैल 2019 को आयोजित किया गया। शासन द्वारा निर्गम सम्मेलन के दौरान दिये गये उत्तरों एवं व्यक्त विचारों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.6 जल की उपलब्धता एवं आपूर्ति

2.1.6.1 संस्थागत जल की मांग का मूल्यांकन न किया जाना

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया एवं राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत(1962), सी.पी.एच.ई.ई.ओ. मैनुअल, में प्रावधानित है कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण फ्लशिंग प्रणाली सहित सभी उद्देश्यों हेतु, 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पानी दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिये। आगे, सी.पी.एच.ई.ई.ओ. मैनुअल में, संस्थागत[4] पानी की आवश्यकता हेतु भी मानक दिये गये हैं। अधीक्षण यंत्री (एस.ई.) (जल प्रदाय) की जिम्मेदारी है कि वह सबसे किफायती तरीका अपनाते हुये तकनीकी मानकों एवं सामाजिक जरूरतों को पूरा करें।

लेखापरीक्षा जाँच में परिलक्षित हुआ कि नगर पालिक निगम, भोपाल तथा नगर पालिक निगम, इन्दौर ने रहवासियों के लिये वास्तविक पानी की आवश्यकता का आकलन किया था। तथापि, नगर पालिक निगम के अन्तर्गत आने वाले संस्थाओं हेतु पानी की वास्तविक जरूरत का आकलन नहीं किया। इस प्रकार, सम्बन्धित अधीक्षण यंत्री, नगर पालिक निगमों के क्षेत्रान्तर्गत आने वाली संस्थाओं के लिये वास्तविक मांग का मूल्यांकन करने में विफल रहे।

[4] अस्पताल के लियेः 340 से 450 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (प्रति बिस्तर); हॉस्टल और बोर्डिंग विद्यालय/कॉलेजः 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन; दिन के विद्यालय एवं महाविद्यालयः 45 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन; रेस्टोरेन्टः 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (प्रति कुर्सी) तथा सिनेमा तथा थिएटर के लियेः 15 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया (अप्रैल 2019) गया कि परियोजना के डिजाइन को बनाने में मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक था कि मांग का आकलन वास्तविक शर्तों पर आधारित हो। दोनों नगर पालिक निगमों ने अमृत में संस्थागत मांगों को समायोजित किया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अमृत के डी.पी.आर. में, नगर पालिक निगम, भोपाल और नगर पालिक निगम, इन्दौर के अन्तर्गत चल रहे संस्थानों के सम्बन्ध में कोई संस्थागत मांग को शामिल नहीं किया गया था।

2.1.6.2 बेहतर निष्पादन दिखाने के लिये एस.एल.बी. उपलब्धियों के डेटा में हेर–फेर

निष्पादन अनुदान प्रदान करने के लिये, 13 वें वित्त आयोग द्वारा नौ शर्तें अनुशंसित की गई थीं, जिनमें चार[5] मुख्य सेवाओं के लिये सर्विस लेवल बेंचमार्किंग (एस.एल.बी.) का अभिग्रहण अनिवार्य शर्तों में से एक (आठवीं) थी। जल आपूर्ति हेतु शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नौ[6] संकेतक निर्धारित किये गये थे। राज्य स्तर पर एवं नगरीय स्थानीय निकाय स्तर पर भी, एस.एल.बी. लक्ष्यों की समीक्षा किये जाने हेतु एक प्रकोष्ठ बनाया जाना था। इस उद्देश्य के लिये नगर पालिक निगमों द्वारा आधारभूत डेटा एकत्र किया जाना था, एवं उसको मान्य किये जाने के बाद, आगामी वित्तीय वर्ष के लिये एस.एल.बी. लक्ष्य तथा पूर्ववर्ती वर्ष की एस.एल.बी. उपलब्धियों का प्रकाशन राजपत्र में किया जाना था। राज्य एवं नगरीय स्थानीय निकायों के एस.एल.बी. प्रकोष्ठों द्वारा, लक्ष्यों की उपलब्धियों की आवधिक समीक्षा भी की जानी थी। शहरी विकास मंत्रालय के आदेश (अप्रैल 2017) के अनुसार, केवल बेहतर प्रदर्शन करने वाली नगरीय स्थानीय निकायों को ही निष्पादन अनुदान की पात्रता होगी।

राज्य स्तर के साथ साथ नगर पालिक निगम स्तर पर एस.एल.बी. लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की प्रकाशन से पूर्व एस.एल.बी. प्रकोष्ठ द्वारा आवधिक समीक्षा नहीं की गयी थी।

राज्य स्तर पर एस.एल.बी. से सम्बन्धित अभिलेखों की समीक्षा में, यह पाया गया कि यद्यपि, एस.एल.बी. प्रकोष्ठ[7] का गठन किया गया था (फरवरी 2012), किन्तु 2013–18 की अवधि में, एस.एल.बी. प्रकोष्ठ द्वारा एस.एल.बी. लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की आवधिक समीक्षा नहीं की गई। परिणामस्वरूप, अधिसूचित वास्तविक लक्ष्यों की स्थिति एवं नगर पालिक निगमों द्वारा लक्ष्यों की उपलब्धियों की समीक्षा नहीं की जा सकी तथा त्रुटिपूर्ण एस.एल.बी. उपलब्धियों को राजपत्र में अधिसूचित किया गया।

इंगित किये जाने पर, राज्य सरकार ने स्वीकार (अक्टूबर 2018) किया कि राज्य स्तर पर एस.एल.बी. लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की पृथक निगरानी नहीं की गई थी।

दोनों नगर पालिक निगमों में नौ एस.एल.बी. संकेतकों से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि दोनों नगर पालिक निगमों में, डेटा एकत्रित करने तथा लक्ष्यों की उपलब्धियों की समीक्षा किये जाने के लिये अपर आयुक्त तथा एक नोडल अधिकारी (शहरी यंत्री) की अध्यक्षता में एक कोर टीम का गठन किया गया था। कोर टीम द्वारा नगर निगमों की सम्बन्धित शाखाओं द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के आधार पर चालू वर्ष की उपलब्धियों के साथ–साथ अगले वित्तीय वर्ष के लिये एस.एल.बी. लक्ष्यों को संकलित किया/बनाया गया एवं नगर पालिक निगमों के आयुक्त द्वारा निर्धारित किये गये लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक उपलब्धियों की, उचित तरीके से समीक्षा किये बिना राज्य सरकार को प्रकाशित करने के लिये प्रेषित किया गया। एस.एल.बी. लक्ष्यों,

---

5 जल आपूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं स्टार्म जल।

6 पानी कनेक्शन का कवरेज, प्रति–व्यक्ति जल आपूर्ति, मीटरिंग की स्थिति, जलप्रदाय, गैर राजस्व जल, जल आपूर्ति की अवधि, जलशोधन की पर्याप्तता, जन शिकायतों का निपटान, संचालन एवं संधारण वसूली तथा जलप्रभार की वसूली की दक्षता।

7 अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, शहरी शासी अधिकारी, सहायक यंत्री तथा एम.आई.एस. विशेषज्ञ।

उसकी उपलब्धियों तथा लेखापरीक्षा द्वारा आकलित वास्तविक उपलब्धियों की स्थिति ***परिशिष्ट 2.1.2*** में दर्शायी गई है। प्रत्येक अधिसूचित लक्ष्यों, उसकी उपलब्धि एवं वास्तविक स्थिति यथा प्राप्त एवं वितरित जल में अन्तर, गैर–राजस्व जल, प्रति व्यक्ति पानी की माँग एवं आपूर्ति, जल आपूर्ति की अवधि, जल कनेक्शन, मीटरिंग, जलशोधन की उपलब्धता (गुणवत्तापूर्ण जल), राजस्व वसूली, संचालन एवं संधारण लागत वसूली से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्षों की क्रमशः कण्डिका 2.1.6.3, 2.1.6.4. 2.1.6.5, 2.1.6.6, 2.1.6.9, 2.1.6.10, 2.1.7 तथा 2.1.8.2 में चर्चा की गई है।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया एवं बताया (अप्रैल 2019) कि नगर पालिक निगमों के आयुक्त को एस.एल.बी. लक्ष्यों एवं उपलब्धियों के निर्धारण हेतु आवधिक समीक्षा किये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। राज्य स्तर पर भी एस.एल.बी. प्रकोष्ठ द्वारा आवधिक समीक्षा की जाएगी।

तथ्य है कि अवधि 2013–2018 के दौरान, राज्य एस.एल.बी. प्रकोष्ठ के साथ–साथ नगर पालिक निगमों के कोर टीम द्वारा कोई आवधिक समीक्षा संचालित नहीं की गई। आयुक्त/अपर आयुक्त/कोर टीम के नोडल अधिकारी लक्ष्यों की समीक्षा करने सम्बन्धी अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे।

अनुशंसा: *राज्य एवं नगर पालिक निगम स्तर पर स्थापित एस.एल.बी प्रकोष्ठ को एस.एल.बी. लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की आवधिक समीक्षा करनी चाहिये।*

2.1.6.3 जल हानि के कारण, प्राप्त पानी एवं वितरित पानी की मात्रा में भारी अन्तर

सी.पी.एच.ई.ई.ओ. संचालन एवं संधारण मैनुअल के अनुसार, जल हानि को भौतिक[8] एवं अ–भौतिक[9] के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वितरण प्रणाली में, रिसाव खोजने में प्रमुख गतिविधियाँ प्राथमिक डेटा एकत्रण एवं योजना, पाईप की स्थिति एवं सर्वेक्षण, दबाव एवं गति का आकलन करना, रिसाव की स्थिति और रिसाव का आकलन हैं। सहायक यंत्री/उपयंत्री का यह उत्तरदायित्व है कि वह जल आपूर्ति के दौरान, सेवा क्षेत्र में निरीक्षण करें और दिखाई देने वाले रिसाव, रिसावयुक्त वाल्व, क्रास कनेक्शन देखें तथा सम्बन्धित सेवा क्षेत्र में समय पर रिसाव को खोजकर उस पर सुधारात्मक कार्यवाही करें।

प्राप्त कच्चे जल, शोधित एवं भोपाल को उच्चस्तरीय टंकियों (ओ.एच.टी.) के माध्यम से नागरिकों को वितरित करने के लिये प्रदाय जल से संबंधित अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि नगर पालिक निगम, भोपाल कार्यक्षेत्र में प्राप्त एवं वितरित जल में नीचे **तालिका 2.1.2** में दिखाये अनुसार अंतर था।

---

[8] भौतिक हानि, मुख्य रूप से पाईप लाईन, जोड़ों तथा संयोजन, जलाशयों में रिसाव तथा जलाशयों एवं सम्प से अतिप्रवाह के कारण होता है।

[9] अ–भौतिक हानि का मतलब, मुख्यरूप से अवैध तरीके से पानी की चोरी, असंबद्ध कनेक्शन, त्रुटिपूर्ण मीटर के कारण कम बिलिंग, उपभोक्ताओं द्वारा खुली या रिसाव युक्त टोंटी, सार्वजनिक नल तथा मोटे नलों के कारण पानी की हानि से है।

तालिका 2.1.2: नगर पालिक निगम, भोपाल क्षेत्र मे प्राप्त एवं वितरित जल की स्थिति

(जल एम.एल.डी. में)

वर्ष	शोधन हेतु प्राप्त कच्चे जल की मात्रा	शोधित जल की मात्रा	कच्चे जल एवं शोधित जल के बीच जल की हानि तथा उसका प्रतिशत	उच्च स्तरीय टंकियों/संग्राहकों से वितरित जल	उच्च स्तरीय टंकियों/संग्राहकों के बीच जल की हानि तथा उसका प्रतिशत	जल की हानि	प्राप्त कच्चे जल की तुलना में हानि का प्रतिशत
1	2	3	4 (2-3)	5	6 (3-5)	7 (2–5)	8
2013–14	1,50,920	1,44,220	6,700.00 (4)	1,05,010	39,210 (27)	45,910	30
2014–15	1,50,640	1,44,100	6,540.00 (4)	1,04,890	39,210 (27)	45,750	30
2015–16	1,66,360	1,59,200	7,160.00 (4)	1,02,730	56,470 (35)	63,630	38
2016–17	1,66,060	1,58,890	7,170.00 (4)	1,02,420	56,470 (36)	63,640	38
2017–18	1,98,143	1,90,651	7,492.00 (4)	1,01,891	88,760 (47)	96,252	49

(स्रोतः नगर पालिक निगम, भोपाल)

दोनों नगर पालिक निगमों में गैर–राजस्व जल 30 से 70 प्रतिशत तक होना पाया गया।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि कुल गैर–राजस्व[10] जल (एन.आर.डब्ल्यू.) की मात्रा 30 प्रतिशत से 49 प्रतिशत के मध्य थी तथा जल की हानि के निगरानी के लिये, वाल्व संचालन प्रणाली, रिसाव के यंत्र/प्रकोष्ठ के न होने से गैर राजस्व जल की मात्रा के प्रतिशत में बढ़ोत्तरी हो रही है, जो जल प्रदाय प्रबन्धन में निगरानी तंत्र की कमी को दर्शाता है। जबकि दूसरी ओर, नगर पालिक निगम, भोपाल की जल आपूर्ति शाखा द्वारा एस.एल.बी. के राजपत्र अधिसूचना में गैर–राजस्व जल की मात्रा 15 प्रतिशत से 26 प्रतिशत के बीच दिखाई की गई थी। यद्यपि, ओ.एच.टी. पर फ्लो मीटर[11] एवं उपभोक्ता के तरफ जल मीटर न होने से, ओ.एच.टी. एवं उपभोक्ता के मध्य होने वाली जल की हानि निर्धारित नहीं की जा सकती है।

उत्तर में, मुख्य यंत्री (जल आपूर्ति) नगर पालिक निगम, भोपाल ने बताया (फरवरी 2019) कि सम्बन्धित जोन के उपयंत्री एवं सहायक यंत्री को पानी की चोरी एवं लाईनों से होने वाली हानि के लिये जिम्मेदार ठहराया गया था। आगे, पानी की हानि को कम किये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

तथ्य है कि गैर–राजस्व जल को कम करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाही नहीं की गई।

नगर पालिक निगम, इन्दौर के मामले में, यह देखा गया कि मण्डलेश्वर जल शोधन संयंत्र से बिजलपुर, इन्दौर स्थित नियंत्रण टावर तक जो कि लगभग 70 कि.मी. दूरी पर स्थित था, को शोधित जल प्रेषित किया जा रहा था। जलशोधन संयंत्र से नियंत्रण कक्ष टावर तक भेजे जाने वाले शोधित जल की मात्रा की माप हेतु, कोई फ्लो मीटर्स स्थापित नहीं किये गये थे। इन्दौर शहर को वितरण हेतु जल शोधन संयंत्र से प्राप्त जल की स्थिति नीचे **तालिका 2.1.3** में दर्शायी गई है:

10 गैर–राजस्व जल में रिसाव के कारण हानि, अपव्यय, मीटरिंग की गलती, गैर जलप्रभार वाला जल तथा अवैधानिक कनेक्शन शामिल है।

11 फ्लो मीटर पानी के बहाव दर तथा कुल बहाव को नापने वाला एक यंत्र है।

तालिका 2.1.3: नगर पालिक निगम, इन्दौर क्षेत्र में प्राप्त एवं वितरित जल की स्थिति
(जल एम.एल.डी. में)

वर्ष	शोधन हेतु प्राप्त कच्चे जल की मात्रा	जारी शोधित जल की मात्रा	कच्चे जल एवं शोधित जल के बीच जल की हानि तथा उसका प्रतिशत	उच्च स्तरीय टंकियों में उपलब्ध जल	शोधित जल एवं उच्च स्तरीय टंकियों के बीच जल की हानि तथा उसका प्रतिशत	जल की हानि	प्राप्त कच्चे जल की तुलना में हानि का प्रतिशत
1	2	3	4 (2-3)	5	6 (3-5)	7 (2-5)	8
2013–14	*	98,592.27		55,826.97	42,765.30 (43)		
2014–15	1,27,190.00	1,18,676.00	8,514.00 (07)	44,953.77	73,722.23 (62)	82,236.23	65
2015–16	1,50,808.00	1,26,397.54	24,410.46 (16)	45,433.08	80,964.46 (64)	1,05,374.92	70
2016–17	1,67,624.00	1,33,866.30	33,757.70 (20)	51,215.95	82,650.35 (62)	1,16,408.05	69
2017–18	1,67,771.00	1,49,832.50	17,938.50 (11)	58,652.75	91,179.75 (61)	1,09,118.25	65

(स्रोतः नगर पालिक निगम, इन्दौर)* नगर पालिक निगम, इन्दौर में कच्चे पानी से सम्बन्धित कोई डेटा उपलब्ध नहीं था।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल जारी कच्चे जल के विरूद्ध वितरण के लिये उपलब्ध वास्तविक गैर–राजस्व जल की मात्रा 65 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच थी जबकि, नगर पालिक निगम, इन्दौर द्वारा राजपत्र अधिसूचना में इसे शून्य से 50 प्रतिशत के बीच बताया गया था, जो वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाता। अत्यधिक मात्रा में गैर–राजस्व जल का होना, रिसाव खोजी प्रणाली की अनुपलब्धता एवं पर्यवेक्षण अमले यथा अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री (जल प्रदाय) की निगरानी में कमी के कारण था। परिणामस्वरूप, बड़ी मात्रा में गैर–राजस्व जल के रूप में जल की हानि हुई। इसने नगर पालिक निगम, इन्दौर के जल आपूर्ति प्रणाली के अव्यवस्थित प्रबन्धन को दर्शाया। प्रभारी यंत्री, जलशोधन तथा वितरण की यह जिम्मेदारी थी कि वह पानी की हानि को रोकने एवं नियंत्रित करने के लिये प्रभावी कदम उठाता।

उत्तर में, आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर ने बताया (फरवरी 2019) कि लेखापरीक्षा द्वारा केवल उच्चस्तरीय टंकियों के माध्यम से वितरित की गई जल की मात्रा पर ही विचार किया गया है, जबकि अत्यधिक मात्रा में पानी सीधे (बिना उच्च स्तरीय टंकियों में संग्रहित किये) वितरित किया गया था।

नगर पालिक निगम, इन्दौर का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नगर पालिक निगम, इन्दौर उपभोक्ताओं को सीधे प्रदाय किये गये पानी की मात्रा नहीं बता सका तथा जल वितरण प्रणाली में जल की हानि के कारणों को सुनिश्चित नहीं कर सका।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया (अप्रैल 2019) गया कि गैर–राजस्व जल की मात्रा में क्रमबद्ध कटौती एवं पेय जल की गुणवत्ता व मात्रा के वैज्ञानिक नियंत्रण के लिये राज्य के सभी अमृत योजना क्रियान्वित करने वाले शहरों में पर्यवेक्षण एवं डेटा संग्रहण (एस.सी.ए.डी.ए.) प्रणाली लगायी जा रही थी।

2.1.6.4 रिसाव नियंत्रण कार्यक्रम का अस्तित्व में न होना

जल आपूर्ति प्रणाली के संचालन एवं संधारण सम्बन्धी सी.पी.एच.ई.ई.ओ. नियमावली में जल प्रदाय परियोजनाओं हेतु परिकल्पित है कि जल वितरण प्रणाली में जल का रिसाव पाईपों में रिसाव, पाईप के जोड़ों तथा संयोजन में रिसाव, जलाशयों तथा टंकियों से अतिरिक्त जल के बहाव के कारण होता है। रिसाव नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रिसाव के दिखाई देने एवं उसके सुधार में लगने वाले समय को न्यूनतम करना है। अ–लेखांकित जल (यू.एफ.डब्लू.) को 15 प्रतिशत तक सीमित किया जाना चाहिये। जल वितरण प्रणाली में मरम्मत के स्तर के सुधार हेतु एक मरम्मत अनुसूची तैयार किया जाना आवश्यक है तथा सहायक यंत्री/उप–यंत्री को इस अनुसूची का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना था। यह संचालन प्रबन्धन (कार्यपालन यंत्री) की जिम्मेदारी है कि वह रिसाव में कमी एवं नियंत्रण हेतु प्रकिया शुरू करे।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि नगर पालिक निगमों द्वारा न तो रिसाव (दृश्य एवं अदृश्य) खोजने हेतु कोई प्रक्रिया अपनाई गई न ही कोई रिसाव प्रकोष्ठ का गठन किया गया। दोनों नगर पालिक निगमों में, कुल 3530[12] रिसाव के प्रकरणों में से, लेखापरीक्षा द्वारा रिसाव की शिकायतों के 105[13] प्रकरणों की नमूना जाँच की गई की जिससे परिलक्षित हुआ कि प्रकरण 22 से 182 दिनों के विलम्ब से देखे गये। रिसाव की खोज एवं मरम्मत प्रक्रिया सम्बन्धी चरणों को नीचे दिये गये **चार्ट: 2.1.2** में दर्शाया गया है:

चार्ट-2.1.2: रिसाव की खोज एवं मरम्मत की प्रक्रिया

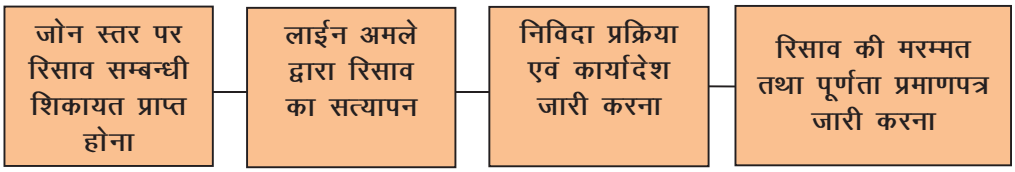

नगर पालिक निगमों द्वारा रिसाव को खोजने एवं मरम्मत के लिये उपरोक्त प्रक्रिया का अनुपालन किये जाने से सम्बन्धित संधारित अभिलेख यथा शिकायत पंजी, मरम्मत नस्ती, निविदा पंजी के माध्यम से देखा गया। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सहायक यंत्री/उपयंत्री कार्यपूर्णता प्रमाण–पत्र जारी करते हैं। तथापि, शिकायत प्राप्त होने एवं उसकी पुष्टि किये जाने सम्बन्धी अवधि सुनिश्चित करने वाला कोई भी अभिलेख/पुष्टि नोट संधारित होना नहीं पाया गया। आगे, यह भी देखा गया कि रिसाव के स्थल के सत्यापन के पश्चात, प्रत्येक प्रकरण में, परिक्षेत्र/वार्ड स्तर पर निविदा प्रक्रिया आरम्भ की गई थी। परिणामस्वरूप, नगर पालिक निगम, भोपाल एवं नगर पालिक निगम, इन्दौर में, मरम्मत कार्य के कार्यादेश जारी करने में क्रमशः 38 से 178 दिन तथा 20 से 151 दिन का विलम्ब था। आगे, नगर पालिक निगम, भोपाल एवं नगर पालिक निगम, इन्दौर में, मरम्मत हेतु कार्यादेश जारी किये जाने एवं रिसाव मरम्मत के कार्य के पूर्ण होने के बीच क्रमशः 01 से 06 दिन एवं 01 से 12 दिन का विलम्ब पाया गया। विलम्ब का मुख्य कारण दोनों नगर पालिक निगमों द्वारा अपनाई गई टेण्डर प्रक्रिया को माना जा सकता है, क्योंकि नगर पालिक निगमों द्वारा संपूर्ण वार्षिक दर–अनुबन्ध नहीं अपनाया गया था। वर्षवार लीकेज प्रकरण एवं नियंत्रण टावर से उपभोक्ताओं तक व्यय

[12] ग्रेविटी मेन– 657 एवं वितरण – 2873।

[13] नगर पालिक निगम, भोपाल–17 प्रकरण एवं नगर पालिक निगम, इन्दौर–88 प्रकरण।

नीचे **तालिका 2.1.4** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1.4: रिसाव प्रकरणों एवं उनकी मरम्मत पर व्यय की वर्षवार स्थिति

(राशि ₹ करोड़ में)

स. क्र.	वर्ष	रिसाव प्रकरणों की कुल संख्या		रिसाव प्रकरणों की संख्या				रिसाव मरम्मत पर किया गया व्यय	
				ग्रेविटी मुख्य		वितरण			
		नगर पालिक निगम, भोपाल	नगर पालिक निगम, इन्दौर	नगर पालिक निगम, भोपाल	नगर पालिक निगम, इन्दौर	नगर पालिक निगम, भोपाल	नगर पालिक निगम, इन्दौर	नगर पालिक निगम, भोपाल	नगर पालिक निगम, इन्दौर
01	2013–14	63	239	03	41	60	198	0.12	1.59
02	2014–15	124	471	12	40	112	431	0.26	2.55
03	2015–16	133	598	12	42	121	556	0.30	3.09
04	2016–17	154	884	08	76	146	808	0.42	4.24
05	2017–18	183	681	09	70	174	611	0.45	3.36
कुल		**657**	**2873**	**44**	**269**	**613**	**2604**	**1.55**	**14.83**

(स्रोतः नगर पालिक निगम)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि नियमित संचालन एवं संधारण कार्य योजना न बनाये जाने के कारण वर्षवार रिसाव के प्रकरणों एवं उनके सुधार पर होने वाले व्यय में वृद्धि हो रही थी। मरम्मत में होने वाले विलम्ब को दर–अनुबन्ध अपना कर टाला जा सकता था। आगे, यह भी स्पष्ट है कि वितरण[14] लाईनों में रिसाव ग्रेविटी[15] मेन की तुलना में अधिक थे। यह दर्शाता है कि वितरण लाइनों में दबाव नियंत्रण के लिये दबाव नियंत्रण प्रणाली अस्तित्व में नहीं थी। इस प्रकार, लाइनों से होने वाली पानी की हानि को रोकने में अधीक्षण यंत्री तथा सम्बन्धित सहायक यंत्री/उप यंत्री असफल रहे थे।

14 मुख्य वितरण को इस तरह बनाया जाता है, जिससे वे अधिक मात्रा में पानी को स्त्रोत से मुख्य वितरण लाईनों में ले जायें।

15 ग्रेविटी योजना बिना पम्पिंग किये पानी के वितरण की योजना है; इसका उपयोग केवल पृथ्वी के गुरूत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा, जल का उच्चतर प्रवेश बिन्दु से निचले निकासी के लिये होता है।

नीचे दिये गये फोटोग्राफ नगर पालिक निगमों की मुख्य लाईन में रिसाव को प्रदर्शित करते हैं:

नगर पालिक निगमों के जलप्रदाय की मुख्य लाइनों में रिसाव को दर्शाते हुए फोटोग्राफ

कोलार, भोपाल की मुख्य प्रदाय लाईन में रिसाव

विधान सभा भवन के पास में वाल्ब के रिसाव

नर्मदा मुख्य प्रदाय लाईन भोपाल, में रिसाव

रेवाकुण्ड इन्टेकवेल, इन्दौर के पास रिसाव

नर्मदा डेम इन्दौर, फेज III के इन्टेक सह पम्पिंग स्टेशन के पास रिसाव

नर्मदा जलशोधन संयंत्र इन्दौर के पास अदृश्य रिसाव

इंगित किये जाने पर, आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल ने स्वीकार (दिसम्बर 2018) किया कि रिसाव के खोजने/मरम्मत के लिये पृथक से प्रकोष्ठ नहीं बनाया गया था। जब और जहाँ रिसाव प्रकरण सम्बन्धित यंत्री के संज्ञान में आए तद्नुसार उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।

उत्तर में, आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर ने बताया (फरवरी 2019) कि शहरी क्षेत्र की जल वितरण की पाइप लाईन्स बहुत पुरानी थीं और निर्माण कार्यों जैसे– फ्लाईओवर का निर्माण, गैस पाइप लाईनों और टेलीफोन केबल के बिछाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थीं। पानी की आपूर्ति के अदृश्य रिसाव के कारण प्रभावित होने वाले क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया (अप्रैल 2019) गया कि नगर पालिक निगमों में अमृत एवं यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत कार्य प्रगति पर हैं। योजनाओं के पूर्ण होने के उपरान्त जल की हानि नियंत्रण में आ जाएगी।

तथ्य है कि नगर पालिक निगमों द्वारा रिसाव की कमी करने हेतु कोई समुचित प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी तथा रिसाव मरम्मत के प्रयासों में विलम्ब के कारण पानी की हानि को रोकने में असफल रहे।

अनुशंसा: *पानी के रिसाव से होने वाली हानि को कम करने हेतु रिसाव खोजी प्रकोष्ठ बनाया जाना चाहिये तथा रिसाव के मरम्मत के समय को कम करने के लिये वार्ड/जोन या निगम स्तर पर अनुबन्ध दर प्रणाली अंगीकृत किया जाना चाहिये।*

2.1.6.5 जल की लक्षित मांग एवं वास्तविक जल आपूर्ति में भारी अन्तर

सी.पी.एच.ई.ई.ओ. मैनुअल एवं शहरी विकास मंत्रालय की एस.एल.बी. निर्देशिका में प्रावधानित है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को पूर्ण फ्लशिंग प्रणाली सहित सभी कार्यों हेतु, 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिये। इस कार्य हेतु, वास्तविक आवश्यकता का आकलन निकाय क्षेत्र में सर्वे किया जा कर सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

प्रति व्यक्ति जल प्रदाय सम्बन्धी एस.एल.बी. संकेतकों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि नगर पालिक निगमों द्वारा प्रति व्यक्ति पानी की माँग की गणना जलशोधक संयंत्र पर शोधन हेतु उपलब्ध पानी के आधार पर की गई थी। तथापि, उच्चस्तरीय टंकियों से प्रदाय किये गये जल के आधार पर प्रति व्यक्ति पानी माँग की गणना[16] किये जाने पर देखा गया कि नगर पालिक निगमों द्वारा जल प्रदाय हेतु निर्धारित लक्ष्यों, नगर पालिक निगमों द्वारा दावाकृत जल प्रदाय उपलब्धियों तथा उपभोक्ताओं को वास्तविक प्रदाय किये गये जल में अन्तर पाया गया जैसा कि नीचे चार्ट में वर्णित है:

चार्ट–2.1.3 नगर पालिक निगम, भोपाल में जल की माँग एवं आपूर्ति
(लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन में)

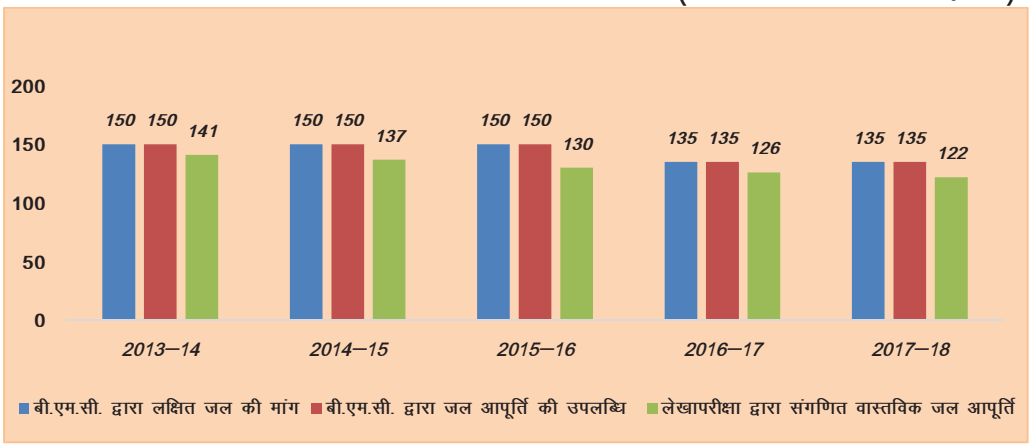

(स्रोतः नगर पालिक निगम, भोपाल)

चार्ट–2.1.4 नगर पालिक निगम, इन्दौर में जल की माँग एवं आपूर्ति
(लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन में)

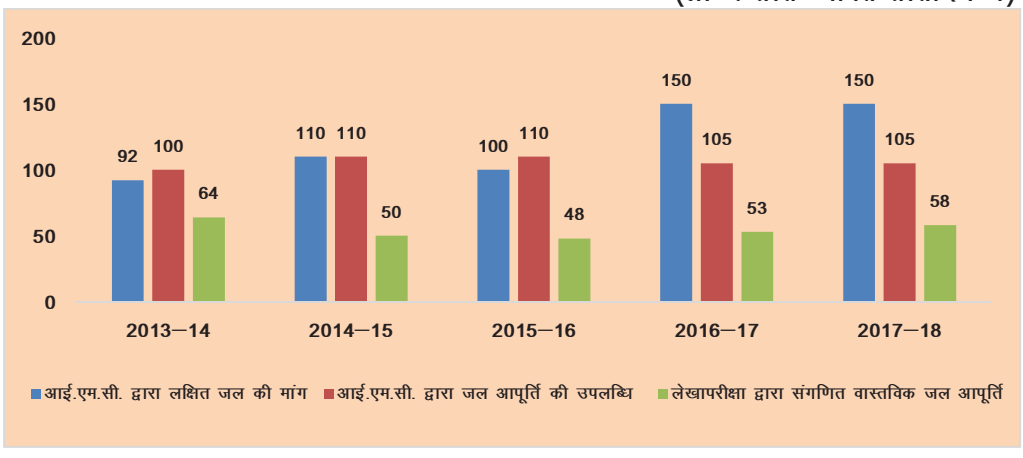

(स्रोतः नगर पालिक निगम, इन्दौर)

वास्तविक जल आपूर्ति एवं जल आपूर्ति उपलब्धियों में भारी अन्तर होना।

उपरोक्त चार्ट (2.1.3 तथा 2.1.4) से स्पष्ट है कि नगर पालिक निगमों द्वारा दर्शाये गए लक्षित जल मांग एवं जल आपूर्ति तथा लेखापरीक्षा द्वारा संगणित वास्तविक जल आपूर्ति

[16] कुल जल प्रदाय प्रतिदिन लीटर में/वृद्धि दर के अनुसार जनसंख्या।

में अन्तर एस.एल.बी. लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की समीक्षा नगर पालिक निगमों द्वारा न किये जाने के कारण एवं उच्च स्तरीय टंकी द्वारा वास्तविक जल आपूर्ति की जगह, शोधन संयंत्र में उपलब्ध कुल जल की मात्रा को गणना में लिये जाने के कारण था, जो नगर निगमों के पर्यवेक्षण अमले के निरीक्षण में कमी को इंगित करता है। हालांकि, नगर पालिक निगम, भोपाल की उपलब्धि तय लक्ष्य से सीमांत रूप से कम थी; नगर पालिक निगम, इन्दौर की उपलब्धियों में सारभूत कमी थी।

नगर पालिक निगम, इन्दौर में लेखापरीक्षा द्वारा संगणित वास्तविक जल आपूर्ति 48 से 64 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के विरूद्ध नगर पालिक निगम द्वारा प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति एस.एल.बी. उपलब्धियों में बढ़ाकर 100 से 110 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के बीच दर्शायी गई थी। हालांकि, नगर पालिक निगम, भोपाल में लेखापरीक्षा द्वारा आकलित जल आपूर्ति से सम्बन्धित एस.एल.बी. उपलब्धियों और वास्तविक जल आपूर्ति के मध्य नौ प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक का अन्तर था।

उत्तर में, आयुक्त, नगर पालिक निगमों ने बताया (फरवरी एवं मार्च 2019) कि जल की माँग की गणना सेवा की गयी जनसंख्या के आधार पर की गई थी। तथापि, सर्वेक्षण न किये जाने तथा एस.एल.बी. लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की समीक्षा न किये जाने के कोई कारण नहीं बताये गये।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) में, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा इस मुद्दे पर कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

तथ्य है कि नगर पालिक निगमों ने उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया।

2.1.6.6 पानी के समान वितरण हेतु अनुचित क्षेत्रीकरण (Improper zoning) किया जाना

सी.पी.एच.ई.ई.ओ. संचालन एवं संधारण मैनुअल में परिकल्पित है कि वितरण प्रणाली में क्षेत्रीकरण पानी की बराबर आपूर्ति को सर्वत्र सुनिश्चित करता है। परिक्षेत्रों के मध्य में वाल्व, आंशिक रूप से खुले न रखकर, बन्द रखा जाना चाहिये। ले–आउट ऐसा होना चाहिये कि एक ही परिक्षेत्र या एक ही प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों के बीच दबाव का अन्तर तीन से पांच मीटर से अधिक न हो। संचालन एवं संधारण मैनुअल के अनुसार, अधीक्षण यंत्री का उत्तरदायित्व है कि वह सम्बन्धित सेवा क्षेत्रों में वितरण अनुसूची के अनुसार, सेवा जलाशयों एवं होदों (*sumps*) में इनफ्लो[17] के पुनर्निर्धारण की निगरानी एवं समीक्षा करें। सम्बन्धित सहा.यंत्री/कनिष्ठ यंत्री/उप–यंत्री को वितरण लाईनों में वितरण दबाव को नियंत्रित करना है।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि नगर पालिक निगमों ने विभिन्न परिक्षेत्रों में वितरण व्यवस्था को बांट दिया था तथा वितरण व्यवस्था में दबाव को नियमित करने हेतु वाल्व लगाये थे। तथापि, क्षेत्रों में दबाव नापने हेतु दबाव नियंत्रक नहीं लगाये गये थे तथा वाल्व संचालन अनुसूची का संधारण नहीं किया गया था। इस प्रकार, वाल्व संचालन अनुसूची तथा दबाव नापने हेतु यंत्र की अनुपलब्धता के कारण, सभी परिक्षेत्रों में निर्धारित दबाव एवं पानी का समान वितरण किया जाना लेखापरीक्षा द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका। आगे, नगर पालिक निगमों में यह भी देखा गया कि पानी की आपूर्ति एक दिन के अन्तराल से 30 से 60 मिनिट तक की जा रही थी जबकि, भोपाल के पाँच परिक्षेत्र (01, 03, 06, 09 तथा 16) में तथा इन्दौर के चार परिक्षेत्र (09, 12, 13 तथा 16) में पानी की आपूर्ति दैनिक आधार पर 30 से 60 मिनिट की जा रही थी। नीचे दर्शित नगर पालिक निगमों के नक्शों में असमान जल आपूर्ति इंगित हैं:

---

[17] यूनिट समय में आने वाले जल का औसत आयतन।

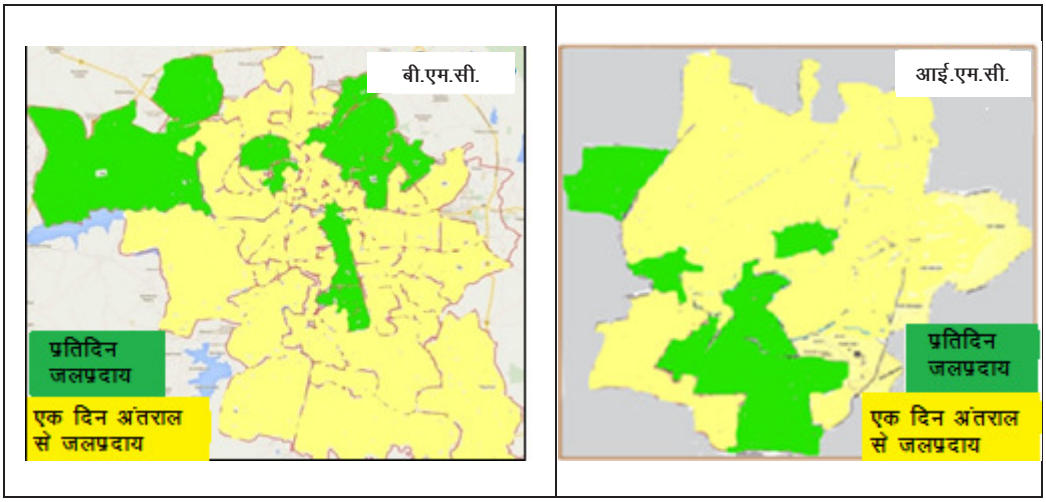

(स्रोतः नगर पालिक निगम, भोपाल एवं नगर पालिक निगम, इन्दौर)

लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह देखा (अगस्त 2018 एवं अक्टूबर 2018) गया कि नगर पालिक निगम, भोपाल के क्षेत्रों 01, 06 और 19 तथा नगर पालिक निगम, इन्दौर के क्षेत्रों 01, 10, 13, 18 और 19 में जल का दबाव अंतिम छोर पर बहुत कम था। आगे, नगर पालिक निगम, इन्दौर से सम्बन्धित उच्च स्तरीय टंकी भरे जाने सम्बन्धी अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि उच्च स्तरीय टंकी पूर्ण धारित क्षमता के साथ नहीं भरी गयी थी जो कम दबाव के कारणों में से एक था। तथापि, नगर पालिक निगम, भोपाल एवं नगर पालिक निगम, इन्दौर द्वारा एस.एल.बी. राजपत्र अधिसूचना में जल आपूर्ति की अवधि क्रमशः दो से चार घण्टे एवं 30 मिनिट से एक घण्टा प्रतिदिन इंगित की गई थी।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने बताया (अप्रैल 2019) कि चिन्हित की गई आबादी के लिये प्रत्येक उच्च स्तरीय टंकी से वांछित अवशिष्ट दबाव पर आवश्यक पानी की आपूर्ति हेतु जिला मीटरिंग क्षेत्र (डी.एम.ए.) बनाया जा चुका है।

2.1.6.7 वितरण प्रणाली के नक्शे एवं प्रोफाईल ड्राईंग को अद्यतन न किया जाना

सी.पी.एच.ई.ई.ओ. संचालन एवं संधारण नियमावली में यह परिकल्पित है कि वितरण प्रणाली हेतु व्यापक नक्शे, जो पूर्ण वितरण प्रणाली के जलाशयों की स्थिति, पम्पिंग स्टेशनों, वाल्वों की स्थिति नक्शे एवं हाईड्रेन्टों इत्यादि का संपूर्ण चित्रण करते हों, बनाये जाने चाहिये। यह भी परिकल्पित है कि योजना एवं प्रोफाईल चित्रण जिसमें पाईप की गहराई, पाईप की स्थिति तथा स्थिति बिन्दु से दूरी दर्शाई गई हो, भी तैयार किये जाने चाहिए। आगे, ये नक्शे परम्परागत सर्वेक्षण[18] के माध्यम से अद्यतन भी किये जाने चाहिये। वितरण प्रणाली की योजना/नक्शों को अद्यतन करने का दायित्व संचालन प्रबन्धन (कार्यपालन यंत्री) का है।

परम्परागत सर्वे के माध्यम से वितरण प्रणाली के नक्शों एवं ड्राईंग को अद्यतन किये जाने सम्बन्धी कोई भी अभिलेख चयनित नगर निगमों में उपलब्ध नहीं था, जैसा कि सी.पी. एच.ई.ई.ओ. संचालन एवं संधारण मैनुअल में इंगित था।

18 परम्परागत सर्वे का अभिप्राय, सर्वे किये जाने की विधि जैसे–जमीनी सर्वे, टोपोग्राफी तथा परम्मरागत विधियों से है।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने बताया (अप्रैल 2019) कि नगर पालिक निगम, भोपाल एवं इन्दौर को वितरण प्रणाली के नक्शे एवं प्रोफाईल ड्राईंग को अद्यतन किये जाने एवं इससे सम्बन्धित निर्धारित अभिलेख संधारित किये जाने हेतु निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

2.1.6.8 संचालन एवं संधारण कार्ययोजना तैयार न किया जाना

सी.पी.एच.ई.ई.ओ. संचालन एवं संधारण मैनुअल के अनुसार, सभी सुविधाओं को शामिल करते हुए, एक विस्तृत संचालन एवं संधारण योजना बनाई जानी चाहिये। एक केन्द्रीय संचालन एवं संधारण प्रकोष्ठ का भी गठन किया जाना चाहिये जिसकी यह जिम्मेदारी होगी की वह संचालन एवं संधारण योजना में समाहित सभी संचालन एवं संधारण गतिविधियों का पर्यवेक्षण, निगरानी एवं विश्लेषण करे। पर्यवेक्षकों की यह जिम्मेदारी होगी कि प्रबन्धन द्वारा तैयार की गई योजना संबन्धी जाँच–सूची को अपनाते हुए संचालन एवं संधारण को देखे। अधीक्षण यंत्री की अध्यक्षता में संचालन एवं संधारण प्रबन्धन का यह उत्तरदायित्व है कि वह संचालन एवं प्रबन्धन कार्य योजना बनाये।

दोनों नगर पालिक निगमों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि कोई संचालन एवं संधारण कार्ययोजना नहीं बनाई गई थी। यह भी देखा गया कि न ही पर्यवेक्षण अमले को संचालन एवं संधारण से सम्बन्धित कोई जिम्मेदारी दी गई थी न ही इस कार्य हेतु कोई जाँच–सूची बनाई गई थी। आगे, जलशोधन संयंत्र एवं पम्प घरों के स्थल पर निरीक्षण पंजियों का संधारण भी नहीं किया गया था। इस प्रकार, अधीक्षण यंत्री द्वारा संचालन एवं संधारण कार्ययोजना बनाये जाने सम्बन्धी कर्तव्य को पूर्ण नहीं किया गया तथा पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण के समर्थन में निरीक्षण पंजी का संधारण नहीं किया गया था। फलस्वरूप, मरम्मत प्रकरण एवं उसके सुधार हेतु किये गये व्यय में वर्ष दर वर्ष बढ़ोत्तरी हो रही थी, जैसा कि उपर दी गई **तालिका 2.1.4** में दर्शाया गया है।

निरीक्षण एवं संधारण पंजियों के अभाव में, नियमित एवं समय पर मशीनों की समयोचित संधारण तथा पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण की पुष्टि नहीं हो सकी।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने बताया (अप्रैल 2019) कि नगर पालिक निगमों के आयुक्त को एक समर्पित संचालन एवं संधारण प्रकोष्ठ का गठन करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। प्रकोष्ठ का अधिकारी प्रणाली का आवधिक निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करेगा तथा उचित अभिलेख भी संधारित किया जावेगा।

2.1.6.9 बिना जल कनेक्शनों के रहवासी

एस.एल.बी. के अनुसार, सभी रहवासियों को जल कनेक्शन नेटवर्क में लाया जाना है। आगे, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने परिपत्र जारी (मार्च 2017) किया था जिसमें नगरीय स्थानीय निकायों को संपत्तियों का सर्वेक्षण कराना तथा ऐसी परिसंपत्तियों को चिन्हित करना था जिनके पास कनेक्शन नहीं हैं, तथा जल कनेक्शन शिविर के आयोजन द्वारा जल कनेक्शन प्रदान करने हेतु आवश्यक कदम उठाया जाना परिकल्पित था।

4.11 लाख रहवासी जल कनेक्शन के दायरे से बाहर रहे।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 9.41[19] लाख रहवासियों में से केवल 5.30[20] लाख (56.32 प्रतिशत) रहवासियों में ही अधिकृत जल कनेक्शन था तथा 4.11[21] लाख (43.68 प्रतिशत) रहवासी जल कनेक्शन के दायरे से बाहर थे।

नीचे दर्शाये गये बार–चार्ट, जल कनेक्शन वाले एवं बगैर जल कनेक्शनों वाले परिवार की स्थिति दर्शाते हैं:

चार्ट–2.1.5 नगर पालिक निगम, भोपाल के रहवासियों, अधिकृत एवं बगैर कनेक्शनों की वर्षवार स्थिति

(आंकड़े लाख में)

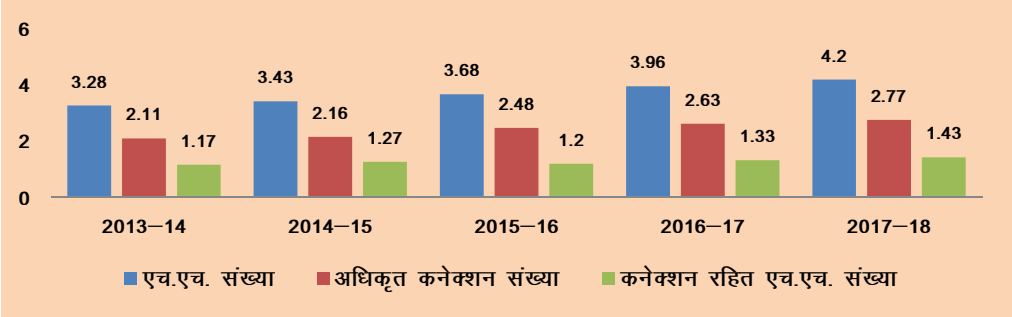

(स्रोतः नगर पालिक निगम, भोपाल के अभिलेख)

उपरोक्त चार्ट में, 63,447[22] रहवासियों जिन्हें 555[23] बल्क कनेक्शनों के माध्यम से जल आपूर्ति की जा रही थी, को भी विश्लेषण हेतु शामिल किया गया था।

चार्ट–2.1.6 नगर पालिक निगम, इन्दौर के रहवासियों, अधिकृत एवं बगैर कनेक्शनों की वर्षवार स्थिति

(आंकड़े लाख में)

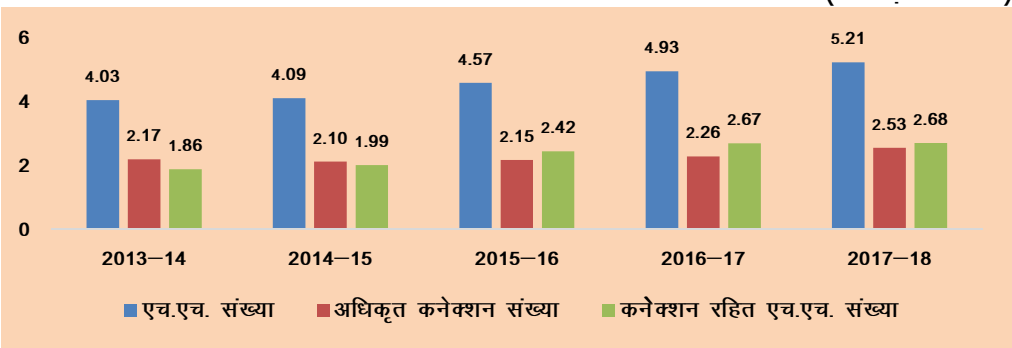

(स्रोतः नगर पालिक निगम, इन्दौर के अभिलेख)

---

19 नगर पालिक निगम, भोपाल में 4.20 लाख रहवासी और नगर पालिक निगम, इन्दौर में 5.21 लाख रहवासी।

20 नगर पालिक निगम, भोपाल में 2.77 लाख कनेक्शन और नगर पालिक निगम, इन्दौर में 2.53 लाख कनेक्शन।

21 नगर पालिक निगम, भोपाल में 1.43 लाख रहवासी बगैर जल कनेक्शन के और नगर पालिक निगम, इन्दौर में 2.68 लाख रहवासी बगैर जल कनेक्शन के होना।

22 8,280; 749; 19,861 तथा 34,557 मकान क्रमशः बहुमंजिला, सात मंजिला और कालोनियों में स्थित हैं।

23 154 बल्क कनेक्शन, 133 बहुमंजिला, 08 सात मंजिला और 260 कालोनियाँ।

नगर पालिक निगम, इन्दौर में, 658 बल्क कनेक्शन के माध्यम से प्रदाय जल को भी विश्लेषण हेतु, उपरोक्त चार्ट में शामिल किया गया है।

आगे, उपरोक्त **चार्ट 2.1.5** से स्पष्ट है कि 2013–18 की अवधि के दौरान नगर पालिक निगम, भोपाल में, कुल रहवासियों की तुलना में वास्तविक नल कनेक्शन 63 से 68 प्रतिशत के मध्य थे। तथापि, नगर पालिक निगम, भोपाल द्वारा वर्ष 2013–18 के दौरान एस.एल.बी. उपलब्धियाँ 67 से 93 प्रतिशत की रेंज में बढ़ाकर आँकड़े अधिसूचित किये गये थे।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने बताया (अप्रैल 2019) कि दोनों नगर पालिक निगमों के सभी रहवासियों को जल कनेक्शन के दायरे में लाने के लिये निर्देशित किया जाएगा।

तथ्य है कि नगर पालिक निगमों के आयुक्त द्वारा, एस.एल.बी. उपलब्धियों की समीक्षा किये बिना डेटा बढ़ाकर प्रतिवेदित किये गये, तथा 4.11 लाख रहवासी जल कनेक्शन के दायरे से अभी भी बाहर थे।

2.1.6.10 बिना मीटरों के जल कनेक्शन

सी.पी.एच.ई.ई.ओ. संचालन एवं संधारण मैनुअल के अनुसार, पानी का मीटर जल उपभोक्ताओं को वितरित पानी की मात्रा के वास्तविक मापन के लिये एक वैज्ञानिक उपकरण है। आगे, शहरी विकास मंत्रालय के एस.एल.बी. में विशिष्ट रूप से उल्लेखित है कि जल कनेक्शनों में शत–प्रतिशत मीटरिंग की जानी चाहिये।

जल मीटर लगाये जाने पर ₹ 16.53 करोड़ का अलाभकारी व्यय।

प्रभारित जल प्रभार एवं उसकी वसूली सम्बन्धी अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि नगर पालिक निगम, भोपाल द्वारा जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत 1,41,393[24] जल मीटर की स्थापना हेतु एक निविदा (दिसम्बर 2012) स्वीकृत की गई थी तथा राशि **₹** 16.53[25] करोड़ का भुगतान (सितम्बर एवं अक्टूबर 2018) किया गया था। तथापि, किसी भी उपभोक्ता को मीटर वाचन के आधार पर जल प्रभार के बिल नहीं दिये गये।

नगर पालिक निगम, इन्दौर के मामले में कोई मीटर नहीं लगाये गये थे तथा जल प्रभार की वसूली एक समान दर से की गई थी। जबकि, एस.एल.बी. के राजपत्र में, नगर पालिक निगम, भोपाल एवं नगर पालिक निगम, इन्दौर में मीटरिंग की स्थिति क्रमशः 20 से 72 प्रतिशत तथा तीन से 25 प्रतिशत के मध्य तक बढ़ा कर बतायी गयी थी। तथापि, नगर पालिक निगमों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कारण सूचित नहीं किये गये।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने बताया (अप्रैल 2019) कि नगर पालिक निगम, भोपाल द्वारा बताया गया है कि स्पॉट बिलिंग के लिये कार्यादेश जारी (अप्रैल 2018) कर दिया गया था जबकि नगर पालिक निगम, इन्दौर ने बताया कि मीटरिंग अमृत योजनान्तर्गत किये जायेंगे।

तथ्य है कि जल कनेक्शनों में मीटरिंग न होने से, निगमों की राजस्व वसूली प्रभावित हुई है।

अनुशंसा: *सभी रहवासियों को जल प्रदाय कनेक्शन नेटवर्क में लाये जाने तथा शत प्रतिशत मीटरिंग हेतु प्रभावी कार्रवाई की पहल की जानी चाहिये।*

---

[24] अनुबन्ध 21: 88,829 मीटर के लिये (1152/-@ ₹ 1100 प्रति नग) तथा अनुबन्ध 29: 52,564 मीटर के लिये (₹ 1287 प्रति नग)।

[25] ₹ 9.77 करोड़ (88,829*1100/– प्रति नग) तथा ₹ 6.76 करोड़ (52,564*1287/– प्रति नग) कुल ₹ 16.53 करोड़।

2.1.6.11 संवहनीय विकास लक्ष्य–6 के कार्यान्वयन हेतु कोई तैयारी न होना

संवहनीय विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.)–6 में वर्ष 2030 तक सभी को सुरक्षित एवं सस्ता पेयजल उपलब्ध कराना, पानी की गुणवत्ता में सुधार, पानी के उपयोग की दक्षता बढ़ाना, पानी से सम्बन्धित इकोसिस्टम को सुरक्षित करना एवं इसे बनाये रखना और जल प्रबन्धन में सुधार हेतु सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना परिकल्पित है। यह भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रगति के लिये बनाये गये लक्ष्यों एवं उसके लागू करने सम्बन्धी प्रगति की अनुवर्ती समीक्षा करें। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा इस कार्य के लिये एक उच्चस्तरीय परिचालन समिति (एच.एल.एस.सी.) का गठन (अक्टूबर 2018) किया गया है। राज्य स्तर पर, राज्य नीति आयोग, मध्य प्रदेश शासन, द्वारा एस.डी.जी. प्रकोष्ठ का गठन नवम्बर 2018 में किया गया था।

राज्य स्तर पर संवहनीय विकास लक्ष्य–6 के लिये कोई तैयारी न करना।

संवहनीय विकास लक्ष्य–6 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में पूछे जाने पर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा सूचित (मई 2018) किया गया कि इस सम्बन्ध में न तो कोई समिति बनाई गई है न ही सामुदायिक सहभागिता के साथ साथ जल उपयोग की दक्षता सुधार हेतु कोई योजना बनाई गई थी। आगे, राज्य स्तर पर यह सूचित किया (फरवरी 2019) गया कि इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई थी।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने बताया (अप्रैल 2019) कि जल प्रदाय से सम्बन्धित कई योजनाएं यथा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना, यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी., अमृत तथा मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना स्वीकृत की गई थी; सभी योजनाओं को 2020 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया था। योजनाओं के पूर्ण होने के उपरान्त सुरक्षित एवं सस्ता जल पर्याप्त मात्रा में सभी लोगों को उपलब्ध होगा।

तथ्य है कि राज्य स्तर पर, एस.डी.जी. लक्ष्य–6 की प्राप्ति के लिये न तो कोई योजना का मानचित्रण किया गया था न ही कोई मार्गदर्शिका/कार्ययोजना तैयार की गई थी।

2.1.7 प्रदायित जल की गुणवत्ता

भारतीय मानक ब्यूरो 10500 के अनुसार, मानव उपभोग के लिये उपयोग किये जाने वाला पीने का पानी भौतिक, रसायनिक, जैविक और जीवाण्विक उदाहरण स्वरूप रंग, गंध, पीएच, गन्दलापन, कुल घुलनशील ठोस, कठोरता, क्षारीयता, तत्व तथा यौगिक जैसे– आयरन, मेंगनीज, सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, आर्सेनिक, क्रोमियम, तांबा, सायनाइड, सीसा, पारा, जींक और कोलीफार्म बैक्टेरिया आदि के सम्बन्ध में आवश्यक मापदंडों का पालन करेगा।

2.1.7.1 आपूर्ति की गई जल की गुणवत्ता सुनिश्चित न किया जाना

राज्य जल नीति परिकल्पित करती है कि सतही जल एवं भू–जल की गुणवत्ता का परीक्षण नियमित रूप से सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जाना चाहिये। सी.पी.एच.ई.ई.ओ. नियमावली के अनुसार, जल कार्य प्रबन्धन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आपूर्ति किया गया पानी स्वादिष्ट हो तथा अवांछनीय स्वाद एवं रोगजनक जीवों से मुक्त हो, जिसके लिये योग्य कर्मियों द्वारा संचालित पर्याप्त सुविधाओं वाली प्रयोगशालाएं आवश्यक हैं। पानी की प्रयोगशाला जाँच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को पीने योग्य पानी, पीने के पानी के मानकों के अनुरूप प्रदान किया जाता है। संचालन एवं संधारण नियमावली यह कहती है कि एलम की मात्रा, क्लोरिन की मात्रा का पर्यवेक्षण करना, संचालन प्रबन्धन (कार्यपालन यंत्री) की जिम्मेदारी है। मानदण्डों का निरीक्षण करने के लिये, प्रयोगशाला में मुख्यतः चार प्रकार के परीक्षण जैसे कि भौतिक, रसायनिक, जीवाण्विक और जैविक विश्लेषण कराये जाने थे, **तालिका 2.1.5** में दिये गये हैं:

तालिका 2.1.5 जल परीक्षणों के प्रकार जिन्हें किया जाना अपेक्षित था

स. क्र.	परीक्षण का प्रकार	परीक्षण का संक्षिप्त विवरण
01	भौतिक विश्लेषण	यह विश्लेषण अच्छी गुणवत्ता निर्धारित करता है और उपचार ईकाईयों के निष्पादन का आकलन करता है।
02	रसायनिक विश्लेषण	यह रसायनिक पदार्थों की सांद्रता का विश्लेषण करता है जो पानी के गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है।
03	जीवाण्विक विश्लेषण	यह परीक्षण जीवाणुओं की उपस्थिति, प्रदूषण की विशेषताएं इंगित करता है और इसलिये पानी के उपयोग हेतु सुरक्षित होना इंगित करता है।
04	जैविक विश्लेषण	यह पानी में आपत्तिजनक स्वाद और गंधों के कारण या फिल्टर के क्लॉजिग और उपचारात्मक परीक्षण माप को निर्धारित करने के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

(स्रोतः सी.पी.एच.ई.ई.ओ. नियमावली)

जल नमूनों के अवमानक प्रतिवेदनों पर समय से कार्यवाही नहीं की गयी।

नगर पालिक निगमों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि 2013 से 2018 की अवधि में नगर पालिक निगम, भोपाल द्वारा 2,99,692[26] तथा नगर पालिक निगम, इन्दौर द्वारा 74,889[27] जल के नमूने विभिन्न स्रोतों से नियमित रूप से एकत्र तथा जाँचे गये। नगर पालिक निगम, भोपाल में कोई भी प्रतिकूल भौतिक एवं रसायनिक नमूने प्रतिवेदित नहीं किये गये, जबकि 433 जैविक नमूने प्रतिकूल पाये गये। नगर पालिक निगम, इन्दौर में 3074[28] भौतिक, 147[29] रसायनिक तथा 827[30] जीवाण्विक नमूने बी.आई.एस. मानक 10500 के नीचे पाए गये। नगर पालिक निगम, इन्दौर के प्रतिकूल प्रतिवेदनों पर उपचारात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु मुख्य रसायनज्ञ द्वारा यह मामला मुख्य यंत्री/सहायक यंत्री के संज्ञान में लाया गया।

मुख्य अभियंता/सहायक अभियंता प्रतिकूल जल जाँच प्रतिवेदनों के विरूद्ध की गई कार्यवाही के समर्थन में कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहे। इस प्रकार नगर पालिक निगमों द्वारा क्या कार्रवाई की गई यह अभिलेखों से सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

आगे, नगर पालिक निगम, भोपाल एवं नगर पालिक निगम, इन्दौर के सम्बन्ध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश से जलजनित बीमारियों की स्थिति मांगी गई। जलजनित बीमारियों का वर्षवार विवरण नीचे **तालिका 2.1.6** में दर्शाया गया है:

---

26 भौतिक 1,58,559, रसायनिक 1,26,766 तथा जीवाण्विक 14,367।

27 भौतिक 31,329, रसायनिक 16,551 तथा जीवाण्विक 27,009।

28 वर्ष 2013–14 में 376, 2014–15 में 555, 2015–16 में 1,333, 2016–17 में 262 तथा 2017–18 में 548 भौतिक नमूने अवमानक पाये गये थे।

29 वर्ष 2013–14 में 03, 2014–15 में निरंक, 2015–16 में 5, 2016–17 03 तथा 2017–18 में 136 रसायनिक नमूने अवमानक पाये गये थे।

30 वर्ष 2013–14 में 105, 2014–15 में 98, 2015–16 में 121, 2016–17 50 तथा 2017–18 में 453 जीवाण्विक नमूने अवमानक पाये गये थे।

तालिका 2.1.6: वर्ष 2013–18 की अवधि में नगर पालिक निगम, भोपाल एवं नगर पालिक निगम, इन्दौर नगरीय क्षेत्र में के जलजनित बीमारियों से सम्बन्धित डेटा

क्र.	वर्ष	कॉलरा				गंभीर पैचिस संबन्धी बीमारी				टायफाइड				वायरल हेपेटायटिस			
		नगर पालिक निगम, भोपाल		नगर पालिक निगम, इन्दौर		नगर पालिक निगम, भोपाल		नगर पालिक निगम, इन्दौर		नगर पालिक निगम, भोपाल		नगर पालिक निगम, इन्दौर		नगर पालिक निगम, भोपाल		नगर पालिक निगम, इन्दौर	
		सी.	डी.	सी.	डी.	सी.	डी	सी.	डी	सी.	डी	सी.	डी	सी.	डी	सी.	डी
1	2013	4	0	3	0	91712	0	6294	0	8348	0	163	0	4887	0	104	0
2	2014	0	0	1	0	93446	0	12775	0	7591	0	318	0	2592	0	162	0
3	2015	0	0	2	0	68511	0	8712	0	5470	0	229	0	3992	0	168	0
4	2016	0	0	1	0	70435	0	7769	0	7387	0	552	0	4398	0	143	0
5	2017	0	0	0	0	53672	0	4407	0	6992	0	128	0	5657	0	43	0
6	2018	0	0	0	0	61328	0	490	0	3693	0	72	0	2349	0	5	0
कुल		**4**	**0**	**7**	**0**	**4,39,104**	**0**	**40,447**	**0**	**39,481**		**1,462**	**0**	**23,875**		**625**	**0**

(स्रोतः संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं) सी–मामले, डी–मृत्यु

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 2013–18 की अवधि में नगर पालिक निगम, भोपाल एवं नगर पालिक निगम, इन्दौर में 5,45,005 जल जनित बीमारियों के प्रकरण प्रतिवेदित किये गये। इस प्रकार, नगर पालिक निगमों द्वारा इस अवधि में दूषित पानी प्रदाय किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

निर्गम बैठक में, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने बताया (अप्रैल 2019) कि पीने के पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के लिये मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) तैयार की जाएगी।

अनुशंसाः *प्रतिकूल पाये गये जल के नमूनों पर त्वरित एवं उपचारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिये तथा उपभोक्ताओं को सूचित किये जाने के लिये प्रभावी प्रणाली अपनाई जानी चाहिये।*

2.1.7.2 कॉगुलेन्ट की अनुचित खुराक एवं भण्डारण

कॉगुलेन्ट (एलम/पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड) लगाये जाने का उद्देश्य, शोधित किये जा रहे पानी में से कण की अशुद्धियों एवं रंग को दूर करना है। कॉगुलेंट की खुराक का निर्धारण जार परीक्षण[31] के माध्यम से किया जाता है। सी.पी.एच.ई.ई.ओ. संचालन एवं संधारण नियमावली के अनुसार एलम को साफ एवं सूखे क्षेत्र में भण्डारित किया जाना चाहिये, क्योंकि नमी की उपस्थिति सामग्री को केक में परिवर्तित कर देती है।

लेखापरीक्षा के दौरान चार प्रयोगशालाओं[32] के जार परीक्षण प्रतिवेदन जाँचे गये थे। जाँच प्रतिवेदनों के माध्यम से यह पाया गया कि लिये गये नमूनों के स्रोत, नमूने एकत्र किये जाने की तिथि, विश्लेषण किये जाने की तिथि तथा नमूने के तापक्रम का उल्लेख नगर पालिक निगमों की सम्बन्धित प्रयोगशालाओं द्वारा नहीं किया गया था। आगे, 10 जार परीक्षण प्रतिवेदनों में (***परिशिष्ट 2.1.3***) 72.4 तथा 310 गंदलेपन के लिये समान मात्रा

---

31 जार परीक्षण कोगुलेशन प्रक्रिया का मूल्यांकन करने तथा संयंत्र के चालक को कोगुलेशन, फोकुलेंशन एवं स्पष्टीकरण प्रक्रिया की कम करने में सहायता करने के लिये सबसे व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली विधि है।

32 नगर पालिक निगम, भोपाल का जलशोधन संयंत्र, कोलार, जलशोधन संयंत्र, खटपुरा, अरेरा हिल्स एवं नगर पालिक निगम, इन्दौर का जलशोधन संयंत्र, मण्डलेश्वर।

में एलम (35 पी.पी.एम.) का उपयोग किया जाना पाया गया। इस प्रकार, जो प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये थे, वे रसायनज्ञ की लापरवाही को दर्शाते हैं तथा सही मात्रा में एलम/पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड (पी.ए.सी.) के उपयोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। आगे, दोनों नगर पालिक निगमों के जलशोधन संयंत्रों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (अगस्त एवं अक्टूबर 2018) के दौरान पाया गया कि नगर पालिक निगमों द्वारा एलम का भण्डारण उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया था। इसे खुले में बिना सावधानी के रखा गया था, फलस्वरूप एलम केक में बदल गया था। एलम के भण्डारण की स्थिति नीचे फोटोग्राफ में दर्शाई गई है:

एलम के अनुचित भण्डारण को दर्शाने वाले फोटोग्राफ्स

एलम भण्डार, बकलाय डब्ल्यू.टी.पी., इंदौर

भोपाल के कोलार डब्ल्यू.टी.पी. में एलम का भण्डार

एलम भण्डार, कोलार डब्ल्यू.टी.पी., भोपाल

एलम भण्डार, नर्मदा डब्ल्यू.टी.पी., भोपाल

उपर्युक्त फोटोग्राफ से स्पष्ट है कि नगर पालिक निगमों द्वारा, एलम को उपरोक्त उल्लिखित प्रावधान का अनुपालन किये बिना रखा गया था और केक एलम का उपयोग जल के शुद्धिकरण हेतु किया जा रहा था जो पानी के गंदलेपन[33] को बढ़ाता है तथा पानी की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसकी पुष्टि राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला, भोपाल के माध्यम से कराऐ गये परीक्षण में भी की गई थी।

इंगित किये जाने पर, नगर पालिक निगम, भोपाल द्वारा बताया (दिसम्बर 2018) गया कि मात्रा का निर्धारण जार परीक्षण के बाद किया जाता था। तथापि, जार परीक्षण के प्रतिवेदन अपूर्ण एवं सही नहीं थे। फलस्वरूप, वास्तविक जार परीक्षणों का होना सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

उत्तर में, नगर पालिक निगम, इन्दौर ने बताया (फरवरी 2019) कि बरसात के मौसम में गंदलेपन को दूर करने के लिये मात्रा का निर्धारण जार परीक्षण के माध्यम से किया जाता था। बरसात के मौसम के बाद नर्मदा नदी में गंदलेपन का स्तर 3–5 नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट (एनटीयू[34]) होने से मात्रा के निर्धारण की आवश्यकता नहीं थी।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2019) में इस विषय पर कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

---

33 पानी की टर्बिडिटी उसमें उपस्थित निलंबित कणों की उपस्थिति के कारण पानी की पारदर्शिता खोने की मात्रा से मापी जाती है।

34 एन.टी.यू. पानी के टर्बिडिटी को नापने की एक ईकाई है।

तथ्य है कि जार परीक्षण प्रतिवेदनों का विश्लेषण यह इंगित करता है कि यह सही तरीके से नहीं किया गया, परिणामस्वरूप, कोगुलेंट की सही मात्रा सुनिश्चित नहीं की जा सकी, जो पानी के शुद्धिकरण के लिये अनिवार्य था और जिसके कारण पानी का गँदलापन ज्यादा हो सकता है।

2.1.7.3 स्वतंत्र जल गुणवत्ता जाँच में जल नमूनों का प्रतिकूल पाया जाना

प्रदाय किये जा रहे पानी की गुणवत्ता का आकलन करने के लिये लेखापरीक्षा द्वारा नगर पालिक निगमों के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से पानी के नमूने (अगस्त एवं सितम्बर 2018) लिये गये थे। कुल 54 नमूने लिये गये, जिनमें से नगर पालिक निगम, भोपाल से 30 नमूने (स्रोत से 03, जलशोधन संयंत्र से 06, उच्च स्तरीय टंकियों से 06 तथा 15 नमूने उपभोक्ताओं से) एवं नगर पालिक निगम, इन्दौर से 24 नमूने (स्रोत से 02, जलशोधन संयंत्र से 04, उच्च स्तरीय टंकियों से 06 तथा 12 नमूने उपभोक्ताओं से) एकत्र किये गये थे। दोनों नगर पालिक निगमों से एकत्र किये गये नमूनों की जाँच स्वतंत्र रूप से राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला (एस.आर.एल.), भोपाल से करायी गयी थी।

नगर पालिक निगम, भोपाल से लिये गये 30 नमूनों में से दो नमूनों में गँदलापन बी.आई. एस. 10500 मानदंडों[35] के अनुसार अनुमत्य सीमा 1 से 5 एन.टी.यू. के विरूद्ध 6.3 से 13.1 था। तीन जल नमूनों में फिक्ल कॉलीफार्म मानक शून्य के विरूद्ध 30 से 60 की संख्या में था। आगे, नगर पालिक निगम, इन्दौर के लिये गये 24 नमूनों में से, पांच जल नमूनों में मानदंड शून्य के विरूद्ध फिक्ल कॉलीफार्म 40 से 140 की संख्या में था।

नगर पालिक निगम, भोपाल के 13[36] वार्डों एवं नगर पालिक निगम, इन्दौर के 15[37] वार्डों से सम्बन्धित प्रतिकूल जल नमूने नीचे दिए गये नगर पालिक निगमों के नक्शे में दर्शाये गए हैं:

प्रदूषित जल आपूर्ति क्षेत्रों को दर्शाते नगर पालिक निगमों के नक्शे

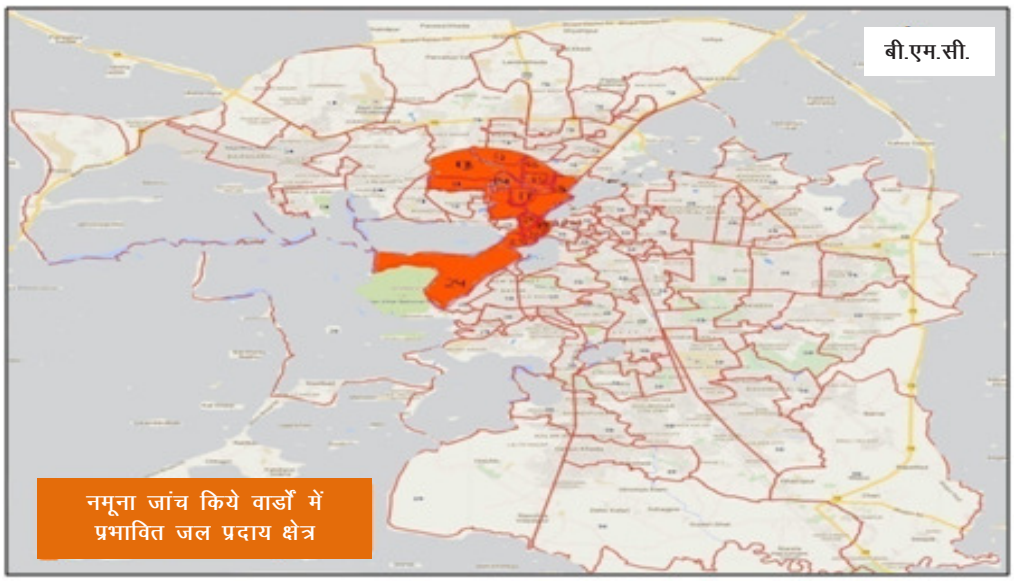

35 गंदलापन मानक 1–5 तथा फिक्ल कॉलीफार्म– निरंक।

36 वार्ड (जनसंख्या)– 11 (31,795), 12 (27,686), 13 (31,143), 14 (31,834), 15 (23,906), 16 (26,033), 17 (29,875), 18 (30,881), 19 (24,269), 20 (23,695), 22 (23,911), 23 (25,834) तथा 24 (30,748)।

37 वार्ड (जनसंख्या)– 1(36,266), 3 (38,345), 4 (34,708), 5 (38,400), 6 (37,495), 7 (35,054), 8 (38,202), 9 (34,580), 14 (36,336), 15 (38,419), 16 (38,471), 67 (29,718), 68 (29,203), 69 (33,887) तथा 70 (34,164)।

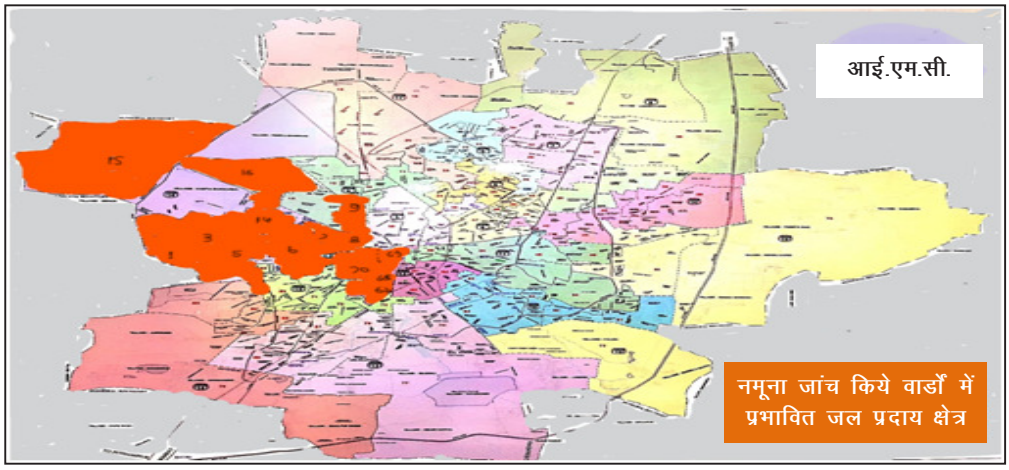

(स्रोतः नगर पालिक निगम, भोपाल एवं नगर पालिक निगम, इन्दौर के प्रतिकूल जल नमूने)

इस प्रकार, उस क्षेत्र में रहने वाले, 8.95 लाख रहवासी (नगर पालिक निगम, भोपाल में 3.62 लाख एवं नगर पालिक निगम, इन्दौर में 5.33 लाख) फिक्ल कॉलीफार्म युक्त दूषित पानी प्रदाय किये जाने के कारण प्रभावित होने संभावित थे। यह जल शोधन संयंत्र के संचालन स्तर के साथ–साथ वितरण स्तर पर पर्यवेक्षण की कमी को दर्शाता है। प्रतिकूल प्रतिवेदनों पर, कार्यपालन यंत्री, राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला, भोपाल द्वारा बताया (फरवरी 2019) गया कि साफ पानी में गँदलापन की उपस्थिति सम्बन्धित निगमों के जलशोधन संयंत्र में फिल्टर मीडिया का सही रख–रखाव न किये जाने को इंगित करता है। यह भी बताया गया कि प्रदूषित पानी (फिक्ल कॉलीफार्म युक्त) के कारण जल जनित बीमारियों के होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

तथापि, यह देखा गया कि नगर पालिक निगमों द्वारा एकत्रित एवं जाँच किए गए समस्त नमूने अनुमत्य सीमा के भीतर थे। ये नमूने समान समय पर समान क्षेत्रों से नगर पालिक निगमों एवं लेखापरीक्षा दल द्वारा संयुक्त रूप से एकत्रित किए गए थे।

उत्तर में (जनवरी 2019), नगर पालिक निगम, भोपाल द्वारा लेखापरीक्षा के अवलोकन को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया गया कि नमूने लिये जाने की प्रक्रिया तथा जाँच दोषपूर्ण हो सकती है।

नगर पालिक निगम, भोपाल का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नमूने नगर पालिक निगम, भोपाल के प्रयोगशाला दल के साथ संयुक्त रूप से लिये गये थे। मुख्य रसायनज्ञ, एस. आर.एल. भोपाल द्वारा लेखापरीक्षा दल को जल के नमूने लेने की तकनीकि का प्रशिक्षण दिया गया था। आगे, राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा भी प्रतिवेदित किया गया था कि लेखापरीक्षा दल द्वारा एकत्र किये गये नमूने स्वीकार्य मानक के थे।

आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर ने कहा (फरवरी 2019) कि उपचारात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा तद्नुसार लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

निर्गम सम्मेलन में (अप्रैल 2019), शासन द्वारा इस मामले पर कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

2.1.7.4 उच्चस्तरीय टंकियों (ओ.एच.टी.)/जलसंग्राहिकाओं की नियमित सफाई न होना

सी.पी.एच.ई.ई.ओ. नियमावली के अनुसार, उच्चस्तरीय टंकियों/जलसंग्राहिकाओं को नियमित अन्तरालों (नगर पालिक निगम, भोपाल द्वारा कम से कम छः माह में एक बार), पर साफ किया जाना चाहिये तथा पानी के नमूनों एवं टंकियों में एकत्र मिट्टी/कीचड़ युक्त पानी के नमूनों का, उसमें कीड़ों एवं जीवाणुओं की उपस्थिति का पता लगाने के

लिये जैविक विश्लेषण कराया जाना चाहिये। यह संचालन प्रबन्धन (कार्यपालन यंत्री के उप सहायक) की जिम्मेदारी है कि वह सभी टंकियों के आवधिक सफाई हेतु प्रक्रिया निर्धारण एवं निगरानी करें तथा सहायक यंत्री इस सम्बन्ध में जारी प्रावधान/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

नियमित अंतराल पर ओ.एच.टी./ जल संग्राहिकाओं की सफाई न होना।

लेखापरीक्षा द्वारा चयनित नगर पालिक निगमों के 222[38] उच्च स्तरीय टंकियों/एसआर में से 45[39] उच्च स्तरीय टंकियों/एसआर के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि 23 उच्च स्तरीय टंकियों/एस.आर. की सफाई नहीं की गई थी तथा 13 प्रकरणों में सफाई की लॉग–बुक भी संधारित नहीं थी और 10 प्रकरणों में अपूर्ण थी। आगे, यह भी पाया गया कि चयनित निगमों में उच्च स्तरीय टंकी की सफाई के समय किसी भी टंकियों से जैविक जाँच हेतु नमूने नहीं लिये गये थे। नीचे दिये गये फोटोग्राफ दर्शाते हैं कि उच्च स्तरीय टंकियाँ स्वच्छ नहीं थीः

नगर पालिक निगमों में टंकियों की सफाई की स्थिति दर्शाने वाले फोटोग्राफ्

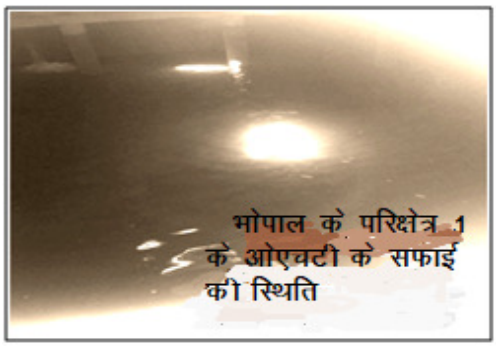

उप–यंत्री जो सफाई हेतु उत्तरदायी थे, अपने कर्तव्य को निभाने में असफल रहे तथा उच्च तकनीकी अधिकारी (सहायक यंत्री या कार्यपालन यंत्री) द्वारा अपने स्तर पर इस कार्य की कभी निगरानी नहीं की गई थी। इस प्रकार, प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराने की अनिवार्य जरूरत सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने कहा (अप्रैल 2019) कि सी.पी.एच.ई.ई.ओ. नियमावली के प्रावधान का अनुपालन किये जाने हेतु निर्देश पुनः जारी किये जाएंगे।

2.1.7.5 नलकूप जल का बिना जाँच किए प्रदाय किया जाना

भू–जल की गुणवत्ता उसमें चट्टानों से विलेय एवं अविलेय खनिज की मात्रा पर निर्भर करती है। प्रमुख घुलनशील खनिज पदार्थ सोडियम, कैल्शियम, मैग्नेशियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाईकार्बोनेट तथा सल्फेट हैं। पानी जिसमें बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम और मैग्नेशियम पाया जाता है, उसे कठोर पानी कहा जाता है। अधिक सांद्रता में खनिज घटकों का घुला होना मनुष्य और पौधों के लिये खतरनाक हो सकता है।

नगर पालिक निगम, इन्दौर के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि जनवरी 2018 तक 4945 नलकूपों से 20 एम.एल.डी. पानी नगर पालिक निगम की सीमा में बिना गुणवत्ता परीक्षण के प्रदाय किया गया था। नगर पालिक निगम, भोपाल में नलकूप से पीने का पानी प्रदाय नहीं किया गया था।

ऐसे परिक्षेत्र/वार्ड जहां नलकूप से पानी प्रदाय किया जा रहा था, वहां से संयुक्त रूप से (20) स्वतंत्र जल नमूने लिये गए (फरवरी 2019) तथा उनका राज्य अनुसंधान

[38] भोपाल–136 तथा इन्दौर–86

[39] भोपाल–27 तथा इन्दौर–18

प्रयोगशाला, भोपाल से परीक्षण कराया गया। नलकूप जल के परीक्षण प्रतिवेदनों में पायी गई कमियों को नीचे **तालिका 2.1.7** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1.7: नलकूप जल के परीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

स. क्र.	विशेषताओं का विवरण	नमूनों की संख्या	सीमा (बी. आई.एस. मानदंड के अनुसार)	जांच में पाई गई उपस्थित सीमा	प्रभाव
01	लोह तत्व Fe+++	01	1.0 मिग्रा प्रति लीटर	**4.0 मिग्रा प्रति लीटर**	लोह तत्व की अधिकता हिमोक्रोमेटोसिस का कारण हो सकती है जो यकृत, हृदय तथा अग्नाश्य को नुकसान कर सकता है साथ ही मधुमेह हो सकता है। वजन का कम होना तथा जोडों में दर्द इसके मूलभूत लक्षण हैं।
02	नाइट्रेट NO_3	08	45 मिग्रा प्रति लीटर	**58.46–120.16 मिग्रा प्रति लीटर**	नाइट्रेट का स्तर इससे या इससे अधिक स्तर पर नवजात में ब्लू–बेबी सिन्ड्रोम का कारण हो सकता है डायरिया, उल्टी तथा या सुस्तपन हो सकता है।
03	कैल्शियम Ca++	01	200 मिग्रा प्रति लीटर	**284–292 मिग्रा प्रति लीटर**	पेट दर्द, पाचन तंत्र की परेशानी तथा किडनी में पत्थरी कैल्शियम के ज्यादा खुराक के प्रमुख लक्षण हैं।
04	प्रवाहकत्व	20	*250 माइक्रो एस/सीएम	**789–3570**	इसका सीधा सम्बन्ध पानी की कठोरता के समानुपाती है।
05	फिक्ल कॉलिफार्म प्रति 100 मिली	15	निरंक गणना	**20–880 गणना प्रति 100 मिली**	पीने के पानी में फिक्ल कॉलिफार्म की उपस्थिती पेचिस, पीलिया, मोतीझरा तथा गंभीर पेट की परेशानी का कारण हो सकता है।

(स्रोतः परीक्षण प्रतिवेदन) *डब्लू.एच.ओ. 1993 के मानदंड अनुसार

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि नगर पालिक निगम, इन्दौर के क्षेत्रान्तर्गत, नलकूप के माध्यम से नागरिकों को प्रदाय किये गए पानी की गुणवत्ता बी.आई.एस. मानक 10500 के अनुरूप नहीं थी तथा इस प्रकार का पानी पीना, लोगों के स्वास्थ्य के लिये खतरनाक था। नगर पालिक निगम, इन्दौर में प्रभावित क्षेत्र को नीचे दर्शाया गया है:

नलकूप जल के प्रभावित वाड्र्स को दर्शाते हुए नगर पालिक निगम, इन्दौर का आरेख

(स्रोतः नगर पालिक निगम, इन्दौर में नलकूप जल के प्रतिकूल नमूने)

इस प्रकार, नगर पालिक निगम, इन्दौर में, उपर्युक्त 20 प्रतिकूल नमूनों से परिलक्षित हुआ कि सात[40] वार्ड के 2.59 लाख रहवासियों को प्रदूषित पानी प्रदाय किया जाता रहा था।

[40] वार्ड (जनसंख्या)– 1 (36,266), 05 (38,400), 10 (36,513), 15 (38,419), 18 (38,775), 52 (30,922) तथा 79 (39,273)।

आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर द्वारा पानी की गुणवत्ता का परीक्षण न कराया जाना, कर्तव्य में गंभीर लापरवाही है, और इसने उपभोक्ताओं को गंभीर स्वास्थ्य खतरे में डाला जाना उजागर किया है। इससे यह भी इंगित होता है कि इस प्रकार की स्थिति अन्य क्षेत्रों में, जहां बोरवेल का पानी प्रदाय किया जा रहा था, वहां भी हो सकती है।

उत्तर में नगर पालिक निगम, इन्दौर ने कहा (फरवरी 2019) कि ऐसे क्षेत्र जहां, परीक्षण में पानी, पीने के लिए अनुपयुक्त पाया गया था, इस स्थिति को इंगित करने वाले सूचना पटल लगाये गये थे।

मामला प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर के संज्ञान (मार्च 2019) में भी सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया था।

अनुशंसा: *किसी भी नलकूप का पानी बिना परीक्षण के प्रदाय नहीं किया जाना चाहिये और सुधारात्मक कार्रवाई त्वरित की जानी चाहिये तथा उपभोक्ताओं को सूचित किया जाना चाहिये।*

2.1.8 वित्तीय प्रबन्धन

2.1.8.1 नगर पालिक निगमों को जारी की गई निधि की स्थिति

नगर पालिक निगमों को जल प्रदाय हेतु राज्य द्वारा दिये गये संधारण अनुदान, जल प्रदाय योजनाओं (जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना और अमृत) एवं बजट आवंटन के माध्यम से प्राप्तियों के वर्षवार वित्तीय परिव्यय की स्थिति **तालिका 2.1.8 (i)** और **(ii)** में दर्शायी गई है:

तालिका 2.1.8 (i)–वर्ष 2013–14 से 2017–18 की अवधि में नगर पालिक निगम, भोपाल को प्राप्त निधि/आवंटित निधि तथा उससे हुए व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

मद	2013–14		2014–15		2015–16		2016–17		2017–18	
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
केन्द्र एवं राज्य योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान										
मरम्मत अनुदान	0	0	8.89	8.89	8.89	8.89	9.69	9.69	8.80	8.80
जेएनएनयूआरएम	72.70	47.09	20.77	46.39	51.93	100.33	00	38.54	00	71.97
अमृत	अमृत योजनान्तर्गत 2016–17 से राशि जारी हुई						18.30	15.47	112.70	115.53
कुल	**72.70**	**47.09**	**29.66**	**55.28**	**60.82**	**109.22**	**27.99**	**63.70**	**121.50**	**196.30**
राजस्व										
जल कर	28.32	–	30.90	–	30.22	–	40.26	–	44.20	–
कुल	**28.32**	–	**30.90**	–	**30.22**	–	**40.26**	–	**44.20**	–
बजट के आंकड़े										
विद्युत	76.00	56.72	90.00	57.99	68.02	60.74	70.00	70.38	88.00	85.30
रसायन	6.00	2.02	6.00	4.59	6.20	3.44	6.00	5.62	6.50	5.31
मरम्मत	5.18	1.90	6.05	2.82	2.60	3.29	6.96	2.44	3.65	3.54
अन्य	14.67	7.86	21.86	14.63	28.78	11.18	15.96	17.96	28.87	21.72
कुल	**101.85**	**68.50**	**123.91**	**80.03**	**105.60**	**78.65**	**98.92**	**96.40**	**127.02**	**115.87**
पूंजीगत	3.29	2.65	23.19	3.73	8.78	4.62	19.29	26.10	22.97	16.22
महायोग	**206.16**	**118.24**	**207.66**	**139.04**	**205.42**	**192.49**	**186.46**	**186.20**	**315.69**	**328.39**

(स्रोतः संचालनालय एवं नगर पालिक निगम के बजट)

तालिका 2.1.8 (ii)–वर्ष 2013–14 से 2017–18 की अवधि में नगर पालिक निगम, इन्दौर को प्राप्त निधि/आवंटित निधि तथा उससे हुए व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

मद	2013–14		2014–15		2015–16		2016–17		2017–18	
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
केन्द्र एवं राज्य योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान										
मरम्मत अनुदान	7.04	7.04	7.75	7.75	7.75	7.75	8.45	8.45	7.68	7.68
जेएनएनयूआरएम	00	00	00	00	00	00	00		00	00
अमृत	अमृत योजनान्तर्गत 2016–17 से राशि जारी हुई								115	115
कुल	**7.04**	**7.04**	**7.75**	**7.75**	**7.75**	**7.75**	**8.45**	**8.45**	**122.68**	**122.68**
राजस्व										
जल कर	26.48	–	38.05	–	20.60	–	30.03	–	41.64	–
कुल	**26.48**		**38.05**		**20.60**		**30.03**		**41.64**	**-**
बजट के आंकड़े										
विद्युत	143.00	115.34	132.08	113.71	115.00	146.60	171	163.02	198.85	191.14
रसायन	1.76	1.03	1.81	0.65	1.85	0.82	1.15	0.21	1.25	0.42
मरम्मत	12.72	6.88	16.71	7.63	15.10	5.36	67.86	7.60	67.25	6.55
अन्य	74.99	18.17	76.24	17.90	65.70	19.56	96.92	20.58	138.50	31.25
कुल	**232.47**	**141.42**	**226.84**	**139.89**	**197.65**	**172.34**	**336.93**	**191.41**	**405.85**	**229.36**
पूंजीगत	78.13	37.81	102.11	28.77	89.56	5.86	209.20	14.07	165.22	25.20
महायोग	**344.12**	**186.27**	**374.75**	**176.41**	**315.56**	**185.95**	**584.61**	**213.93**	**735.39**	**377.24**

(स्रोतः संचालनालय एवं नगर पालिक निगम के बजट)

नगर पालिक निगमों के बजट, अनुदान पंजी तथा लेखों की जाँच में पाया गया कि नगर पालिक निगमों द्वारा प्राप्त अनुदानों या बजट के माध्यम से आवंटित निधियों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा था। नगर पालिक निगमों द्वारा निधियों के पूर्ण उपयोग न किये जाने के सम्बन्ध में कोई कारण नहीं बताये गये।

2.1.8.2 जल प्रभारों की वसूली में दक्षता का अत्यन्त कम रहना

शहरी विकास मंत्रालय के सर्विस लेवल बैंचमार्किंग में, विशिष्ट रूप से उल्लिखित (2011) किया गया था कि जल आपूर्ति से संबंधित प्रभारों का संग्रहण 90 प्रतिशत दक्षता से किया जाना चाहिए और संचालन एवं संधारण व्ययों के विरूद्ध 100 प्रतिशत वसूली की जानी चाहिए। आगे, मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 की कण्डिका 225 उल्लिखित करती है कि जल प्रभारों की बकाया वसूली उपभोक्ताओं से की जाए और वसूली न होने की दशा में, जल कनेक्शन विच्छेदित किया जाना चाहिए। यह वार्ड प्रभारी, राजस्व प्रभारी, सहायक राजस्व निरीक्षक और जल प्रभार क्लर्क के साथ–साथ संबंधित जोन के जोनल अधिकारी का उत्तरदायित्व है कि जल प्रभारों की मांग को प्रस्तुत और एकत्रित करे। नगर पालिक निगमों में राजस्व वसूली का वर्षवार विवरण **चार्ट 2.1.7 एवं 2.1.8** में दर्शाया गया है:

चार्ट–2.1.7 नगर पालिक निगम, भोपाल में जल प्रभारों की वर्षवार माँग, वसूली और बकाया

(₹ करोड़ में)

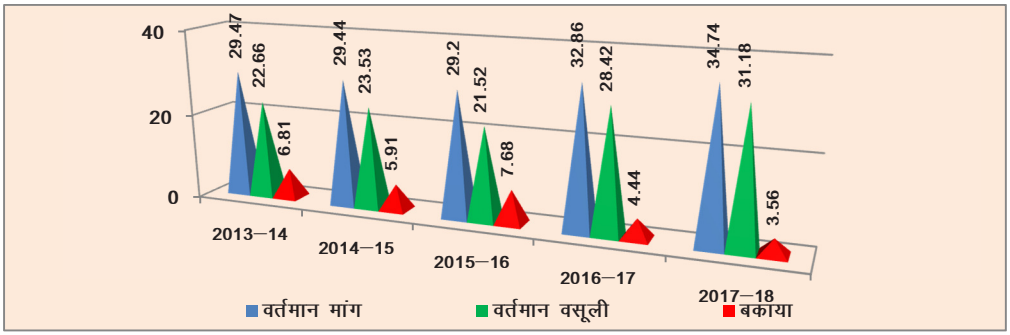

(स्रोतः नगर पालिक निगम, भोपाल)

चार्ट–2.1.8 नगर पालिक निगम, इन्दौर में जल प्रभारों की वर्षवार माँग, वसूली और बकाया

(₹ करोड़ में)

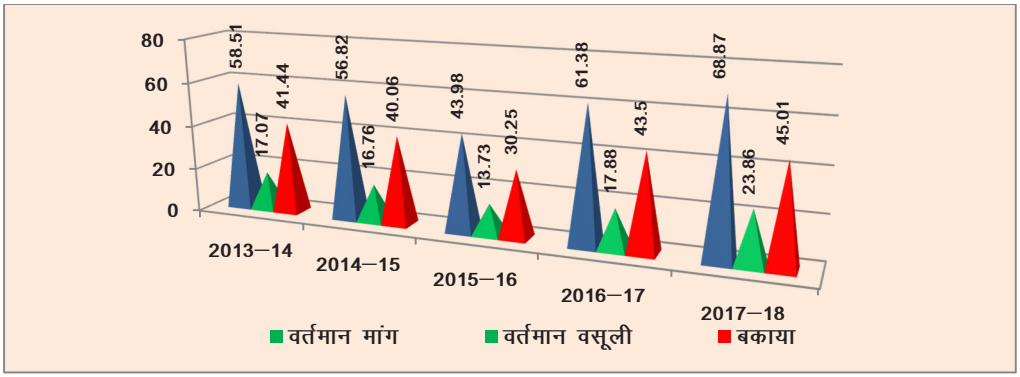

(स्रोतः नगर पालिक निगम, इन्दौर)

एकल रहवासियों के विरूद्ध जल प्रभार की राशि ₹ 391.22 करोड़ अप्राप्त रही।

उपरोक्त चार्ट्स से स्पष्ट है कि नगर पालिक निगम, भोपाल में जल प्रभारों की वास्तविक वसूली 74 से 90 प्रतिशत तक और नगर पालिक निगम, इन्दौर में 29 से 35 प्रतिशत तक की सीमा में थी। तथापि, एस.एल.बी. में नगर पालिक निगम, भोपाल द्वारा 82 से 90 प्रतिशत और नगर पालिक निगम, इन्दौर द्वारा 47 से 78 प्रतिशत तक वसूली अधिसूचित थी। कोर टीम और जल आपूर्ति विंग के साथ–साथ नगरीय निकायों के आयुक्तों ने अच्छे निष्पादन को दिखाने के लिए अवास्तविक आँकड़े प्रस्तुत किए थे। इस प्रकार, मार्च 2018 तक जल प्रभारों की बकाया राशि के रूप में नगरीय निकाय भोपाल एवं इंदौर में क्रमशः ₹ 48.81 करोड़ और ₹ 342.41 करोड़ बकाया थी (***परिशिष्ट–2.1.4***) जिसमें वर्ष 2013–14 से पूर्व के जल प्रभारों की बकाया राशि भी सम्मिलित थी। इसके अतिरिक्त, मार्च 2018 तक ₹ 77.97 करोड़ की राशि नगर पालिक निगम, इन्दौर में 40 बल्क कनैक्शन[41] धारकों पर अप्राप्त रही, जबकि मार्च 2016 तक नगर पालिक निगम, भोपाल में उपभोक्ता प्रभारों[42] से संबंधित राशि ₹ 0.78 करोड़ वसूली हेतु बकाया थी। इस प्रकार, संबंधित जोन के जोनल अधिकारी के साथ–साथ वार्ड प्रभारी, राजस्व प्रभारी, सहायक राजस्व निरीक्षक और जल प्रभारी क्लर्क अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहे।

दोनों नगर पालिक निगमों में अप्राप्त जल प्रभारों की वसूली एस.एल.बी. उपलब्धि में 47 से 90 प्रतिशत तक की सीमा में बढ़ा–चढ़ा कर दर्शायी गई थी।

संचालन एवं संधारण व्यय[43] की तुलना में जल प्रभारों की वास्तविक वसूली नगर पालिक निगम, भोपाल एवं नगर पालिक निगम, इन्दौर में क्रमशः 38 प्रतिशत से 41 प्रतिशत और 12 प्रतिशत से 27 प्रतिशत तक की सीमा में पाई गई थी जिसे ***परिशिष्ट–2.1.2 (एस.एल.बी.)*** में दर्शाया गया है, जबकि सेवाओं को प्रदाय करने में अच्छे प्रदर्शन को दिखाने के लिये नगर पालिक निगम, भोपाल एवं नगर पालिक निगम, इन्दौर द्वारा इसे क्रमशः 42 से 65 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की उपलब्धि के रूप में दर्शाया गया था।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने बताया (अप्रैल 2019) कि जल प्रभारों की वसूली में सुधार हेतु नगर पालिक निगमों को निर्देश जारी किए जा रहे थे।

तथ्य है कि नगर पालिक निगम, इन्दौर में मार्च 2018 तक जल प्रभारों की केवल 12 प्रतिशत ही वसूली की जा सकी थी।

अनुशंसाः प्रभावी वसूली हेतु मासिक लक्ष्य तथा योजना प्रारम्भ की जानी चाहिये।

---

41 बल्क जल आपूर्ति कनेक्शन से तात्पर्य नगर पालिक निगम द्वारा उपभोक्ताओं को कनेक्शन के माध्यम से एकमुश्त पेयजल प्रदाय करना है।

42 यह नवीन कनेक्शन धारक से एक बार लिया जाने वाला प्रभार है। नगर पालिक निगम, इन्दौर में कोई उपभोक्ता प्रभार नहीं है।

43 संचालन एवं संधारण व्यय में विद्युत, रसायन, अनुरक्षण एवं अन्य व्यय सम्मिलित है जो तालिका 2.1.8 (i) एवं (ii) में दर्शित है।

2.1.8.3 जल प्रभारों की त्रुटिपूर्ण माँग होने से राजस्व की हानि

नगर पालिक अधिनियम के अनुसार, जब कोई राशि प्रावधान (132–ए उपभोक्ता प्रभारों के अधिरोपण) के द्वारा अथवा के अन्तर्गत वसूली योग्य अथवा भुगतान योग्य है, तो शहर की सीमा के अंतर्गत कर के रूप में अधिरोपित एवं देय होगी, आयुक्त, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो अदेय राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, को बकाया भुगतान के लिए बिल प्रस्तुत करेगा। नगर पालिक निगम, भोपाल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, जल प्रभारों की वार्षिक मांग को कुल जल कनेक्शनों की संख्या को प्रचलित निर्धारित[44] दर और 12 माह से गुणा करके बनाया गया था।

नगर पालिक निगम, भोपाल में लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि नगर पालिक निगम, भोपाल द्वारा प्रस्तुत की गई माँग और लेखापरीक्षा द्वारा संगणित की गई माँग के मध्य अंतर था। नगर पालिक निगम, भोपाल ने अस्तित्व में रहे वैध कनेक्शनों की वास्तविक संख्या को सुनिश्चित किए बिना ही त्रुटिपूर्ण माँग की थी जिसे **तालिका 2.1.9** में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.1.9: नगर पालिक निगम, भोपाल में जल प्रभारों की त्रुटिपूर्ण माँग की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ई.डब्ल्यू.एस कनेक्शन राशि ₹ 30/– प्रतिमाह की दर से		घरेलू कनेक्शन राशि ₹ 180/– प्रतिमाह की दर से		गैर घरेलू + व्यावसायिक कनेक्शन राशि ₹ 500/– प्रतिमाह की दर से		औद्योगिक कनेक्शन राशि ₹ 600/– प्रतिमाह की दर से		कुल कनेक्शनों की संख्या	की जाने वाली कुल माँग[45] (कनेक्शनों की संख्या* दर*12)	नगर पालिक निगम, भोपाल द्वारा की गयी वास्तविक माँग	अंतर
	संख्या	प्रभार	संख्या	प्रभार	संख्या	प्रभार	संख्या	प्रभार				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (2+4+6+8)	11 (3+5+7+9)	12	13
2014-15	24,388	-	1,26,312	-	2,180	-	120	-	1,53,000	-	-	-
2015-16	24,388	0.88	1,58,209	27.28	2,180	1.31	120	0.09	1,84,897	29.56	29.2	0.36
2016-17	25,331	0.88	1,71,657	34.17	2,238	1.31	122	0.09	1,99,348	36.45	32.86	3.59
2017-18	--	0.91	--	37.08	--	1.34	--	0.09	--	39.42	34.74	4.68
योग												**8.63**

(स्रोतः नगर पालिक निगम, भोपाल)

नगर पालिक निगम, भोपाल द्वारा मांग की त्रुटिपूर्ण गणना करने से राशि ₹ 8.63 करोड़ राजस्व की हानि।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि नगर पालिक निगम, भोपाल ने वास्तविक पंजीकृत कनेक्शनों के विरूद्ध जल प्रभार की कम मांग की गई थी। इस प्रकार, मांग की त्रुटिपूर्ण गणना के कारण, नगर पालिक निगम, भोपाल को वर्ष 2013–18 की अवधि में ₹ 8.63 करोड़ की हानि को वहन करना पड़ा।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने बताया (अप्रैल 2019) कि नगर पालिक निगम, भोपाल के राजस्व विंग द्वारा प्रकरण की समीक्षा की जाएगी और वास्तविक जल आपूर्ति कनेक्शनों के संबंध में माँग जारी की जाएगी।

तथ्य है कि गलत माँग होने के कारण नगर पालिक निगम, भोपाल को राजस्व हानि उठानी पड़ी।

---

44 आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल दिनांक 20 अप्रैल 2010 के आदेश अनुसार जल प्रभार की प्रतिमाह दरें ई.डब्ल्यू.एस. - ₹ 30, घरेलू - ₹ 180, गैर घरेलू एवं व्यावसायिक - ₹ 500 एवं औद्योगिक - ₹ 600 हैं।

45 विगत वित्तीय वर्ष के अंतिम माह के जल कनेक्शनों पर विचार करते हुए वर्ष के लिए मांग की संगणना की जाती है।

2.1.9 अनुशांगिक विषय

2.1.9.1 सुरक्षा मानकों का न अपनाया जाना

सी.पी.एच.ई.ई.ओ. संचालन एवं संधारण मैनुअल के अनुसार, जलप्रदाय प्रणाली हेतु सुरक्षा कार्यक्रम होना चाहिये। एक बडी संस्था (निगम) में, एक सुरक्षा अधिकारी जो आंशिक अथवा पूर्ण रूप से इस कार्य के लिये समर्पित हो सके, इस कार्यक्रम के लिये जिम्मेदार के रूप में नामित किया जा सकता है। एक सुरक्षा समिति भी बनाई जा सकती है। अग्निशमन उपकरणों को वार्षिक रूप से अथवा आवश्यकतानुसार पुनर्भरण किया जाना चाहिये। सुरक्षा एवं अग्निशमन उपकरणों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सहायक यंत्री/उप–यंत्री की है।

सुरक्षा मानकों को नहीं अपनाया गया

नगर पालिक निगमों द्वारा सुरक्षा मानदण्डों का अनुपालन किये जाने सम्बन्धी अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि न तो सुरक्षा समिति का गठन किया गया था, और न ही कोई भी सुरक्षा अधिकारी शोधन संयंत्र पर तैनात था। आगे, संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह भी देखा गया कि अग्निशमन यंत्रों के पुनर्भरण का कार्य अग्निशमन यंत्रों पर उल्लेखित अंतिम पुनर्भरण तिथि से दो से तीन वर्ष के गुजरने के बाद भी नहीं किया गया था।

इंगित किये जाने पर, नगर पालिक निगम, इन्दौर के कार्यपालन यंत्री, प्रभारी जल प्रदाय ने तथ्य को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2018) कि सुरक्षा समिति/अधिकारी बनायी/तैनात किया जाएगा तथा अग्निशमन यंत्रों को पुनर्भरण हेतु कार्यादेश जारी किये जा चुके थे (सितम्बर 2018)। उत्तर में कार्यपालन यंत्री, जल आपूर्ति, नगर पालिक निगम, भोपाल ने बताया (जनवरी 2019) कि नगर पालिक निगम, भोपाल में जल आपूर्ति के लिये न तो सुरक्षा समिति का गठन किया गया था न ही सुरक्षा अधिकारी का पद स्वीकृत था। इस प्रकार, कार्यपालन यंत्री/उपयंत्री अपने कर्तव्य के पालन करने में विफल रहे।

तथ्य है कि नगर पालिक निगमों के आयुक्त द्वारा सुरक्षा समिति न बनाये जाने तथा सुरक्षा अधिकारी को नियुक्त न किये जाने से जल आपूर्ति संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने बताया (अप्रैल 2019) कि सुरक्षा प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने तथा अग्निशमन उपकरण समय पर पुनर्भरण करने सम्बन्धी निर्देश जारी किये जाएंगे।

2.1.9.2 अग्निशमन माँग हेतु पानी भण्डारण न किया जाना

सी.पी.एच.ई.ई.ओ. मैनुअल में प्रावधानित है कि आमतौर पर वितरण प्रणाली में अग्निशमन की माँग, उपभोक्ताओं को सामान्य आपूर्ति के साथ प्रदान करने हेतु एक निर्णायक मसौदे के रूप में मान लिया जाता है। 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले समुदाय हेतु, किलो लीटर प्रतिदिन का प्रावधान[46] अपनाया जा सकता है। यह वांछनीय है कि अग्निशमन की आवश्यकता का एक तिहाई भाग, सेवा भण्डारण के भाग के रूप में हो। शेष आवश्यकता को कई रणनीतिक बिन्दुओं पर स्थिर टंकियों में वितरित किया जा सकता है।

नगर पालिक निगमों में अग्निशमन हेतु जल की मांग सम्बन्धी अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि शहर में आगजनी की स्थिति में, पानी की मांग की आपूर्ति हेतु, न तो अग्निशमन हेतु कोई प्रावधान तैयार किया गया था न ही विभिन्न बिन्दुओं पर कोई स्थिर

[46] फार्मूले 100√ पी के आधार पर जहां पी– जनसंख्या हजार में।

टंकियों का निमार्ण किया गया था। नगर पालिक निगम, भोपाल में, यह पाया गया कि विभिन्न स्थानों पर 51 हाईड्रेन्ट बनाये जाने हेतु प्रस्ताव (मार्च 2018) लाया गया था, किन्तु इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

उत्तर में, निर्गम सम्मेलन के दौरान यह बताया (अप्रैल 2019) गया कि अग्नि हाईड्रेंट के पास हेण्डपम्प्स लगाये गये थे ताकि आग लगने की स्थिति में पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके। पांच हाईड्रेंट बनाये जाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

तथ्य है कि अग्निशमन के लिये पानी के सुरक्षित न रखने से आग बुझाने में देरी होगी एवं परिणामस्वरूप ज्यादा भौतिक एवं वित्तीय नुकसान हो सकता है।

2.1.9.3 मानव संसाधन

सी.पी.एच.ई.ई.ओ. मैनुअल में विभिन्न क्षमताओं वाले संचालन एवं संधारण तथा जल कार्य की प्रयोगशाला हेतु प्रत्येक स्तर पर तैनात किये जाने वाले कर्मचारियों के लिये मानदंड निर्धारित किये गये हैं। आगे, मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम कहता है कि आयुक्त, राज्य सरकार द्वारा इसके ढाँचा, शक्ति, भर्ती और सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में बनाये गये निर्धारित नियमों के अन्तर्गत निगम के कार्यों के कुशल प्रदर्शन हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा तथा मेयर–इन–काउंसिल को प्रतिवेदित करेगा। एम.आई.सी. द्वारा किसी भी अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार से पूर्व पुष्टि के अधीन होगी।

राज्य स्तर पर यह देखा गया कि नगर पालिक निगमों में अमले के पुनर्निर्धारण हेतु राज्य शासन ने फरवरी 2014 में "नगरीय निकायों हेतु आदर्श कार्मिक संरचना" अनुमोदित की थी तथा तद्नुसार नई कार्मिक नीति के अन्तर्गत, नगर पालिक निगम, भोपाल एवं नगर पालिक निगम, इंदौर द्वारा रिक्त पदों के लिये स्वीकृत संख्या में संशोधन और कर्मचारियों की आवश्यकता हेतु प्रस्ताव प्रेषित (सितम्बर 2016 तथा अगस्त 2016 एवं सितम्बर 2017) किये गये।

नगर पालिक निगमों में, जल प्रदाय हेतु तकनीकी, मैदानी एवं कार्यालयीन कर्मचारियों के स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का विवरण मार्च 2014 एवं मार्च 2018 की स्थिति में **तालिका 2.1.10** में दी गई है:

तालिका–2.1.10: नगर पालिक निगमों में जल प्रदाय हेतु प्रस्ताव से पूर्व मार्च 2014 एवं मार्च 2018 में अमले की स्थिति

स. क्र.	पदों का विवरण	मार्च 2014 की स्थिति में अमले का विवरण		मार्च 2018 की स्थिति में अमले का विवरण		मार्च 2018 की स्थिति में स्वीकृत पदों के संदर्भ में रिक्तियाँ	मार्च 2018 की स्थिति में रिक्त पदों का प्रतिशत
		स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत		
1	**नगर पालिक निगम, भोपाल**						
अ	तकनीकी	110	78	114	102	12	11
ब	मैदानी अमला	1383	869	1383	921	462	33
स	कार्यालयीन अमला	134	108	134	129	5	4
	कुल	**1627**	**1055**	**1631**	**1152**	**479**	**29**
2	**नगर पालिक निगम, इंदौर**						
अ	तकनीकी[47]	50	62	91	56	35	38

[47] तकनीकी अमले में कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री, सहायक नक्शानवीस, रसायनज्ञ एवं प्रयोगशाला सहायक शामिल है।

स. क्र.	पदों का विवरण	मार्च 2014 की स्थिति में अमले का विवरण		मार्च 2018 की स्थिति में अमले का विवरण		मार्च 2018 की स्थिति में स्वीकृत पदों के संदर्भ में रिक्तियाँ	मार्च 2018 की स्थिति में रिक्त पदों का प्रतिशत
		स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत		
ब	मैदानी अमला[48]	603	547	571	487	84	15
स	कार्यालयीन अमला[49]	193	175	197	162	35	18
	कुल	**846**	**784**	**859**	**705**	**154**	**18**

(स्रोतः चयनित नगरीय स्थानीय निकाय)

अमले की कमी ने जल आपूर्ति प्रणाली को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

आगे, यह देखा गया कि आदर्श कार्मिक संरचना को अपनाने के बाद निगमों की स्वीकृत संख्या संशोधित की गई लेकिन फिर भी नगर पालिक निगम, भोपाल एवं नगर पालिक निगम, इन्दौर में कार्यबल में व्यापक रूप से क्रमशः 29 प्रतिशत एवं 18 प्रतिशत की कमी रही। इसके बावजूद, नगर पालिक निगमों के जल आपूर्ति समूह द्वारा जल आपूर्ति हेतु कोई अमले की मांग नहीं की गई थी। इस प्रकार, कार्यबल की कमी के कारण नगर पालिक निगमों में जल आपूर्ति प्रणाली का पर्यवेक्षण एवं जल की गुणवत्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई थी। तथापि, नगर पालिक निगमों द्वारा वार्डवार मैदानी अमले सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने बताया (अप्रैल 2019) कि नगर पालिक निगमों के आयुक्त को निर्देशित किया जावेगा कि अमले की कमी की पूर्ति, नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार के अनुमोदन से की जाए।

अनुशंसाः *प्रभावी जल आपूर्ति प्रणाली हेतु प्रत्येक स्तर पर पर्याप्त अमला लगाया जाना चाहिये।*

2.1.9.4 प्रशिक्षण

सी.पी.एच.ई.ई.ओ. मैनुअल निर्दिष्ट करता है कि जल आपूर्ति कार्यों में शामिल अमले की सामूहिक संचालन दक्षता को बढ़ाने, नए विकास के साथ समूह को परिचित कराने तथा जलप्रदाय के संचालन सम्बन्धी सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने हेतु विभिन्न परिक्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। प्रशिक्षण में, प्रयोगशाला नियंत्रण सम्बन्धी टेस्ट, योजना के विभिन्न घटकवार कार्यों सम्बन्धी डिजाईन तथा प्रणाली नियंत्रण, लेखांकन, बजटीय एवं वित्तीय प्रबन्धन शामिल किये जाने वाले विषय थे। जल प्रदाय से सम्बन्धित प्रत्येक पर्यवेक्षण एवं संचालन अमले को उचित रूप से उसकी सेवा काल में कम से कम तीन से पांच वर्ष में एक बार प्रशिक्षण अवश्य दिया जाना चाहिये।

प्रशिक्षण आयोजित नहीं किये गये।

राज्य स्तर पर, प्रशिक्षण कैलेण्डर की समीक्षा में पाया गया कि संचालन दक्षता में सुधार, सामुदायिक जागरूकता में बढ़ोत्तरी तथा प्रयोगशाला नियंत्रण टेस्ट सम्बन्धी कोई भी प्रशिक्षण आयोजित नहीं किये गये थे। वर्ष 2016–17 में, जल आपूर्ति पर मात्र दो दिवसीय एक प्रशिक्षण का उल्लेख कैलेण्डर में किया गया था लेकिन प्रशिक्षण से सम्बन्धित कोई भी स्लॉट का उल्लेख नहीं था। नियमावली में उल्लिखित प्रावधान अनुसार प्रशिक्षण आयोजित नहीं किये जाने के कारण पूछे गये थे।

---

48 मेकेनिक, पर्यवेक्षक, ऑपरेटर, सहायक, चालक, प्लम्बर, वाल्व मेन तथा सहायक शामिल है।

49 प्रशा. अधिकारी, कार्यकारी सहायक, संभागीय लेखा, बिल लिपिक आदि।

उत्तर में, रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय प्रशासन संस्थान एवं नगरीय प्रबंधन, भोपाल, मध्य प्रदेश ने बताया (मार्च 2019) कि जल आपूर्ति हेतु कोई विशिष्ट प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था। तथापि, नवनियुक्त अधिकारियों हेतु आधारभूत पाठ्यक्रम के दौरान सामयिक उपलब्धता के आधार पर जल आपूर्ति प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण आयोजित किये गये थे। तथापि, इस सम्बन्ध में कोई कारण सूचित नहीं किये गये।

आगे, चयनित नगर पालिक निगमों में लेखापरीक्षा समीक्षा में पाया गया कि न तो किसी व्यक्ति को जल आपूर्ति सम्बन्धी प्रशिक्षण हेतु भेजा गया न ही प्रशिक्षण सम्बन्धी कोई अभिलेख संधारित किया गया।

इस मुद्दे पर नगर पालिक निगमों के आयुक्त ने बताया कि प्रशिक्षण से सम्बन्धित संकलित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

इस प्रकार, न तो राज्य सरकार द्वारा न ही नगर पालिक निगमों द्वारा जलप्रदाय संचालन की दक्षता के सुधार तथा सामुदायिक जागरूकता में बढ़ोत्तरी सम्बन्धी नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों का पालन किया गया।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने बताया (अप्रैल 2019) कि राष्ट्रीय प्रशासन एवं नगरीय प्रबंधन संस्थान, भोपाल के प्रशिक्षण कैलेण्डर में नगरीय निकायों के जलप्रदाय प्रबंधन के सुधार हेतु पृथक से पाठ्यक्रम शामिल किया जाएगा।

2.1.10 निगरानी तंत्र

2.1.10.1 जल आपूर्ति योजनाओं के प्रगति की निगरानी न किया जाना

सी.पी.एच.ई.ई.ओ. नियमावली के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों के जल आपूर्ति की परियोजनाओं के योजना, कार्यान्वयन, संचालन तथा संधारण से सम्बन्धी प्रगति की सामान्य समीक्षा की जानी चाहिये।

जल आपूर्ति के लिये निगरानी तंत्र नहीं था।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि राज्य स्तर पर नगरीय स्थानीय निकायों में जल आपूर्ति प्रणाली की निगरानी हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं था।

इस सम्बन्ध में पूछे जाने पर प्रमुख सचिव द्वारा उत्तर दिया (अक्टूबर 2018) गया कि इस उद्देश्य की निगरानी हेतु कोई नियमावली नहीं बनाई गई है तथा पर्यवेक्षण एवं निगरानी के लिये कोई कार्ययोजना भी नहीं बनाई गई थी।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि नगर पालिक निगमों द्वारा निगरानी तथा पर्यवेक्षण से सम्बन्धी कोई भी अभिलेख संधारित नहीं किया गया था। फलस्वरूप, उच्च अधिकारियों द्वारा किसी भी स्थल पर निगरानी/पर्यवेक्षण किये जाने की पुष्टि नहीं हो सकी।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने बताया (अप्रैल 2019) कि सी.पी.एच.ई.ई.ओ. नियमावली के प्रावधानों के अनुसार संभाग स्तर पर कार्यपालन यंत्री एवं संचालनालय स्तर पर प्रमुख अभियंता एवं अधीक्षण यंत्री द्वारा मासिक अन्तराल पर निरीक्षण किया जाता है।

तथ्य है कि विभाग द्वारा राज्य स्तर पर या निकायों के स्तर पर निरीक्षण किये जाने सम्बन्धी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया।

2.1.10.2 जल लेखापरीक्षा न कराया जाना

सी.पी.एच.ई.ई.ओ. संचालन एवं संधारण नियमावली के अनुसार, जल आपूर्ति प्रणाली की जल लेखापरीक्षा को प्राधिकरण द्वारा उत्पादित कुल पानी की क्षमता और प्राधिकरण के

पूर्ण सेवा क्षेत्र में वितरित पानी की वास्तविक मात्रा के आकलन के रूप में परिभाषित किया गया है। यह इस प्रकार नुकसान का आकलन करती है।

लेखापरीक्षा द्वारा निकायों में जल लेखापरीक्षा हेतु जारी निर्देश एवं जल लेखापरीक्षा की स्थिति के सम्बन्ध में पूछा गया था। राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने उत्तर में बताया कि इस सम्बन्ध में कोई निर्देश जारी नहीं किये गये थे।

दोनों नगर पालिक निगमों में, कोई जल लेखापरीक्षा संचालित नहीं की गयी थी। इसलिये जल आपूर्ति प्रणाली का वास्तविक मूल्यांकन सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

इसे इंगित किये जाने पर, आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल ने कहा कि इस सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है, जल लेखापरीक्षा हेतु, स्टूडियो गली इन्जेजनरिया (एसजीआई) को कार्यादेश जारी (नवम्बर 2016) किया जा चुका था तथा प्रारंभिक प्रतिवेदन प्राप्त (दिसम्बर 2016) हो चुका था। तथापि, नगर पालिक निगम, इन्दौर ने बताया गया कि कोई जल लेखापरीक्षा नहीं करायी गई थी।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने (अप्रैल 2019) इस विषय पर कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

तथ्य है कि जल लेखापरीक्षा न कराये जाने से, जल लेखापरीक्षा का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका।

अनुशंसाः *वर्तमान जलप्रदाय प्रणाली के परिणामों के मूल्यांकन के लिये जल लेखापरीक्षा करायी जा सकती है।*

2.1.10.3 सूचना प्रबन्धन प्रणाली (एम.आई.एस.) का विकसित न किया जाना

सूचना प्रबन्धन प्रणाली को निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, प्रबन्धन को सटीक, समय पर, पर्याप्त और प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराने की एक औपचारिक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है, ताकि संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप संगठन को, विशिष्ट कार्य को प्रभावी ढंग से और कुशलता से पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। जहां तक जल आपूर्ति प्रणाली का सवाल है, प्रणाली का निष्पादन, रिसाव को कम करने, प्रवाह और दबाव का मापन और नियंत्रण करने तथा जल आपूर्ति प्रणाली की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली पर निर्भर करता है। परिचालन प्रबन्धन का यह उत्तरदायित्व है कि प्रसंस्करण के लिये अधीनस्थ कार्यालयों से एम.आई.एस. पर डेटा उपलब्ध कराए। राज्य जल नीति के अनुसार, इस सम्बन्ध में सूचना तंत्र विकसित किये जाने की आवश्यकता है।

जल आपूर्ति प्रणाली की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि राज्य के साथ–साथ नगर पालिक निगम स्तर पर मानव संसाधन, कर्मचारियों के प्रशिक्षण सम्बन्धी रूपरेखा, रिसाव खोजने एवं उसके निपटान सम्बन्धी डेटा, सामान्य संचालन एवं संधारण सम्बन्धी जानकारी, वाल्वों के नियमित जाँच सम्बन्धी डेटा तथा जल के जाँच सम्बन्धी प्रतिवेदनों से सम्बन्धित डेटा उपलब्ध नहीं थे। परिणामस्वरूप, जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबन्धकीय नियंत्रण तथा कुशल एवं प्रभावी परिणामों का आकलन नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने बताया (अप्रैल 2019) कि एम.आई.एस. की स्थापना उचित तरीके से किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

एम.आई.एस. प्रणाली विकसित न होने से जल आपूर्ति प्रणाली के निष्पादन को किसी भी स्तर पर सुनिश्चित/निर्धारित नहीं किया जा सका।

अनुशंसाः *जल आपूर्ति प्रणाली के प्रभावी नियंत्रण के लिये राज्य के साथ–साथ नगरीय स्थानीय निकाय स्तर पर सूचना प्रबंधन प्रणाली (एम.आई.एस.) विकसित की जानी चाहिये।*

2.1.11 निष्कर्ष

यद्यपि, राज्य स्तर पर एस.एल.बी. सेल का गठन किया गया था, लेकिन यह समय–समय पर एस.एल.बी. लक्ष्यों एवं उनकी उपलब्धियों की समीक्षा करने में विफल रहा, जबकि नगर पालिक निगमों ने उनके जल आपूर्ति प्रणाली के बेहतर प्रदर्शन को दिखाने के लिये, उपलब्धियों की समीक्षा किये बिना, एस.एल.बी. लक्ष्यों एवं उपलब्धियों को लगातार बढ़ाकर प्रकाशित किया। नगर पालिक निगमों में अनुचित क्षेत्रीकरण होने के कारण, निगम के कुछ क्षेत्रों में पानी का वितरण या तो कम दबाव से या एक दिन छोड़कर असमान रहा। रिसाव खोजी प्रकोष्ठ तथा नियमित संधारण कार्ययोजना न होने से, गैर–राजस्व जल की मात्रा 30 से 70 प्रतिशत तक पहुंची तथा रिसाव मरम्मत की कीमत वार्षिक रूप से बढ़ रही थी। दोनों नगर पालिक निगमों में, 4.11 लाख (43.68 प्रतिशत) रहवासी नल कनेक्शन तंत्र से बाहर थे। प्रतिकूल जल जाँच प्रतिवेदनों पर कोई उपचारात्मक कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी अभिलेख नगर पालिक निगमों में उपलब्ध नहीं थे। नगर पालिक निगम, इन्दौर में, नलकूप के पानी की आपूर्ति बिना जाँच कराये ही की गई, जो कि नगर पालिक निगम, इन्दौर के जल प्रदाय शाखा के अधिकारियों के स्तर पर गंभीर चूक को दर्शाती है। दोनों नगर पालिक निगमों में यह पाया गया कि उच्चस्तरीय टंकियों/जलसंग्राहकों से जैविक परीक्षण हेतु कोई भी नमूने नहीं लिये गये, तथा अधिकांश नमूना जाँच किये गये ओ.एच.टी./एस.आर. अस्वच्छ पाये गये। संयुक्त रूप से, स्वतंत्र जल परीक्षण में पाया गया कि कुल लिये गये 54 नमूनों में से प्रत्येक नगर पालिक निगमों के 5 नमूने अवमानक पाये गये, जबकि नगर पालिक निगम, इन्दौर में सभी 20 नलकूप के नमूने अवमानक पाये गये। दोनों नगर पालिक निगमों में, कार्यकारी एवं तकनीकी अमले की कमी के कारण, समय पर रिसाव की मरम्मत, राजस्व की वसूली, गुणवत्तापूर्ण पानी की आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। सी.पी.एच.ई.ई.ओ. संचालन एवं संधारण मैनुअल के अनुसार, जल लेखापरीक्षा न कराये जाने के कारण, नगर पालिक निगमों द्वारा जल प्रबन्धन प्रणाली का प्रभावी और दक्षतापूर्ण कार्य, नागरिकों को अपेक्षित गुणवत्ता एवं मात्रा में आपूर्ति के साथ साथ आपूर्ति किये गये जल की लागत वसूली का मूल्यांकन नहीं किया जा सका। सूचना प्रबन्धकीय प्रणाली के न होने से, राज्य तथा नगर पालिक निगम, जल आपूर्ति प्रणाली को मजबूत बनाने के लिये नीतिगत निर्णय लेने मे विफल रहे।

अध्याय – III
अनुपालन लेखापरीक्षा

- लेखापरीक्षा कंडिकाएं

अध्याय–III: अनुपालन लेखापरीक्षा

शासकीय विभागों, उनकी क्षेत्रीय संरचनाओं के साथ ही स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा में संसाधनों के प्रबंधन में कमी तथा नियमितता, औचित्य एवं मितव्ययिता के मानकों के पालन में विफलता के अनेक उदाहरण सामने आए हैं। इन्हें आगामी कंडिकाओं में प्रस्तुत किया गया है।

लेखापरीक्षा कंडिकाएं

सामान्य क्षेत्र

विधि एवं विधायी कार्य (निर्वाचन) विभाग

3.1 अनियमित उपार्जन (क्रय) एवं अतिरिक्त व्यय

भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार एवं प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर वोटिंग कम्पार्टमेंट का क्रय सुनिश्चित करने में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 5.77 करोड़ का अनियमित क्रय तथा ₹ 5.06 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (के.स.आ.) के दिशा निर्देशों के अनुसार, किसी लोक उपार्जन का आधारभूत सिद्धांत निर्दिष्ट गुणवत्ता की सामग्री/सेवाओं को सर्वाधिक प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर निष्पक्ष, उचित एवं पारदर्शी तरीके से क्रय करना है। मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता के अनुसार क्रय सर्वाधिक मितव्ययी तरीके से किया जाना चाहिये।

भारत के निर्वाचन आयोग ने वोटिंग कम्पार्टमेंट[1] के उपयोग पर एकरूपता के संबंध में सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश (नवम्बर 2016) जारी कर यह निर्धारित किया कि वोटिंग कम्पार्टमेंट केवल स्टील ग्रे रंग की कोरूगेटिड प्लास्टिक शीट (फ्लेक्स बोर्ड) से जो अपारदर्शी एवं पुनः उपयोग किये जाने योग्य है, बनाया जाना चाहिये।

चार[2] जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2018 से मार्च 2018), एकत्रित जानकारी (नवम्बर 2018) एवं 15[3] जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा वोटिंग कम्पार्टमेंट के उर्पाजन के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी (जनवरी 2019) से पता चला कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कोरूगेटिड प्लास्टिक शीट के बजाय पी.वी.सी. फोम (आईटम कोड–एसएमएम 169204) से बने वोटिंग कम्पार्टमेंट मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम (एमपीएलयूएन) से क्रय करने के अनुदेश (फरवरी 2017 एवं अप्रैल 2017) जारी किये थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुपालन में इन 19 जिलों के जिला

---

1 निर्वाचन के समय मत की गोपनीयता को बनाये रखने के लिये बैलेट यूनिटों को ढकने के लिये प्रयोग किया जाता है।

2 जबलपुर (मार्च 2018), खरगोन (मार्च 2018), शहडोल (जुलाई 2018) तथा उज्जैन (फरवरी 2018)।

3 अनूपपुर, बालाघाट, भोपाल, दमोह, देवास, धार, इंदौर, झाबुआ, कटनी, नीमच, पन्ना, रीवा, सतना, शिवपुरी तथा टीकमगढ़।

निर्वाचन अधिकारियों ने ***परिशिष्ट 3.1.1*** में दिये गये विवरणानुसार (जुलाई 2017 से जून 2018) ₹ 5.77 करोड़ व्यय कर एमपीएलयूएन से 32,063 वोटिंग कम्पार्टमेंट[4] क्रय किये थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एमपीएलयूएन ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के अनुरोध (जनवरी 2017) पर पी.वी.सी. फोम से बने वोटिंग कम्पार्टमेंट हेतु अगस्त 2016 से जुलाई 2017 के दौरान ₹ 1,134 प्रति वर्ग मीटर तथा नवम्बर 2017 से दिसम्बर 2018 के दौरान ₹ 1,078 प्रति वर्ग मीटर की दर से दर अनुबंध (रेट कान्ट्रेक्ट) किया था। दो बैलेट यूनिटों (बी.यू.) हेतु एक वोटिंग कम्पार्टमेंट का पृष्ठ क्षेत्रफल 1.626 वर्ग मीटर[5] है। इस प्रकार मध्य प्रदेश में एक वोटिंग कम्पार्टमेंट (दो बैलेट यूनिट) की प्रभावी दर इस अवधि के दौरान क्रमशः ₹ 1,844 तथा ₹ 1,753 थी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि भारत के निर्वाचन आयोग के अनुदेशों (नवम्बर 2016) के अनुसरण में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश ने कोरूगेटिड प्लास्टिक शीट (फ्लेक्स बोर्ड) से बने एक, दो, तीन एवं चार बैलेट यूनिट वाले वोटिंग कम्पार्टमेंट के लिये क्रमशः ₹ 135, ₹ 150, ₹ 165 तथा ₹ 180 प्रति बैलेट यूनिट की दर तय की थी। इसी प्रकार राजस्थान प्रदेश में भी एक बैलेट यूनिट के लिये प्रयुक्त वोटिंग कम्पार्टमेंट की दर ₹ 222 प्रति वोटिंग कम्पार्टमेंट तय की गयी थी। स्पष्टतः मध्यप्रदेश में वोटिंग कम्पार्टमेंट की दर उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान की तुलना में असाधारण रूप से अधिक थी।

लेखापरीक्षा में यह महसूस किया गया कि चूंकि कोरूगेटिड प्लास्टिक शीट मध्य प्रदेश भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 के परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' में सम्मिलित नहीं थी तथा उक्त सामग्री एम.पी.एल.यू.एन. दर अनुबंध में भी उपलब्ध नहीं थी, अतः क्रय में प्रतिस्पर्धात्मक दरों को सुनिश्चित करने के लिये मध्य प्रदेश भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियम 11.2 के अनुसार, ई–टेण्डरिंग के माध्यम से भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कोरूगेटिड प्लास्टिक शीट से बने वोटिंग कम्पार्टमेंट क्रय किये जाने चाहिये थे। इस प्रकार मुख्य निर्वाचन अधिकारी, म.प्र. द्वारा वोटिंग कम्पार्टमेंट के क्रय में भारत के निर्वाचन आयोग की इस शर्त का अनुपालन कि कोरूगेटिड प्लास्टिक शीट (फ्लेक्स बार्ड) से बने वोटिंग कम्पार्टमेंट ही क्रय किये जाने हैं, तथा मितव्ययिता से संबंधित उपार्जन नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.77 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान द्वारा अनुमोदित दो बैलेट यूनिटों हेतु वोटिंग कम्पार्टमेंट की दरों की तुलना में ₹ 5.06 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ जैसा कि ***परिशिष्ट 3.1.1*** में वर्णित हैं ।

इसे इंगित किये जाने पर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, म.प्र. तथा प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य (निर्वाचन) ने बताया कि पी.वी.सी. फोमशीट से बने वोटिंग कम्पार्टमेंट निर्धारित वोटिंग कम्पार्टमेंट जैसे ही हैं तथा क्रय में कोई अनियमितता नहीं हुई है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में वोटिंग कम्पार्टमेंट कोरूगेटिड प्लास्टिक बोर्ड से ही बनाये जाने चाहिये थे

---

4 24'' X 36'' X 30'' साइज (दो बैलेट यूनिटों को ढकने के लिये वोटिंग कम्पार्टमेंट) के कुल 52,134 वर्ग मीटर शीट के बराबर।

5 दो बैलेट इकाइयों हेतु वोटिंग कम्पार्टमेंट (24 इंच लम्बाई, 36 इंच चौड़ाई तथा 30 इंच ऊँचाई) = (24+36+24) x 30 वर्ग इंच = 2520 वर्ग इंच या 1.626 वर्गमीटर।

जबकि विभाग द्वारा पी.वी.सी. फोम से बने वोटिंग कम्पार्टमेंट क्रय किये गये जो निर्धारित सामग्री से कहीं ज्यादा मंहगे हैं। इस प्रकार भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुये मुख्य निर्वाचन अधिकारी, म.प्र. द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पी.वी.सी. फोम शीट से बने वोटिंग कम्पार्टमेंट क्रय किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 5.06 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

राजस्व विभाग

3.2 अनियमित व्यय

कलेक्टर मुरैना तथा श्योपुर द्वारा सहायक ग्रेड–3 तथा भृत्य के पदों पर अवैध नियुक्तियों के परिणामस्वरूप वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹ 76.12 लाख का अनियमित व्यय हुआ।

सामान्य प्रशासन विभाग (जी.ए.डी.), मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों (अप्रैल 1972 तथा नवम्बर 1973) के अनुसार, निर्वाचन कार्य में संलग्न अस्थायी कर्मचारियों को निर्वाचन कार्य पूर्ण होने पर उन्हें हटाये जाने के पश्चात शासकीय सेवाओं में नियमित नियुक्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता प्रदान करने के लिये श्रेणी बी[6] के अंतर्गत रखा जाना चाहिये। ये प्रावधान जी.ए.डी., म.प्र. शासन द्वारा आगे सितंबर 1990, सितंबर 1991 तथा सितंबर 2013 में दोहराये गये।

मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हकारी) परीक्षा नियम, 2013 (नियम) अधिसूचित किये गये जिसके अंतर्गत विभिन्न विभागों/संस्थानों में ऐसे सभी पदों हेतु भर्ती का प्रावधान है जो म.प्र. लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हैं। ये नियम राज्य के सभी विभागों/संस्थानों पर लागू होंगे। शासकीय विभाग, विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा संस्थानों से संबंधित सभी पदों को भरने हेतु व्यावसायिक परीक्षा मंडल (मंडल) द्वारा चयन किया जायेगा तथा सभी विभाग/संस्था उनके अपने स्तर पर या किसी अन्य एजेन्सी के माध्यम से ऐसा चयन संचालित करने के लिये प्रतिबंधित होंगे। नियमों में आगे प्रावधान है कि सभी विभाग ऐसे सभी पदों के लिये जो भरे जाने हैं तथा आगामी भर्ती वर्ष में जिनके रिक्त होने की संभावना है, अपने मांग पत्र बोर्ड (मंडल) को भेजेगा। पूर्व में, सामान्य प्रशासन विभाग ने भी विशिष्ट अनुदेश जारी किये थे (फरवरी 2011 तथा मई 2011) कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती मंडल द्वारा की जानी है।

कलेक्टर मुरैना के कार्यालय में अभिलेखों की नमूना जाँच (फरवरी 2018) तथा कलेक्टर श्योपुर कार्यालय से आगे संग्रहित जानकारी (मई 2018) से लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि निर्वाचन कार्य हेतु सृजित अस्थायी पदों के विरूद्ध पूर्व में संलग्न 20 व्यक्तियों को तत्कालीन कलेक्टरों (कलेक्टर मुरैना श्री विनोद शर्मा, कलेक्टर श्योपुर श्री पी.एल.सोलंकी) द्वारा रिक्त पदों के विरूद्ध अनियमित रूप से सहायक ग्रेड–3 तथा भृत्य के पद पर नियुक्त (जनवरी से अगस्त 2016) किया गया था। ये नियुक्तियाँ नियुक्ति आदेशों में संबंधित भर्ती नियमों का उल्लेख किये बिना तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में म.प्र. कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हकारी) परीक्षा नियम, 2013 तथा फरवरी 2011 तथा मई 2011 में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा

[6] शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु प्राथमिकता से संबंधित आदेश के अनुसार, अधिशेष कर्मचारियों एवं कार्य भारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को श्रेणी 'बी' में रखा जाता है।

जारी अनुदेशों/दिशा निर्देशों में निर्धारित उपयुक्त नियमित भर्ती प्रक्रिया का पालन किये बिना किया गया था।

इस प्रकार, उपरोक्त वर्णित प्रकरणों में कलेक्टरों द्वारा की गयी 20 नियुक्तियाँ अवैध तथा निर्धारित भर्ती नियमों का उल्लंघन कर की गयी थीं जिसके परिणामस्वरूप जनवरी 2016 तथा मार्च 2018 के मध्य अलग–अलग अवधि में वेतन एवं भत्तों के रूप में इन कर्मचारियों को भुगतान की गयी राशि ₹ 76.12 लाख का अनियमित व्यय हुआ जैसा कि ***परिशिष्ट 3.2.1*** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने पर, राजस्व विभाग म.प्र. शासन ने सूचित किया (जुलाई 2019) कि जिला कलेक्टरों द्वारा की गयी नियुक्तियों को अवैध माना गया है, अतः प्रमुख राजस्व आयुक्त को नियुक्तियाँ निरस्त करने के लिये संबंधित कलेक्टरों को अनुदेश जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि शासन को राज्य के सभी जिलों में कलेक्टरों द्वारा की गयी ऐसी सभी नियुक्तियों के प्रकरणों की समीक्षा करनी चाहिये।

सामाजिक क्षेत्र

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.3 भंडार के निर्गम प्रमाणकों में हेरा–फेरी द्वारा गबन

सी.एम.एच.ओ., छतरपुर के कार्यालय में भंडार प्रबंधन के प्रावधानों एवं विभागीय निर्देशों के अनुपालन न करने तथा अधीनस्थ इकाईयों को आपूर्ति की गई औषधियों/सामग्रियों के निर्गम प्रमाणकों में स्टोर कीपर द्वारा कपटपूर्ण हेरा–फेरी के कारण ₹ 12.71 लाख का गबन हुआ।

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं (डी.एच.एस.), मध्य प्रदेश द्वारा जारी औषधि प्रबंधन दिशानिर्देशों एवं संबंधित निर्देशों में प्रावधानित है कि प्रत्येक सामग्री की प्राप्तियाँ, निर्गम तथा शेष निकाली जानी चाहिए तथा भंडार के प्रभारी अधिकारी द्वारा नियमित रूप से अभिप्रमाणित की जानी चाहिए। जब सामग्री भंडार से जारी की जाती है तब प्रभारी अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मांगपत्र निर्धारित प्रारूप में है। सामग्रियों के निर्गम प्रमाणक तीन प्रतियों में तैयार किए जाने चाहिए। प्रथम प्रति भंडार के अभिलेखों के साथ रहेगी। द्वितीय एवं तृतीय प्रति आपूर्तियों के साथ जाएगी। द्वितीय प्रति आपूर्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा रखी जाएगी तथा तृतीय प्रति प्राप्तकर्ता द्वारा प्रत्येक सामग्री के सामने भंडार पंजी के पृष्ठ क्रमांक की प्रविष्टि के पश्चात भंडार को वापस की जाएगी। प्रत्येक बार सामग्रियों का निर्गम प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ भंडार की भंडार पंजी में अभिलिखित किया जाएगा। भंडार में पाई गई किसी अनियमितता या कार्य करने के सुव्यवस्थित तरीके की अनदेखी के लिए भंडार के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तथा भंडारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। निर्गम प्रमाणक की तृतीय प्रति में की गई प्रविष्टियों के मिलान हेतु भंडार पंजियों के जाँच का काम भंडार के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का होगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सी.एम.एच.ओ.), छतरपुर के कार्यालय में भंडार/स्कन्ध के निर्गम से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच (अगस्त 2017) के दौरान तथा आगे संग्रहित जानकारी (मई 2018) में लेखापरीक्षा ने पाया कि अधीनस्थ

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सी.एच.सी.), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पी.एच.सी.) को निर्गम प्रमाणकों पर औषधियाँ/सामग्रियाँ जारी की जा रही थीं यद्यपि सी.एच.सी./पी.एच.सी. के माँगपत्र/प्रार्थनापत्र अभिलेखों में नहीं पाए गए। इस प्रकार, अधीनस्थ सी.एच.सी./पी.एच.सी. को जारी औषधियों/सामग्रियों की भंडार पंजी में की गई प्रविष्टियाँ सी.एच.सी./पी.एच.सी. के माँगपत्रों/प्रार्थनापत्रों द्वारा समर्थित नहीं थीं। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्गम प्रमाणक/बिल तीन प्रतियों में तैयार किए गए थे, प्रथम/मूल प्रति जिला भंडार में कार्यालय प्रति के रूप में रखी गई थी तथा अन्य दो कार्बन प्रतियाँ सामग्री की पावती प्राप्त करने तथा संबंधित सी.एच.सी./पी.एच.सी. के अभिलेख हेतु अधीनस्थ इकाइयों के माँगकर्ता अधिकारी को प्रदान की गई थीं। हालाँकि, सामग्रियों के प्राप्तकर्ता द्वारा वापस की गई निर्गम प्रमाणक की तृतीय प्रति को प्राप्त करने/संधारित करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी। निर्गम प्रमाणक की मूल प्रति का इसकी कार्बन प्रति (जो संबंधित सी.एच.सी./पी.एच.सी. के पास उपलब्ध थी) से क्रॉस सत्यापन करने पर लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्गम प्रमाणक की मूल प्रति तथा इसकी कार्बन प्रति में दर्शाई गई मात्राओं में अंतर थे। निर्गम प्रमाणकों की संवीक्षा ने उद्घाटित किया कि तत्कालीन स्टोर कीपर ने जारी सूची में नई सामग्री जोड़कर या जारी की गई सामग्री/औषधि की वास्तविक मात्रा के बाद एक शून्य जोड़कर इसे दस गुना बढ़ाकर या जारी की गई वास्तविक मात्राओं के पहले एक जोड़कर इन्हें बढ़ाकर निर्गम प्रमाणकों/बिलों की कार्यालय प्रतियों में कपटपूर्ण हेरा–फेरी की तथा तद्नुसार बढ़ाई हुई मात्रा की प्रविष्टि भंडार पंजी में अधीनस्थ सी.एच.सी./पी.एच.सी. को जारी किए जाने के रूप में की गई थी। जिसके फलस्वरूप राशि ₹ 12.71 लाख के भंडार का गबन हुआ जैसा विवरण ***परिशिष्ट 3.3.1*** में दिया गया है। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि औषधियों/सामग्रियों की प्राप्ति की भंडार प्रविष्टियाँ जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई थीं परन्तु औषधियों/सामग्रियों के निर्गम की प्रविष्टियां प्रमाणित नहीं की गई थीं यद्यपि इसे भंडार के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना था। अतः, भंडार के प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्गम प्रमाणक के तृतीय प्रति की सी.एम.एच.ओ. कार्यालय में प्राप्ति तथा इसके निर्गम प्रमाणक के प्रथम प्रति के साथ क्रॉस सत्यापन सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली की कमी के कारण राशि ₹ 12.71 लाख के भंडार का गबन हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, विभाग ने सूचित किया (जनवरी 2019) कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई आपत्ति के पुनर्सत्यापन के लिए एक विभागीय जाँच समिति गठित की गई थी। समिति ने पाया कि लेखापरीक्षा आपत्ति ठीक थी। विभाग ने आगे सूचित किया कि म. प्र. सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 14(3) के अंतर्गत तत्कालीन सी.एम.एच.ओ., भंडार के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, स्टोर कीपर, तथा क्रय लिपिक के विरूद्ध विभागीय जाँच आरंभ की गई है। निर्गम सम्मेलन (जून 2019) में शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकन के तथ्यों एवं आंकड़ों का सत्यापन किया तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर को पृष्ठांकित किया।

3.4 व्ययों की वसूली न होना

नई दवा नीति के अंतर्गत औषधियों के गुणवत्ता परीक्षण के परीक्षण व्ययों की कटौती हेतु क्रय आदेश की शर्तों का अनुपालन नहीं करने के फलस्वरूप संबंधित आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 2.36 करोड़ के व्ययों की वसूली नहीं हुई।

मंत्रिपरिषद द्वारा विधिवत् अनुमोदित नवीन दवा क्रय नीति–2009 मध्य प्रदेश शासन द्वारा क्रियान्वित (अगस्त 2009) की गई थी। दवा नीति की कंडिका 6.12 एवं 6.13 क्रमशः प्रावधानित करती है कि क्रय अधिकारी क्रय की गई दवाओं/औषधियों के नमूने

गुणवत्ता नियंत्रण हेतु चयनित मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को भेजना सुनिश्चित करेंगे एवं गुणवत्ता परीक्षण की लागत आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा वहन की जाएगी। इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त की कंडिका 17.1 प्रावधानित करती है कि संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सी.एम.एच.ओ.) तथा सिविल सर्जन (सी.एस.) प्रत्येक बैच का नमूना प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर चयनित मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं[7] को भेजेंगे तथा गुणवत्ता परीक्षण पर किए गए समस्त व्यय संबंधित आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा वहन किए जाएंगे तथा क्रय अधिकारी द्वारा उनके संबंधित आपूर्ति देयकों से काटे जाएंगे। इसके अतिरिक्त, क्रय आदेशों की शर्तों के अनुसार, आपूर्तियों के प्रत्येक बैच के नमूनों के सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए परीक्षण के हैण्डलिंग एवं परीक्षण व्यय आदेशकर्ता प्राधिकारी द्वारा काटे जाएंगे।

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, मध्य प्रदेश ने सभी सी.एम.एच.ओ. तथा सी.एस. को निर्देश जारी किए थे (नवम्बर 2014) कि औषधियों के नमूने आपूर्तियों की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को परीक्षण हेतु भेजे जाने चाहिए। मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से प्राप्त परीक्षण के प्रमाणित बिलों को संचालनालय को भेजा जाना चाहिए ताकि इसका भुगतान किया जा सके।

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं (संचालनालय), भोपाल के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच (अप्रैल 2017 तथा अगस्त 2018) तथा औषधियों के गुणवत्ता परीक्षण से सबंधित एकत्रित (फरवरी 2019) जानकारी के दौरान यह देखा गया कि शासन से कोई अनुमोदन प्राप्त किए बिना औषधियों के प्रत्येक नमूने के गुणवत्ता परीक्षण के परीक्षण व्यय की कटौती हेतु नई दवा नीति के प्रावधान निविदा अभिलेख (अर्थात् धारा 16.1) में बदल दिए गए थे। निविदा अभिलेख की धारा 16.1 के अनुसार यदि गुणवत्ता आश्वासन (क्यू.ए.) परीक्षण असफल होता है तो आपूर्तिकर्ता परीक्षण पर किए गए वास्तविक व्यय का वहन करेगा तथा इसे देयकों या निष्पादन प्रतिभूति से काटा जाएगा। यह शर्त नई दवा नीति के प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि गुणवत्ता आश्वासन परीक्षण पर किया गया समस्त व्यय संबंधित आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा वहन किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि यद्यपि निविदा अभिलेख में शर्तें अनाधिकृत रूप से बदल दी गई थीं परन्तु इसे क्रय आदेश के नियम एवं शर्तों में शामिल नहीं किया गया था। गुणवत्ता परीक्षण के व्यय के संबंध में क्रय आदेश की शर्तें नई दवा नीति, 2009 के अनुरूप थीं जिसमें उल्लिखित था कि गुणवत्ता परीक्षण व्यय दवा/औषधि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वहन किया जाना था। लेखापरीक्षा ने देखा कि संबधित सी.एम.एच. ओ. तथा सी.एस. द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा दवाओं/औषधियों के परीक्षण के प्रमाणित देयक संचालनालय को भेजे गए थे तथा संचालनालय द्वारा संबंधित परीक्षण फर्मों (प्रयोगशालाओं) को ऐसे देयकों का भुगतान किया गया था। वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के औषधियों/सामग्रियों के परीक्षण के भुगतान प्रमाणकों की संवीक्षा ने उद्घाटित किया कि मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को दवाओं/औषधियों के परीक्षण के लिए उनके देयकों के विरूद्ध राशि ₹ 2.36 करोड़ का भुगतान किया गया था (विवरण ***परिशिष्ट–3.4.1*** में दिए गए हैं)। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि नई दवा क्रय नीति के प्रावधानों के अनुसार क्रयकर्ता अधिकारियों[8] द्वारा औषधियों के

---

[7] संचालनालय द्वारा गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्राधिकृत प्रयोगशालाएं।

[8] बड़वानी, भिण्ड, दमोह, दतिया, भोपाल, खंडवा, जबलपुर, रायसेन, रतलाम, सिवनी के सी.एम.एच. ओ. तथा बालाघाट, बैतूल, दतिया, देवास, नीमच, रतलाम, रीवा, विदिशा जिलों के सी.एस. ने स्वीकार किया कि वर्ष 2016–17 से 2017–18 की अवधि के दौरान किए गए क्रयों के लिए गुणवत्ता परीक्षण के व्यय आपूर्तिकर्ताओं के देयकों से नहीं काटे गए थे।

गुणवत्ता परीक्षण पर व्यय की गई राशि औषधियों के आपूर्तिकर्ताओं के देयकों से काटी नहीं गई थी। इस प्रकार, इसके फलस्वरूप राज्य कोष पर ₹ 2.36 करोड़ का परिहार्य वित्तीय भार पड़ा तथा औषधि आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ हुआ।

इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने कहा (फरवरी 2019) कि नई दवा नीति 2009 की कंडिका 15.4 के अनुसार राज्य स्तर पर औषधि प्रकोष्ठ के प्रभारी को जिले स्तर पर क्रय की गई औषधियों/सामग्रियों की गुणवत्ता तथा उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। विभाग ने यह भी कहा कि औषधियों के गुणवत्ता परीक्षण की शर्तों में परिवर्तन का निर्णय तत्कालीन संचालक, उपार्जन (औषधि प्रकोष्ठ) द्वारा लिया गया था। आगे, निर्गम सम्मेलन (जून 2019) में शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण के तथ्यों एवं ऑकड़ों का सत्यापन किया तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर को पृष्ठांकित किया।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि गुणवत्ता आश्वासन परीक्षण पर किए गए समस्त व्ययों के स्थान पर केवल असफल औषधियों के प्रकरणों में परीक्षण व्यय की कटौती की शर्तों में परिवर्तन हेतु शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, नई दवा नीति 2009 की कंडिका 15.4 औषधि प्रकोष्ठ को औषधियों के गुणवत्ता परीक्षण की शर्तों में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, क्रय आदेश की नियम एवं शर्तें नई दवा नीति के अनुरूप थीं। अतः, गुणवत्ता परीक्षण पर किए गए ₹ 2.36 करोड़ के व्यय की कटौती आपूर्तिकर्ता फर्मों के सबंधित देयकों से या निष्पादन प्रतिभूति से करने में असफलता के फलस्वरूप शासकीय कोष पर इस राशि का परिहार्य भार पड़ा इसके अतिरिक्त औषधियों के आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ हुआ।

3.5 निष्फल व्यय

ब्लड कंपोनेन्ट सेपरेशन यूनिटों हेतु उपकरणों के क्रय से पूर्व उनके संचालन हेतु अधोसंरचना का सृजन करने में सिविल सर्जनों की विफलता के फलस्वरूप ₹ 2.21 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ एवं उपकरण दो वर्ष से अधिक तक निष्क्रिय रहे।

मध्य प्रदेश राज्य रक्ताधान परिषद (एम.पी.एस.बी.टी.सी.), भोपाल ने 11 जिलों के सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों (सी.एस.) को जिला चिकित्सालयों (डी.एच.) के वर्तमान ब्लड बैंक का उन्नयन कर ब्लड कंपोनेन्ट सेपरेशन यूनिट[9] (बी.सी.एस.यू.) की स्थापना हेतु निर्देशित (दिसम्बर 2014) किया था। निर्देशों में आगे कहा गया था कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 के अनुसार बी.सी.एस.यू. स्थापित करने हेतु 50 वर्ग मीटर जगह की आवश्कयता होती है तथा एक चिकित्सा अधिकारी एवं एक लैब टेक्नीशियन तत्काल प्रशिक्षण हेतु भेजे जाने थे तथा किसी भी विलंब के लिए संबंधित सी.एस. जिम्मेदार होंगे।

एम.पी.एस.बी.टी.सी. ने आगे संबंधित सी.एस. को निर्देशित किया (नबम्बर 2016) था कि यदि भवन नवीनीकरण/निर्माण के कार्य में विलंब होता है तो बी.सी.एस.यू. के मानकों

[9] ब्लड कंपोनेन्ट सेपरेशन यूनिट (बीसीएसयू) बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मरीज को अक्सर रक्त के विशेष घटकों जैसे लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा तथा प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है। इस प्रकार एक यूनिट रक्त तीन से चार मरीजों हेतु उपयोग किया जा सकता है तथा उपलब्ध रक्त प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है।

के अनुसार डी.एच. के उपलब्ध कमरों में से एक कमरा चयनित किया जा सकता है तथा बी.सी.एस.यू. के संचालन हेतु उपकरणों की स्थापना के उपरांत खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफ.डी.ए.), भोपाल के अनुज्ञा प्राधिकारी से अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जानी चाहिए।

बी.सी.एस.यू. की स्थापना से संबंधित सात सी.एस.[10] कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि एम.पी.एस.बी.टी.सी. ने इन सात सी.एस. को राशि ₹ 2.51 करोड़ (₹ 35.80 लाख प्रति डी.एच.) जारी की थी साथ ही निर्देशित किया था (मार्च 2016) कि राशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष 2015–16 में किया जाना है तथा यदि उपयोग नहीं की जाती तो राशि अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2016–17 में निरंतर नहीं रहेगी तथा व्यपगत हो जाएगी। सी.एस. ने बी.सी.एस.यू. की स्थापना हेतु मार्च 2016 से मई 2016 के दौरान राशि ₹ 2.21 करोड़ के उपकरण क्रय किए (विवरण ***परिशिष्ट 3.5.1*** में दिए गए हैं)। हालांकि, ये उपकरण अधोसंरचना की कमी तथा अन्य आवश्यकताओं जैसे प्रशिक्षित मानव संसाधनों तथा बी.सी.एस.यू. के संचालन हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफ.डी.ए.), भोपाल के अनुज्ञा प्राधिकारी से अनुज्ञापत्र की अनुपलब्धता के कारण उपयोग में नहीं लाए जा सके। बी.सी.एस.यू. के संचालन हेतु आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता की स्थिति ***परिशिष्ट–3.5.2*** में दी गई है। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि इन बी.सी.एस.यू. हेतु क्रय किए गए उपकरणों की वारंटी अवधि भी अप्रैल 2018 से सितम्बर 2018 के मध्य समाप्त हो गई थी। इस प्रकार, संबंधित सी.एस. द्वारा भवन की व्यवस्था, प्रशिक्षित मानव संसाधनों तथा लाइसेंसिंग प्रक्रिया के संबंध में एम.पी.एस.बी.टी.सी. के निर्देशों (दिसम्बर 2014) के अनुपालन न करने तथा पर्याप्त आधारभूत अधोसंरचना एवं अन्य आवश्यकताओं को सुनिश्चित किए बिना उपकरणों के उपार्जन के कारण बी.सी.एस.यू. हुेत क्रय किए गए उपकरण दो से अधिक वर्षों तक निष्क्रिय रहे जिसके फलस्वरूप ₹ 2.21 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

उत्तर में संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं (डी.एच.एस.) ने बताया (मार्च 2019) कि एम.पी. एस.बी.टी.सी. द्वारा ब्लड बैंक भवनों के नवीनीकरण तथा ब्लड बैंक में कार्यरत् लैब टेक्नीशियनों को कंपोनेन्ट सेपरेशन का प्रशिक्षण दिए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए थे (दिसम्बर 2014)। आगे बताया गया कि चूंकि लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रक्रिया में ब्लड बैंक भवन का नवीनीकरण, ब्लड बैंक टेक्नीशियन का प्रशिक्षण तथा उपकरणों का उपार्जन शामिल था अतः आवेदन प्रक्रिया उपकरणों के उपार्जन के पश्चात् ही पूरी की जा सकती थी। उपसंचालक (ब्लड सेल), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) ने पुष्टि की (जून 2019) कि इन सभी सात जिलों के बी.सी.एस.यू. वर्तमान में कार्यशील नहीं हैं तथा एफ.डी.ए. से लाइसेंस प्राप्त करने एवं बी.सी.एस.यू. को क्रियाशील करने हेतु आवश्यक अधोसंरचना का सृजन करने के प्रयास किए जा रहे थे। निर्गम सम्मेलन (जून 2019) में शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण के तथ्यों एवं आंकड़ों का सत्यापन किया तथा डी.एच.एस. एवं एन.एच.एम. के उत्तरों को पृष्ठांकित किया।

उत्तर से स्पष्ट है कि विभाग मूलभूत अधोसंरचना का सृजन करने में तथा अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असफल रहा जिसके कारण बी.सी.एस.यू. क्रियाशील नहीं किए जा सके परिणामस्वरूप उपकरण दो से अधिक वर्षों से निष्क्रिय पड़े रहे तथा इस पर किया गया व्यय निष्फल रहा।

---

[10] सी.एस.: बालाघाट (जून 2017), छतरपुर (सितम्बर 2017), गुना (मई 2017), खंडवा (फरवरी 2019), खरगोन (फरवरी 2019), मंदसौर (फरवरी 2019) तथा रतलाम (फरवरी 2019)।

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

3.6 अनियमित व्यय

संचालनालय के माध्यम से खरीद से बचने के लिए वस्तुओं का पैकेजों में अनाधिकृत पृथक्करण और निर्धारित प्रक्रिया का प्राचार्य, आई.टी.आई. रामपुरा द्वारा पालन किए बिना एवं बनावटी कोटेशंस के आधार पर क्रय के परिणामस्वरूप ₹ 98.94 लाख का अनियमित व्यय हुआ।

प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार और शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) में प्रशिक्षण के आधारभूत ढाँचे को उत्कृष्टता के केन्द्र में उन्नत करने के लिए, महानिदेशालय, रोजगार और प्रशिक्षण (डी.जी. ई. एण्ड टी.), श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के समन्वय और निर्देशन में विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना (व्ही.टी.आई.पी.) लागू की गई थी।

संचालनालय कौशल विकास, मध्य प्रदेश, जबलपुर ने व्ही.टी.आई.पी. के अन्तर्गत प्राप्त निधि के उपयोग के लिए निर्देश जारी किए (अप्रैल 2014) और वांछित उपकरण, मशीनरी और फर्नीचर की सूची निर्धारित प्रारूप में दिनांक 25 अप्रैल 2014 तक संचालनालय को भेजने के लिए आई.टी.आई. के प्राचार्यों को निर्देशित किया गया। ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि क्या आयटम 'शॉपिंग मोड़'[11] के अन्तर्गत प्राचार्य स्तर पर अथवा संचालनालय स्तर पर क्रय किये जाने थे। संस्थान की आवश्यकता के अनुसार, एक निर्माता द्वारा उत्पादित एक ही प्रकृति की वस्तुओं के पैकेजेस[12] तैयार किए जाने थे और उन्हें संयुक्त संचालक द्वारा अनुमोदित कराया जाना था। यदि एक पैकेज में सम्मिलित आयटमों की कुल कीमत ₹ नौ लाख तक थी तो उन्हें प्राचार्य स्तर पर और यदि आयटमों की कुल कीमत ₹ नौ लाख से अधिक और ₹ 60 लाख तक थी तो इस प्रकार के आयटमों को शॉपिंग मोड के अन्तर्गत संचालनालय स्तर से खरीदा जा सकता था।

प्राचार्य, आई.टी.आई. रामपुरा जिला नीमच के अभिलेखों की नमूना जाँच (सितम्बर 2017) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि:

(i) व्ही.टी.आई.पी. के अन्तर्गत उपकरण, कम्प्यूटर्स एवं अन्य आयटमों की खरीद के लिए कुल 12 पैकेज तैयार किए गए थे। पैकेजों के लिए आमंत्रित किए गए कोटेशंस एवं इन पैकेजों में शामिल एवं क्रय किये गये आयटमों की संख्या का विवरण ***परिशिष्ट–3.6.1 एवं 3.6.2*** में दिया गया है। वांछित उपकरणों, मशीनरी और फर्नीचर की सूची संचालनालय को भेजे बिना, वर्ष 2014–15 के दौरान एक ही दिन क्रय आदेश जारी करके संस्थान द्वारा राशि ₹ 98.94 लाख की खरीद की गई। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि आयटमों के निर्माता का विचार किए बिना, प्रत्येक पैकेज का मूल्य ₹ नौ लाख से कम रखने के लिए अलग–अलग पैकेज तैयार किए गए थे। पैकेज एक से सात[13] तक में सम्मिलित सभी 322 आयटमों की दरें चार आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त की

---

[11] आसानी से उपलब्ध ऑफ–द–शैल्फ सामान या आमतौर पर एक से अधिक स्त्रोतों पर सामान्यतः उपलब्ध मानक विशेषीकरण के सामान की खरीद के लिए एक खरीद विधि जो कि कम से कम तीन आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त कोटेशंस की तुलनात्मक कीमतों पर आधारित हो ताकि प्रतिस्पर्धात्मक कीमतें सुनिश्चित हो सकें।

[12] एक निर्माता द्वारा उत्पादित एक ही प्रकृति की आयटमों को एक पैकेज में शामिल किया जाना है।

[13] पैकेज–1 (हस्त कलपुर्जों से सम्बंधित आयटम); पैकेज–2 (यांत्रिक कलपुर्जों से सम्बंधित आयटम); पैकेज–3 (विद्युतीय कलपुर्जों से सम्बंधित आयटम); पैकेज–4 (ऑटोमोबाइल कलपुर्जों से सम्बंधित आयटम); पैकेज–5 (मापन कलपुर्जों से सम्बंधित आयटम); पैकेज–6 (विद्युत उपकरणों से सम्बंधित आयटम); पैकेज–7 (इलैक्ट्रोनिक उपकरण)।

गई थीं जो यह इंगित करती थी कि यह सभी आयटम चारों आपूर्तिकर्ताओं के पास उपलब्ध थे। क्रय आदेश जारी करने के लिए इन आयटमों को इस तरह के अलग–अलग पैकेजों में रखने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार, इन आयटमों को अनाधिकृत रूप से अलग–अलग पैकेजों में पृथक्कीकृत किया गया ताकि संचालनालय द्वारा इनकी खरीद से बचा जा सके।

(ii) पैकेज क्रमांक आठ में, जिसके माध्यम से छह प्रकार की वस्तुएं क्रय की गईं थीं, पांच आयटम[14] प्रत्येक कोटेशन में अलग–अलग कंपनियों के थे। किसी कम्प्यूटर निर्माता कम्पनी जैसे एच.पी. (HP), ऐसर (Acer), डेल (Dell) इत्यादि के स्थान पर कम्प्यूटर सेट का नाम जैसे रॉयल, क्रेसेंट, दिव्या, टेटमे इत्यादि अंकित था जो यह इंगित करता है कि क्रय की गईं वस्तुएं न तो मानक कंपनियों की थीं और न ही वस्तुओं की दरें तुलनीय थीं। पैकेज नम्बर नौ में, जिसमें ऑटोमोबाइल उपकरण थे, कोटेशंस कम्प्यूटर फर्मों से प्राप्त किए गए थे जो कि ऑटोमोबाइल उपकरणों के लिए अधिकृत आपूर्तिकर्ता नहीं हो सकते। इसी प्रकार, पैकेजेस 10 से 12 में फर्नीचर के आयटम सम्मिलित थे और इन आयटमों के लिए प्राप्त कोटेशंस में किसी भी कम्पनी (Make) का उल्लेख नहीं था जो यह इंगित करता है कि स्टील फर्नीचर आयटमों की तुलना का कोई आधार नहीं था। कोटेशंस आमंत्रित करने के लिए फर्मों के चयन से सम्बंधित नोट शीट और अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए। इसलिए, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि 'शॉपिंग मोड' के अन्तर्गत केवल निर्माताओं या प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ताओं से ही कोटेशंस प्राप्त किए गए थे।

इस प्रकार, वस्तुओं की खरीद के लिए कोटेशंस और तुलनात्मक विवरण प्रकट रूप से अनुपालन दर्शाने के लिए तैयार किए गए थे लेकिन संबंधित अभिलेखों से प्रकट हुआ कि कोटेशंस उचित रूप से प्राप्त नहीं किए गए थे और शॉपिंग मोड के अन्तर्गत कोटेशंस प्राप्त करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप व्ही.टी.आई.पी. के अन्तर्गत वस्तुओं की खरीद पर ₹ 98.94 लाख का अनियमित व्यय हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, शासन ने सूचित किया (अगस्त 2019) कि तत्कालीन प्राचार्य और प्रशिक्षण अधीक्षक (भण्डार अधिकारी) (वर्तमान में निलंबित) और तत्कालीन संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए और इसलिए उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए विभागीय जाँच जारी थी।

जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

3.7 पर्यवेक्षण शुल्क का अधिक भुगतान

मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को पर्यवेक्षण शुल्क तथा उस पर सेवाकर के रूप में राशि ₹ 1.06 करोड़ का अधिक भुगतान।

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदान करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009, जो जनवरी 2013 पुनरीक्षित, का विनियम 4.2.6 विनिर्दिष्ट करता

[14] लेजर प्रिंटर, एल.सी.डी., कम्प्यूटर सैट, बाहरी हार्ड डिस्क और ऑनलाइन यू.पी.एस.।

है कि कृषकों के लिए सिंचाई पंप सेट्स हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत् प्रदाय व्यवस्था, प्राप्त मांग–पत्र पर दक्ष वितरण प्रणाली के संचालन हेतु निम्न दाब तन्तुपथ प्रदान किये जाने संबंधी लागत में, वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र की लागत तथा सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाईन) को जोड़कर उनकी वसूली उपरांत की जाएगी। वैकल्पिक तौर पर, आवेदक, यदि इच्छुक हो, तो उसे कार्य की प्राक्कलित लागत के तीन प्रतिशत की दर से परिवेक्षण प्रभारों के रूप में भुगतान करने के लिए अनुमति दी जाएगी, तथा ऐसे परिवेक्षण प्रभारों के भुगतान करने पर, आवेदक एक अनुमोदित अनुज्ञप्ति–प्राप्त ठेकेदार के माध्यम से वितरण अनुज्ञप्तिधारी के परिवेक्षण में कार्य संपादन करा सकेगा।

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास (ए.सी.टी.डी.), बुरहानपुर और छिंदवाड़ा और जिला संयोजक, आदिमजाति कल्याण (डी.ओ.टी.डब्लू.), कटनी, मंदसौर, देवास और उज्जैन के कार्यालयों[15] के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान परिलक्षित हुआ कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एम.पी.वी.वी.सी.एल.) ने पंप सेटों के विद्युतीकरण के लिए अनुसूचित जाति (एस.सी.) और अनुसूचित जनजाति (एस. टी.) श्रेणी के कृषकों के कुओं तक विद्युत लाइनों के विस्तार के लिए प्राक्कलन तैयार किये। संबंधित ए.सी.टी.डी./डी.ओ.टी.डब्लू. द्वारा कार्य की प्राक्कलित लागत पर पाँच प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण शुल्क और उस पर सेवाकर का भुगतान एम.पी.वी.वी.सी. एल. को किया गया, जबकि पूर्वोक्त नियमों के अंतर्गत, एम.पी.वी.वी.सी.एल. को पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान कार्य की प्राक्कलित लागत के मात्र तीन प्रतिशत की दर से तथा उस पर सेवा कर की गणना कर किया जाना था।

इस प्रकार, दो प्रतिशत अतिरिक्त पर्यवेक्षण शुल्क तथा उस पर सेवा कर के कारण एम.पी.वी.वी.सी.एल. को राशि ₹ 1.06 करोड़[16] का अधिक भुगतान किया गया जैसा कि ***परिशिष्ट–3.7.1*** में वर्णित है।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किए जाने पर, ए.सी.टी.डी[17]./डी.ओ.टी.डब्लू[18]. ने बताया कि एम.पी.वी.वी.सी.एल. को पाँच प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान 'अ' श्रेणी के ठेकेदार द्वारा जमा योजना के तहत किए गये कार्यों की अनुमानित लागत पर तथा एम.पी.वी.वी.सी.एल. की मांग और गणना के अनुसार किया गया। उन्होंने आगे कहा कि तीन प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण शुल्क का प्रावधान ओन योर ट्रांसफॉर्मर (ओ.वाय.टी) योजना पर लागू था और अन्य सभी प्राक्कलनों के लिए पर्यवेक्षण शुल्क पांच प्रतिशत की दर से लागू था।

ए.सी.टी.डी. और डी.ओ.टी.डब्लू. के उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि संशोधित उक्त विनियमन के अनुसार पर्यवेक्षण शुल्क तथा उस पर सेवाकर का भुगतान तीन प्रतिशत की दर से किया जाना था। आगे, ऊर्जा विभाग ने भी सत्यापित किया (जून 2019) कि एस.सी./एस.टी. के पंपों के विद्युतीकरण के मामले में, पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान केवल तीन प्रतिशत की दर से किया जाना था।

---

[15] बुरहारपुर (जनवरी 2017), छिन्दवाड़ा (अक्टूबर 2017), देवास (जुलाई 2017), कटनी (जुलाई 2017), मंदसौर (जुलाई 2017) तथा उज्जैन (अक्टूबर 2017)।

[16] बुरहारपुर (₹10,41,986) छिन्दवाड़ा (₹ 9,67,664), देवास (₹ 25,61,989), कटनी (₹ 13,13,978), मंदसौर (₹ 16,96,568) तथा उज्जैन (₹ 29,79,363)।

[17] बुरहारपुर (जून 2018), छिन्दवाड़ा (अक्टूबर 2017 और जून 2018)।

[18] देवास (जुलाई 2017), कटनी (जुलाई 2017), मंदसौर (जुलाई 2017) तथा उज्जैन (अक्टूबर 2017)

शासन को अनुवर्ती अनुस्मारकों (मार्च 2019 तथा जुलाई 2019) के साथ प्रकरण की सूचना दी (दिसम्बर 2018) गई, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

3.8 परिहार्य व्यय

नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद द्वारा उच्च दाब (एच.टी.) कनेक्शनों में ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) निर्धारित स्तर पर संधारण में विफलता के कारण मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा अधिरोपित शास्ति के भुगतान के रूप में ₹ 1.10 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एम.पी.ई.आर.सी.) के सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा खुदरा विद्युत–प्रदाय दर निर्धारण (टैरिफ) आदेश के पैरा 1.13 (i) एवं (ii) (उच्चदाब विद्युत–दर टैरिफ नियम एवं शर्तें) के अनुसार, यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक[19] 90 प्रतिशत से नीचे गिरता है तो 90 प्रतिशत के नीचे औसत मासिक ऊर्जा कारक में प्रत्येक एक प्रतिशत गिरावट हेतु, उपभोक्ता पर एक प्रतिशत की दर से और औसत मासिक ऊर्जा कारक के 85 प्रतिशत से नीचे प्रत्येक एक प्रतिशत गिरावट पर अर्थदंड पाँच प्रतिशत के साथ दो प्रतिशत की दर से कुल बिल राशि पर शीर्ष 'ऊर्जा प्रभार' के अंतर्गत दंड लगाया जाएगा। विद्युत ऊर्जा कारक संधारण हेतु उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत ऊर्जा कारक नियंत्रक/संधारित्र (ई.पी.एफ.सी.) लगाए जाएं।

कार्यालय आयुक्त, नगर पालिक निगम, जबलपुर (मार्च 2018) और मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बड़वानी (अगस्त 2017) के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इन नगरीय निकायों द्वारा, जल आपूर्ति हेतु, उच्चदाब कनेक्शन स्थापित किए गए थे परंतु इन कनेक्शनों पर औसत मासिक ऊर्जा कारक संधारण हेतु विद्युत ऊर्जा कारक नियंत्रक स्थापित नहीं किये गये। हमने पाया कि नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद द्वारा अप्रैल 2014 और जनवरी 2018 की अवधि के मध्य इन उच्चदाब कनेक्शनों पर ऊर्जा कारक संधारित नहीं किया जा सका और इसके फलस्वरुप इन कनेक्शनों पर निम्न औसत मासिक ऊर्जा कारक संधारित किए जाने के कारण मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनियों[20] को दंड राशि ₹ 1.10 करोड़ का भुगतान किया, जिसे विद्युत ऊर्जा कारक नियंत्रक/संधारित्र लगाकर बचाया जा सकता था (विवरण ***परिशिष्ट 3.8.1*** में दिया गया है)।

आपत्ति इंगित किए जाने पर शासन द्वारा बताया गया (जनवरी 2019) कि निर्दिष्ट ऊर्जा कारक बनाए रखने और संधारित्र लगाए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु समस्त नगरीय निकायों को निर्देश जारी कर दिए गए थे।

अतः इन नगरीय स्थानीय निकायों के आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा औसत मासिक ऊर्जा कारक बनाए रखने के लिए विद्युत ऊर्जा कारक नियंत्रक लगाए

---

[19] माह के दौरान 'कुल किलोवॉट आवर्स' तथा 'कुल किलो वोल्ट एम्पीयर आवर्स' का प्रतिशत अनुपात।

[20] बड़वानी (मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी) और जबलपुर (मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी)।

जाने के संबंध में समयोचित कार्रवाई किए जाने में असफलता के परिणामस्वरुप मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनियों को अर्थदंड राशि ₹ 1.10 करोड़ का भुगतान किया गया।

3.9 अधिरोपित शास्ति का परिहार्य भुगतान

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) द्वारा अधिरोपित शास्ति राशि ₹ 2.50 करोड़ का परिहार्य भुगतान।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952, जिसको केन्द्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (ई.पी.एफ. अधिनियम) के अंतर्गत तैयार किया गया था, के प्रावधानों के अंतर्गत नियोक्ता, कर्मचारी के वेतन से उसके अंशदान की कटौती करेगा जिसे वह स्वयं के अंशदान के साथ प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिन के भीतर निधि में जमा करेगा। ई.पी.एफ. अधिनियम की धारा 14 (बी) एवं 7 (क्यू) कहती है कि अंशदान के भुगतान की चूक की स्थिति में नियोक्ता शास्ति की राशि जैसे 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज तथा हर्जाना, उसके भुगतान योग्य होने के दिनांक से उसके वास्तविक रुप से भुगतान की दिनांक तक, की अदायगी के लिए जिम्मेदार हो सकता है। केन्द्र सरकार ने अधिसूचित (जनवरी 2011) किया कि नगर पालिक निगम और नगर पालिका परिषद ई.पी.एफ. अधिनियम के अंतर्गत अंतर्निहित किए जाएंगे। आगे, आयुक्त, नगरीय प्रशासन और विकास विभाग द्वारा आयुक्तों/नगर पालिक निगम और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों/नगर पालिका परिषद (नगर परिषदों को छोड़कर) को ई.पी.एफ. अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी (जनवरी 2012) किए थे।

नगर पालिक निगम[21]/नगर पालिका परिषद[22] के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि नगरीय निकायों द्वारा अपने संविदा कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी अंशदान की कटौती की गयी परंतु कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) को दो से 1452 दिनों के विलंब से जमा किया गया था। नगरीय निकायों द्वारा कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान विलंब से जमा किए जाने के कारण, ई.पी.एफ.ओ. द्वारा शास्ति राशि ₹ 2.50 करोड़ अधिरोपित की गयी, जिसे इन नगरीय निकायों द्वारा जमा किया गया। विवरण ***परिशिष्ट 3.9.1*** में दिया गया है। इस प्रकार, ई.पी.एफ. अंशदान विलंब से जमा किए जाने के कारण, इन नगरीय निकायों द्वारा ई.पी.एफ.ओ. को शास्ति ₹ 2.50 करोड़ का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

लेखापरीक्षा में आपत्ति इंगित किए जाने पर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा सूचित किया (मार्च 2019) गया कि ई.पी.एफ. अंशदान निर्धारित अवधि में ई.पी.एफ.ओ. को जमा करने के लिए नगरीय स्थानीय निकायों को निर्देश जारी कर दिए गए थे। उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने भी आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के उत्तर का समर्थन (मार्च 2019) किया।

तथ्य यह है कि आयुक्त, नगरीय प्रशासन और विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश (जनवरी 2012) के बावजूद नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा ई.पी.एफ. अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया और कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान का समयोचित जमा सुनिश्चित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरुप शास्ति का परिहार्य भुगतान हुआ।

---

21 छिंदवाडा (अगस्त 2018), देवास (अगस्त 2018) तथा जबलपुर (मार्च 2018)।

22 बडवानी (अगस्त 2017), करेली (मई 2017) तथा कोतमा (अगस्त 2017)।

महिला एवं बाल विकास विभाग

3.10 परिहार्य अधिक भुगतान

पूरक पोषण कार्यक्रम (एस.एन.पी.) के अंतर्गत जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा स्व–सहायता समूहों को पोषण आहार की राशि ₹ 2.32 करोड़ का परिहार्य अधिक भुगतान किया गया।

पूरक पोषण आहार (एस.एन.पी.) योजना के अंतर्गत, 6 माह से छह वर्ष की आयु के बच्चों को ताजा पका हुआ भोजन (नाश्ता, दोपहर का भोजन और कम वजन के बच्चों के लिये थर्ड मील) प्रदाय किया जाना है, जबकि गर्भवती/धात्री माताएं और किशोरी बालिकाओं को भी प्रत्येक मंगलवार को दोपहर का भोजन प्रदाय किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग (डब्लू.सी.डी.डी.), मध्य प्रदेश (एम.पी.) भोपाल ने राज्य के आंगनवाड़ी/उप आंगनवाड़ी केन्द्रों को पूरक पोषण आहार (एस.एन.एफ.) की आपूर्ति के लिये निर्देश (फरवरी 2014) जारी किए। निर्देशों में प्रावधान था कि एस.एन.एफ. की आपूर्ति के लिये स्व–सहायता समूह (एस.एच.जी.) जिम्मेदार होंगे और नाश्ता, दोपहर के भोजन और थर्ड मील की आपूर्ति के लिये दरों का उल्लेख निर्देशों के बिन्दु संख्या 1.10[23] मे किया गया था। आगे, बिंदु सं 5.1[24], 5.2 (ईधन, परिवहन और प्रबंधन के लिये एस.एच.जी. को प्रति आंगनवाड़ी रू ₹ 500 प्रतिमाह का भुगतान) और 5.3 (रसोईए को प्रति आंगनवाड़ी प्रति माह ₹ 500 का भुगतान) एस.एच.जी., नागरिक आपूर्ति निगम को एस.एच.जी. को गेहूं/चावल की आपूर्ति के लिये एवं रसोइयों को किये जाने वाले भुगतान का वर्गीकरण उल्लेखित करता है। संचालनालय, एकीकृत बाल विकास सेवायें (आई.सी.डी.एस), भोपाल ने स्पष्ट किया (अक्टूबर 2015) कि आंगनवाड़ी केन्द्रों में एस.एन.एफ. के अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली सामग्री की दरों का निर्धारण कॉस्टप्लस फॉर्मूले के आधार पर किया जाना चाहिए तथा निर्धारित दरों में, खाना पकाने, कच्चे माल, गेहूं/चावल, परिवहन, पारिश्रमिक, प्रबंधकीय व्यय, लाभांश, रसोइया, ईधन आदि एस.एन.एफ. पर होने वाले समस्त व्यय शामिल हो। निर्देश में आगे कहा गया कि दरें फरवरी 2014 के विभाग के निर्देशों में निर्धारित मानदंडो के अनुसार समान होनी चाहिए।

---

[23] निर्देश के बिन्दु 1.10 के अनुसार दरें नाश्ता (₹ 2 प्रति) और दोपहर का भोजन (₹ 4 प्रति) 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये, थर्ड मील (₹ 3 प्रति) 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिये और भोजन (₹ 7 प्रति) गर्भवती/धात्री माताओं और किशोरी बालिकाओं के लिये।

[24] आयु वर्ग 03 से 06 वर्ष- नाश्ता/दोपहर का भोजन–खाद्यान्न के लिये मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की दर- ₹ 0.41, पके भोजन के लिये स्व–सहायता समूह (एसएचजी) की दर– नाश्ता ₹1.50 और दोपहर का भोजन–₹ 3.00, एसएनपी के लिये अधिकतम दरें – नाश्ता–₹ 2.00 और दोपहर का भोजन - ₹4.00।

छः माह से 06 वर्ष तक की आयु वर्ग के कुपोषित बच्चे–थर्ड मील –खाद्यान्न के लिये मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की दर –₹ 0.22; पके भोजन के लिये स्व–सहायता समूह (एस.एच.जी.) की दर–₹ 2.30, एस.एन.पी. के लिये अधिकतम दरें–₹ 3.00।

गर्भवती/ धात्री माताएं और किशोरी बालिकायें, दोपहर का भोजन (केवल प्रत्येक मंगलवार) - खाद्यान्न के लिये मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की दर–₹ 1.16, पके भोजन के लिये स्व–सहायता समूह (एस.एच.जी.) की दर –₹ 4.75, एस.एन.पी. के लिये अधिकतम दरें –₹ 7.00।

जिला कार्यक्रम अधिकारियों (डी.पी.ओ.), धार (अगस्त 2017), खरगौन (अगस्त 2017) और उमरिया (नवम्बर 2017) के एस.एन.एफ. योजना से संबधित अभिलेखों की नमूना जाँच से परिलक्षित हुआ कि आँगनवाड़ी केन्द्रों मे एस.एन.एफ. के अंतर्गत प्रदाय की गई सामग्री, कॉस्टप्लस फार्मूले के अनुसार तैयार नहीं की गई थी। आगे, एस.एन.एफ. आपूर्ति के देयकों की जाँच में पता चला कि दिसम्बर 2015 से सितंबर 2017 के दौरान 10,96,07,964[25] हितग्राहियों को एस.एन.एफ. प्रदान किया गया था, जिसके लिये ₹ 38.35[26] करोड़ का भुगतान किया गया था। हालांकि, डब्लू.सी.डी.डी., एम.पी. (फरवरी 2014) के निर्देशों में निर्धारित दरों पर समान संख्या के हितग्राहियों के लिए गणना ₹ 35.94[27] करोड़ हुई, (विवरण ***परिशिष्ट 3.10.1*** में दिया गया है)। इस प्रकार, ₹ 35.94 करोड़ के स्वीकार्य भुगतान के विरूद्ध ₹ 38.35 करोड़ का भुगतान किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 2.41 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, संचालनालय, डब्लू.सी.डी.डी., भोपाल ने सूचित किया (अप्रैल 2019) कि डीपीओ, धार ने एस.एच.जी. से वसूली की कार्रवाई की है, और वसूली दस समान किश्तों में की जाएगी, डी.पी.ओ., उमरिया ने एस.एच.जी. के देयकों से ₹ 56.53 लाख की वसूली की, तथा शेष राशि की वसूली आगामी महीनों में की जाएगी। इसी प्रकार, जाँच के बाद, डी.पी.ओ., खरगौन ने वसूली योग्य राशि से ₹ 9.36 लाख की वसूली की थी। निर्गम सम्मेलन (जून 2019) में, शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण के तथ्यों और आंकड़ो का सत्यापन किया तथा संचालनालय द्वारा प्रस्तुत उत्तर को पृष्ठांकित किया।

डी.पी.ओ., उमरिया के संबध में सूचित वसूली स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उत्तर के साथ प्रदाय किए गए वसूली विवरणों से पता चला कि ये वसूलियां एस.एच.जी. से खाद्यान्न संबंधित कम वसूली की गई राशि के विरूद्ध की गई थी, जो पृथक लेखापरीक्षा प्रेक्षण से सम्बंधित थी। इस प्रकार वसूली की गई राशि वर्तमान लेखापरीक्षा प्रेक्षण से संबंधित नहीं है। स्पष्टीकरण के लिए इसे संचालनालय डब्लूसी.डी.डी. भोपाल को भी (अप्रैल 2019) संप्रेषित किया गया था; हालांकि उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

तथ्य यह है कि भुगतान की गई अधिक राशि की वसूली लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद ही शुरू की गई थी। आगे, वसूली के लिये ₹ 2.32 करोड़ की राशि अभी भी लम्बित है।

---

[25] धार (अवधि 4/2016 से 6/2017 के दौरान 3,69,75,092 हितग्राही), खरगौन (अवधि 1/2016 से 9/2017 के दौरान 5,68,99,459 हितग्राही) और उमरिया (अवधि 12/2015 से 6/2017 के दौरान 1,57,33,413 हितग्राही)।

[26] धार (₹ 13.60 करोड़), खरगौन (₹19.01 करोड़) और उमरिया (₹ 5.74 करोड़)।

[27] धार (₹ 12.13 करोड़,) खरगौन (₹ 18.71 करोड़) और उमरिया (₹ 5.10 करोड़)।

3.11 कपटपूर्ण आहरण एवं अनाधिकृत खातों में जमा

कोषालय स्तर पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता और बी.सी.ओ./संचालनालय की चूक के कारण डी.पी.ओ./पी.ओ. द्वारा आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के अंतर्गत आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/आँगनवाड़ी सहायिकाओं के राशि ₹ 4.24 करोड़ के मानदेय का कपटपूर्ण आहरण किया गया तथा इसे अनाधिकृत व्यक्तियों के खातों में जमा किया गया।

एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत लक्षित समूहों को आँगनवाड़ी केंद्रों (ए.डब्लू. सी) पर विभिन्न सेवाएं दी जाती है, जिनका प्रबंधन आँगनवाड़ी कार्यकर्ता (ए.डब्लू.) और आँगनवाड़ी सहायिकाओं (ए.एच.) द्वारा किया जाता है, जिन्हें निर्धारित दरों[28] पर मानदेय का भुगतान किया जाता है।

संचालनालय, आई.सी.डी.एस., भोपाल के निर्देशों (अप्रैल 2014) के अनुसार, ए.डब्लू. और ए.एच. को मानदेय और अतिरिक्त मानदेय का आहरण केंद्रीकृत बजट आहरण प्रणाली से किया जाएगा तथा बी.सी.ओ. (बजट नियंत्रक अधिकारी) का बजट सीधे कोषालय एवं लेखा संचालनालय के मुख्य सर्वर पर उपलब्ध था।

संचालनालय, आई.सी.डी.एस., भोपाल ने (अक्टूबर 2014) निर्देश जारी किए कि परियोजना अधिकारियों (पी.ओ.) द्वारा आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आँगनवाड़ी सहायिकाओं को मानदेय और अतिरिक्त मानदेय के भुगतान के बारे में सभी विवरण विभागीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस) में अद्यतन/सत्यापित किए जाने थे। आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) पूर्वोक्त विवरण एक्सेल या नोटपेड फाइल में डाउनलोड करेगा, जिसे बाद में आँगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आँगनवाड़ी सहायिका को मानदेय और अतिरिक्त मानदेय के भुगतान के लिए कोषालय प्रणाली में अपलोड किया जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी (डी.पी.ओ.) अलग–अलग पी.ओ. के अंतर्गत काम करने वाले सभी आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आँगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए जिला स्तर पर मानदेय को आहरित और वितरित करेंगे। पी.ओ. तथापि ए.डब्लू. और ए.एच. के कार्य की निगरानी भी करेंगे और डी.पो.ओ. को एक प्रतिवेदन भेजेंगे। पी.ओ. के प्रतिवेदन के आधार पर, डी.पी.ओ. ई–भुगतान के माध्यम से आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आँगनवाड़ी सहायिकाओं को भुगतान करेगा। संचालनालय, आई.सी.डी.एस. ने कलेक्टरों को अपने निर्देश (अक्टूबर 2014) दोहराए और आगे निर्देश दिया कि कोषालय को तद्नुसार सूचित किया जाना चाहिए और पुरानी प्रणाली[29] से संबंधित बिलों को स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया।

वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी.) ने निर्देश (नवम्बर 2013) जारी किए कि डी.डी.ओ. से बिल प्राप्त होने पर कोषालय, मदों के वर्गीकरण शीर्ष की जाँच करेगा, देयक राशि की गणना करेगा, डी.डी.ओ. के हस्ताक्षर, व्यक्तिगत भुगतान के मामले में कर्मचारियों का यूनिक कर्मचारी कोड और यह कि सभी आवश्यक स्वीकृतियां और प्रमाणिकता उपलब्ध है, की जाँच करेगा।

---

[28] प्रत्येक आँगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए ₹ 3063 प्रति माह और प्रत्येक आँगनवाड़ी सहायिका के लिए ₹ 1500 की दर से मानदेय का भुगतान किया जाना था एवं अतिरिक्त मानदेय का भुगतान क्रमशः ₹ 2000 एवं ₹ 1000 की दर से किया जाना था।

[29] अक्टूबर 2014 तक केवल पी.ओ. द्वारा आँगनवाड़ी कार्यकर्ता/आँगनवाड़ी सहायिका के मानदेय के देयक तैयार किए जाते थे और इसके बाद में नबम्बर 2014 से डी.पी.ओ. द्वारा देयक तैयार किए जाने थे।

वित्त विभाग (जी.ओ.एम.पी.) ने (सितम्बर 2010) निर्देश जारी किए कि डी.डी.ओ. देयक के साथ प्राप्तकर्ता का नाम, खाता संख्या, बैंक का नाम और आई.एफ.एस.सी. कोड जैसे विवरण प्रदान करेगा और इसके आधार पर कोषालय ई–भुगतान के माध्यम से भुगतान करेगा।

चयनित डी.पी.ओ./पी.ओ. कार्यालयों की लेखापरीक्षा जाँच में निम्नलिखित पाया गया :

1(अ) भोपाल एवं रायसेन जिले के पी.ओ. द्वारा कपटपूर्ण आहरण

भोपाल जिले के परियोजना अधिकारी, गोविन्दपुरा (जुलाई 2016), मोतियापार्क (अगस्त 2016), वाणगंगा (अक्टूबर 2016) एवं डी.पी.ओ., रायसेन (मार्च 2018) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान एवं आगे कोषालय, भोपाल एवं रायसेन से प्राप्त पी.ओ.[30] के ई–भुगतान डाटा की जांच में लेखापरीक्षा ने पाया कि मई 2014 से दिसम्बर 2016 के दौरान भोपाल एवं रायसेन जिलों के पी.ओ. द्वारा आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आँगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय के रूप में ₹ 3.19 करोड़ की राशि **(विवरण *परिशिष्ट–3.11.1* में हैं)** अनियमित रूप से आहरित की गई तथा 91 बैंक खातों में जमा की गई। इन बैंक खातों में, 89 बैंक खाते आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/आँगनवाड़ी सहायिकाओं के अलावा अन्य व्यक्तियों के थे और दो खाते आँगनवाड़ी कार्यकर्ता/आँगनवाड़ी सहायिका सुश्री रीता रानी चौहान और सुश्री सुधा विमल नाम से संबंधित था। आगे, जाँच में परिलक्षित हुआ कि इन बैंक खाता धारकों में, नौ[31] डाटा एंट्री ऑपरेटर/कंप्यूटर ऑपरेटर थे जो विभिन्न परियोजना कार्यालयों में कार्यरत थे, दो[32] व्यक्ति परियोजना कार्यालयों में कार्यरत थे, एक बैंक खाता कार्यालय पी.ओ. गोविन्दपुरा, भोपाल के एक कर्मचारी की बेटी[33] से सम्बन्धित था और बाकी बैंक खाताधारकों की पहचान नहीं थी।

आगे, सुश्री सुधा विमल पी.ओ., आई.सी.डी.एस., मोतियापार्क में आँगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही थी, किन्तु उनके बैंक खाते में मानदेय की जमा राशि भोपाल जिले के कई पी.ओ., यथा बैरसिया–1, बैरसिया–2, बरखेड़ी, चांदबड़ और गोविन्दपुरा और पी.ओ. उदयपुरा जिला रायसेन से थी ।

यह भी पाया गया कि 91 खातों में से 55 बैंक खातों में, एक से अधिक परियोजनाओं से आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/आँगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए मानदेय का भुगतान किया गया था, यद्यपि व्यावहारिक रूप से एक आँगनवाड़ी कार्यकर्ता/आँगनवाड़ी सहायिका केवल एक परियोजना में एक निश्चित समय पर काम कर सकते है। 2014–15 से 2017–18 के दौरान आँगनवाड़ी कार्यकर्ता/आँगनवाड़ी सहायिका के लिए निर्धारित मानदेय ₹ 6000 से कम था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि पूर्वोक्त बैंक खातों में मानदेय राशि ₹ 6000 से अधिक और ₹ 1.13 लाख तक की सीमा में भुगतान की गई थी।

---

30 भोपाल के पी.ओ. वाणगंगा, बरखेड़ी, फंदा, गोविन्दपुरा, मोतियापार्क एवं रायसेन जिले का पी.ओ. उदयपुरा ।

31 श्री/श्रीमती हेमन्त पालीवाल, जयश्री उदय, ललित नागर, सुरेन्द्र कुमार मौर्य, आशीष प्रजापति, लता यादव, माया नागले, राहुल खाटरकर एवं दीपक शुक्ला।

32 श्री दिलीप जेठानी और काशी प्रसाद।

33 सुश्री प्रतिमा लोकवानी पुत्री श्री राजकुमार लोकवानी, सहायक ग्रेड–3।

1 (ब) डी.पी.ओ., भोपाल द्वारा कपटपूर्ण आहरण

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, भोपाल (सितम्बर 2016 और अगस्त 2018) के अभिलेखों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि अवधि सितम्बर 2016 से जून 2017 के दौरान 44 बैंक खातों (**विवरण *परिशिष्ट–3.11.1* में हैं**) में मानदेय/अतिरिक्त मानदेय की राशि ₹ 39.61 लाख कपटपूर्ण आहरण कर जमा की गई। इन 44 बैंक खातों में से 23 बैंक खातों के संबंध में मानदेय/अतिरिक्त मानदेय का कपटपूर्ण जमा पी.ओ. द्वारा भी किया गया था। उपरोक्त कपटपूर्ण आहरणों में एक विशिष्ट घटना देखी गई जिसमें डी.पी.ओ., भोपाल ने फ्लेवर्ड दूध का राशि ₹ 4.73 लाख का देयक क्रमाक 99, दिनांक 21.06.2017 प्रस्तुत किया। तथापि, इस देयक क्रमांक के विरूद्ध, कोषालय, भोपाल ने फ्लेवर्ड दूध का भुगतान[34] करने के अलावा मानदेय शीर्ष से भी ₹ 14.01 लाख का भुगतान[35] समान देयक क्रमांक पर किया, यद्यपि देयक की दिनांक अलग–अलग थी (16.06.2017)। डी.पी.ओ., भोपाल के पास ₹ 14.01 लाख के भुगतान के संबंध में कोई सुसंगत अभिलेख नहीं था। यह इंगित किये जाने पर, डी.पी.ओ., भोपाल ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2018) कि इस बात की संभावना हो सकती है कि डी.पी.ओ. के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर देयक तैयार किया गया था। आगे, कोषालय अधिकारी ने कहा कि केन्द्रीकृत राज्य वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सी.एस.एफ.एम.एस.) को बंद कर दिया गया था, इसलिए देयक प्राप्ति की टोकन संख्या को कोषालय से ज्ञात नहीं किया जा सका। डी.पी.ओ., भोपाल ने कहा (अक्टूबर 2018) कि संबंधित व्यक्तियों से राशि ₹ 14.01 लाख की वसूली की गई और चालान के माध्यम से शासन के खाते में वापस जमा की गयी।

आगे, चार जिलों[36] के डी.पी.ओ./पी.ओ. के अभिलेखों की जाँच में परिलक्षित हुआ कि इसी तरह मानदेय/अतिरिक्त मानदेय की राशि ₹ 65.72[37] लाख का कपटपूर्ण आहरण कर आँगनवाड़ी कार्यकर्ता/आँगनवाड़ी सहायिका के अलावा अन्य खातों में जमा किए गए। डी.डी.ओ. वार आहरित की गई राशियों का विवरण ***परिशिष्ट 3.11.1*** में दिया गया है। इनमें से कुछ खाते फर्म[38], कर्मचारियों और संबंधित परियोजना कार्यालय में नियुक्त कर्मचारियों[39] के परिवार के सदस्यों से संबंधित थे।

2. लेखापरीक्षा में प्रणालीगत मुद्दों और आंतरिक नियंत्रणों की समीक्षा ने निम्नानुसार प्रकट किया:

- लेखापरीक्षा ने पाया कि पूर्वोक्त पी.ओ. ने मानदेय के मैनुअल बिल तैयार किए थे जो कोषालयों को प्रस्तुत किए गए थे और उसी का भुगतान, दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हुए असंबंधित बैंक खातों में किया जा रहा था। प्रमाणकों के साथ संलग्न लाभार्थियों की सूची कोषालय प्रणाली पर अपलोड किए गए भुगतान विवरण से अलग थी।

---

[34] कोषालय प्रमाणक क्रमांक 147 दिनांक 21.06.2017 से ₹ 4,72,680 का भुगतान किया गया।

[35] कोषालय प्रमाणक पर्ची क्रमांक 143 दिनांक 21.06.2017 से ₹ 14,01,450 का भुगतान किया गया।

[36] विदिशा, मुरैना, अलीराजपुर और झाबुआ।

[37] पी.ओ., लटेरी, विदिशा (₹ 26.71 लाख), डी.पी.ओ., मुरैना (₹ 5.94 लाख), पी.ओ. और डी.पी.ओ., अलीराजपुर (₹ 20.87 लाख) और पी.ओ. और डी.पी.ओ., झाबुआ (₹ 12.20 लाख)।

[38] संदीप कम्प्यूटर और ऑफसेट मुरैना, संदीप कम्प्यूटर मुरैना।

[39] कार्यालय पी.ओ. विदिशा शहरी में पदस्थ श्री राज कुमार नामदेव, सहायक ग्रेड–3।

- डी.डी.ओ., देयकों की कार्यालय प्रति में उल्लिखित हितग्राहियों के बैंक विवरण के साथ ई–भुगतान सूची को सत्यापित करने में विफल रहे। कोषालय ने देयकों की हार्ड कॉपी को स्वीकार कर लिया और डी.डी.ओ. द्वारा ऑनलाइन भेजे गए कोषालय मॉड्यूल के साथ तुलना किए बिना ही पारित कर दिया, जो इस कपटपूर्ण भुगतान का मुख्य कारण बना। आगे, बी.सी.ओ. स्तर पर डी.डी.ओ. वार व्यय रिपोर्ट प्रणाली की गैर–मौजूदगी, और वेण्डर आई.डी. के स्थान पर यूनिक कर्मचारी कोड न बनाए जाने से सरकारी धन की इस प्रकार निकासी में और अनाधिकृत व्यक्तियों को मानदेय/अतिरिक्त मानदेय का कपटपूर्ण भुगतान करने में सहायक हुई।

- छह जिलों के डी.पी.ओ.[40], संचालनालय, आई.सी.डी.सी. द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहे, जिन्हें पी.ओ. पर निर्देशों को लागू करके अपने स्तर पर मानदेय का आहरण सुनिश्चित करना है।

- संचालनालय, आई.सी.डी.एस. के निर्देशों (अक्टूबर 2014) को जिला कोषालयों को भी सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित किया गया था, तथापि, संबंधित कोषालय, पी.ओ. द्वारा प्रस्तुत मानदेय शीर्ष से संबंधित देयकों को निरंतर स्वीकार करते रहे, और इस तरह कपटपूर्ण आहरण में सहायक रहे। भुगतान पुरूष के बैंक खातों या फर्म में किए गए पाए गए, यद्यपि आँगनवाड़ी कार्यकर्ता/आँगनवाड़ी सहायिका केवल एक महिला होनी चाहिए। इस विसंगति को खोजने के लिए कोषालय स्तर पर कोई जाँच नहीं की गई । आगे, पी.ओ. मोतियापार्क द्वारा प्रस्तुत एक देयक (क्रमांक 426 दिनांक 26.03.2016) की जाँच में परिलक्षित हुआ कि देयक का आहरण शीर्ष 55–2235–02–102–0658–0701–0658–V–22–011 (आँगनवाड़ी भवन किराए के लिए शीर्ष) के अंतर्गत किया जाना था, किन्तु ई–भुगतान सूची के अनुसार देयक शीर्ष 55–2235–02–102–0658–0701–0658–V–31–004 (आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/आँगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय के लिए शीर्ष) के अंतर्गत आहरित किया गया था और इस तरह राशि को असंबंधित बैंक खातों में कपटपूर्ण भुगतान किया गया।

- डी.डी.ओ. वार व्यय की निगरानी के लिए बी.सी.ओ. स्तर पर कोई नियंत्रण प्रणाली मौजूद नहीं थी। आगे, पी.ओ. द्वारा मानदेय के आहरण पर प्रतिबंध के बावजूद, उन्होंने अपनी डी.डी.ओ. की शक्तियाँ वापस लिए जाने तक (अगस्त 2016) निरंतर मानदेय की राशि ₹ 15.97 करोड़ आहरित करना जारी रखा और साथ ही डी.पी.ओ. स्तर (अप्रैल 2015 से) पर भी मानदेय आहरित किया गया। कपटपूर्ण आहरण पर किसी का ध्यान नहीं जाना, बी.सी.ओ./संचालनालय स्तर पर निगरानी तंत्र और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पूर्ण कमी को दर्शाता है। आगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/आँगनवाड़ी सहायिकाओं को भुगतान वित्त विभाग के निर्देशों जिसमें स्पष्ट था कि यूनिक कर्मचारी कोड का उपयोग करके व्यक्तिगत भुगतान किया जाना था, के विरूद्ध वेंडर आई.डी. का उपयोग करके किया गया था।

- ई–भुगतान सूची में शासकीय लेखा शीर्ष, ई–चेक क्रमांक, प्राप्तकर्ता का नाम, बैंक खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड और भुगतान की गई राशि का विवरण शामिल रहता है। लेखापरीक्षा में ई–भुगतान सूची के विवरणों के सत्यापन से परिलक्षित हुआ कि इनमें दिखाए गए प्राप्तकर्ता का नाम बैंको से प्राप्त विवरण के अनुसार वास्तविक धारक के बैंक खाता संख्या/आई.एफ.एस.सी. कोड से अलग था। इससे इंगित हुआ कि भुगतान से पहले कोषालय में जाँच की कोई प्रणाली नहीं थी, क्योंकि खाता धारक

[40] डी.पी.ओ., अलीराजपुर, भोपाल, झाबुआ, मुरैना, रायसेन और विदिशा।

के नाम का मिलान नहीं होने के कारण इस तरह के भुगतान से इन्कार किया जाना चाहिए था।

कोषालय स्तर पर जाँच और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए वित्त विभाग, जी.ओ.एम.पी. (अगस्त 2018) को इस मामले की सूचना दी गई थी। वित्त विभाग ने सूचित किया (नवम्बर 2018) कि भुगतान को सीमित करने, कई महीनों के लिए एकमुश्त राशि निकालने से रोकने और मासिक भुगतान को विनियमित करने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित/संशोधित किया जा रहा है। आगे, ऑफलाइन देयक निषिद्ध कर दिए गए थे और इलेक्ट्रॉनिक देयक अनिवार्य कर दिए गए थे। संबंधित पी.ओ./लेखापाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था और विभागीय जाँच और प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दाखिल करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन थी।

निर्गम सम्मेलन (जून 2019) में, शासन ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि मानदेय राशि का भुगतान असंबंधित बैंक खातों में किया गया था, और आगे यह भी बताया गया कि भोपाल जिले में आठ पी.ओ. निलंबित किए गए थे, उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी, और विभागीय जाँच (डी.ई.) जारी है। छह लेखालिपिकों के विरूद्ध भी एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी और इनमें से चार लिपिकों को पदच्युत कर दिया गया था और शेष दो के विरूद्ध विभागीय जाँच जारी थी। इसके अतिरिक्त, भोपाल के दो डी.पी.ओ. को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इसी तरह की कार्रवाई रायसेन, विदिशा और मुरैना जिलों के दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध की गई थी।

3.12 असंबंधित बैंक खातों में कपटपूर्ण भुगतान

आई.सी.डी.एस. (एकीकृत बाल विकास सेवा) के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत असंबंधित बैंक खातों में ₹ 4 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान।

पूरक पोषण आहार कार्यक्रम (एस.एन.पी.) के अंतर्गत पूरक पोषण, निजी भवनों में संचालित आँगनवाड़ी केन्द्रों (ए.डब्लू.सी.) के लिए किराया, निगरानी के लिए फ्लेक्सी फंड, पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण, यात्रा भत्ते और अन्य शीर्षो से जैसा उपयुक्त हो विक्रेता/कर्मचारी को भुगतान किया जाना था।

डी.डी.ओ. देयक प्रस्तुत करने के समय कोषालय को भुगतान प्राप्तकर्ताओं के पूर्ण विवरण (जैसे नाम, खाता संख्या, बैंक और आई.एफ.एस.सी. कोड, स्वीकृति क्रमांक इत्यादि) प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। उक्त सूचना के आधार पर कोषालय ई–भुगतान के माध्यम से संबंधित व्यक्ति को भुगतान करता है। एक बार देयक का भुगतान हो जाने के बाद, डी.डी.ओ. की यह जिम्मेदारी है कि वह ई–भुगतान राशियों का सत्यापन करें और देयक की कार्यालय प्रति से ई–भुगतान के बैंक विवरण का सत्यापन करें और स्वंय को संतुष्ट करेगा कि सभी ई–भुगतान सही बैंक खातों में किए गए है। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति/संस्थान या कार्यालय के नाम/पदनाम से खोले गए बैंक खातों का विवरण दावेदार के बैंक खाते के विवरण में दर्ज नहीं किया जाएगा। सभी प्रासंगिक अभिलेख देयक के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से संलग्न किए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति देयक के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 457 और 458 के अनुसार, देयक को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में कोषालय में प्राप्त किया जाना चाहिए और देयक के सभी विवरण और स्वीकृतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संलग्न किया जाना चाहिए। कोषालय को

देयक पास करने से पहले सत्यापित करना चाहिए कि सभी दस्तावेज देयक के साथ संलग्न है। आगे, कोषालय को देयक का सही लेखा शीर्ष सुनिश्चित करना चाहिए।

जिला कार्यक्रम अधिकारी (डी.पी.ओ.), महिला एवं बाल विकास विभाग (डब्लू.सी.डी.डी.), भोपाल (सितम्बर 2016, अगस्त 2018) और पी.ओ. गोविन्दपुरा (जुलाई 2016), मोतियापार्क (अगस्त 2016), बाणगंगा (अक्टूबर 2016), बरखेड़ी, फंदा और डी.पी.ओ. डब्लू.सी.डी.डी., रायसेन (मार्च 2018), अलीराजपुर (फरवरी 2019) और झाबुआ (फरवरी 2019) के अभिलेखों की नमूना जाँच एवं कोषालय के ई–भुगतान डाटा की जाँच में परिलक्षित हुआ कि 2014–15 से 2017–18 की अवधि के दौरान, नौ शीर्षों[41] (**नौ शीर्षों से आहरित राशियों का डी.डी.ओ.–वार विवरण *परिशिष्टों–3.12.1 से 3.12.9* में वर्णित है**) से आहरित ₹ 4 करोड़ असंबंधित व्यक्तियों के बैंक खातों में जमा किए गए थे। आगे जाँच में पाया गया कि इन प्राप्तकर्ताओं में, नौ[42] विभिन्न परियोजना कार्यालयों में डाटा एंट्री ऑपरेटर/कम्प्यूटर ऑपरेटर थे, चार व्यक्ति[43] परियोजना कार्यालय, गोविंदपुरा और फंदा के कर्मचारी थे, जबकि दो[44], एक कर्मचारी के रिश्तेदार थे और बाकी की पहचान लेखापरीक्षा में नही हुई। ये निष्कर्ष, किए गए भुगतानों की वास्तविकता पर गंभीर संदेह का संकेत देते है। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि इनमें से कुछ अपात्र/अनाधिकृत व्यक्तियों ने भी मानदेय शीर्ष से भुगतान प्राप्त किया। मानदेय शीर्ष से कपटपूर्ण भुगतान पर प्रकाश डालते हुए लेखापरीक्षा निष्कर्ष कण्डिका 3.11 में दिए गए है।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि कुछ मामलों में, भुगतान प्रमाणकों में व्यक्तियों के नाम ई–भुगतान सूची में प्राप्तकर्ताओं की सूची से सुमेलित नहीं थे। यह भी देखा गया कि भुगतान बैंक खातों में किए गए थे जैसा कि ई–भुगतान सूची में उल्लिखित है लेकिन खाता संख्याओं और आई.एफ.एस.सी. कोड के सत्यापन पर यह देखा गया कि खाता धारक का नाम ई–भुगतान सूची में उल्लिखित खाता धारक के नाम से अलग था। यह संभवतः इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि प्रमाणक में जाली नामों का उल्लेख किया गया था। इसके अलावा, 19 व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें अलग–अलग नामों से एक से अधिक पी.ओ. से किराया प्राप्त हो रहा था। यह पाया गया कि ई–भुगतान सूची में 60 व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान दिखाया गया था, लेकिन बैंक खाते केवल 14 व्यक्तियों से संबंधित थे। आगे, बैंक ने सत्यापित किया था कि सभी 14 बैंक खाताधारकों के नाम ई–भुगतान सूची में दिखाए गए नामों से अलग थे। इन खातों का उपयोग भोपाल और रायसेन दोनों जिलों से भुगतान प्राप्त करने के लिए किया गया था।

यह भी पाया गया कि प्रशिक्षण का लघु कार्यों पर व्यय, विज्ञापनों, मेला और प्रदर्शनी, बैनर्स और यात्रा भत्ता और अटल बाल मिशन के लिए संदिग्ध भुगतान समान व्यक्तियों

---

41 शीर्षों में शामिल है (1) आँगनवाड़ी भवन/गोदाम किराया (2) गर्म पके भोजन का भुगतान (3) फ्लेक्सी फंड (4) विज्ञापन एवं प्रचार, मेला, समारोह और प्रदर्शनी (5) लघु कार्यों पर व्यय, मशीनों और उपकरणों के निरीक्षण और रखरखाव पर व्यय (6) सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए संस्थानों को दी जाने वाली फीस (7) इस तरह के प्रशिक्षणों के दौरान व्यय, कार्यरत परामर्श सेवाओं की सभी श्रेणियों के लिए भुगतान (8) सामग्री और आपूर्ति (9) यात्रा भत्ते।

42 श्री/श्रीमती हेमंत पालीवाल, जयश्री उदय, ललित नागर, सुरेन्द्र कुमार मौर्य, आशीष प्रजापति, लता यादव, माया नागले, राहुल खाटरकर और दीपक शुक्ला।

43 श्री/श्रीमती दिलीप जेठानी, राजकुमार लोकवानी, काशी प्रसाद और जशवन्त धुर्वे।

44 श्री करन लोकवानी और सुश्री प्रतिमा लोकवानी, श्री राजकुमार लोकवानी के पुत्र और पुत्री थे।

को किया गया था, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। कई मामलों में, देयक फर्मों को भुगतान दर्शित कर रहे थे, जबकि भुगतान वास्तव में व्यक्तियों को किया गया था। सामग्री आपूर्ति के लिए, भण्डार पंजी में भण्डार की प्रविष्टि का इन्द्राज देयकों पर नहीं किया गया था। आगे, संविदा डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को यात्रा भत्ता का भुगतान किया गया था।

डी.डी.ओ. स्तर पर खामियाँ

डी.डी.ओ. ने सभी सुसंगत अभिलेखों/विवरणों को, जैसा कि वांछित था, देयकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से संलग्न नहीं किया। प्राप्तकर्ता सूचियों की मैन्युअल प्रतियां देयकों के साथ संलग्न थी। उप–प्रमाणक देयकों के साथ संलग्न नहीं थे। उदयपुरा परियोजना कार्यालय में, आहरण का उद्देश्य जान–बूझकर स्वीकृति में उल्लेख नहीं किया गया था। ए.डब्लू.सी. किराए और पोषण आहार के मामले में, क्रमशः ए.डब्लू.सी. मकान मालिकों और एस.एच.जी. के अलावा अन्य व्यक्तियों को भुगतान किया गया था। भुगतान प्रमाणक में उल्लेखित नाम से भिन्न व्यक्ति के बैंक खाते में भुगतान प्राप्त किया गया। इस प्रकार, डी.डी.ओ. भुगतान के बाद देयक की कार्यालय प्रति के साथ ई–भुगतान सूची से प्राप्तकर्ताओं के बैंक खाता संख्या को मिलाने में विफल रहे। कई मामलों में, परियोजना कार्यालयों में इन भुगतानों के अभिलेख गायब थे। यह स्पष्ट है कि पी.ओ. ने देयकों में कपटपूर्ण हेराफेरी की थी और डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों, कर्मचारियों और अन्य लोगों के बैंक खाता संख्या अंकित किये गये थे, जो इन भुगतानों के लिए पात्र नहीं थे और इस प्रकार शासन निधि की सारभूत राशि ₹ 4 करोड़ का गबन किया गया।

कोषालय स्तर पर खामियाँ

आगे, कोषालय की असावधानी भी स्पष्ट है क्योंकि कोषालय यह सत्यापित करने में विफल रहे कि राशि का भुगतान उसी व्यक्ति को किया गया था जिसका नाम और खाता संख्या देयक में उल्लिखित था। कोषालय ने डी.डी.ओ. द्वारा अपलोड की गई सॉफ्टकॉपी की तुलना कोषालय को प्रस्तुत देयक की हार्डकॉपी से नहीं की। ऐसे मामले थे जहां देयक में उल्लिखित नाम, ई–भुगतान सूची में उल्लिखित नामों से भिन्न थे। कोषालय ने इस तथ्य को भी अनदेखा कर दिया कि उप भुगतान प्रमाणकों और स्वीकृतियों को भुगतान प्रमाणकों के साथ संलग्न नहीं किया गया था। इसके अलावा कई मामलों में, कोषालय ने देयकों के लेखा–शीर्षों की जाँच नहीं की। महिला और बाल विकास विभाग के उत्तर के अनुसार, कई देयकों के लिए बिल ट्रांजिट बुक (बी. टी.बी.) में कोई प्रविष्टि नहीं थी।

यह स्पष्ट था कि डी.डी.ओ., जो भुगतान के लिए जिम्मेदार थे, ने अपने स्तर पर देयक में हेर–फेर किया और उसे भुगतान के लिए कोषालय में प्रस्तुत किया। कोषालय ने देयकों के संबंध में आवश्यक परीक्षण की अपनी भूमिका की अनदेखी की और इस तरह भुगतान को पारित कर दिया गया। कोषालय ने अंतिम पारित प्राधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को निष्पादित नहीं किया। विभिन्न डी.डी.ओ. द्वारा 2014 से इस प्रणाली का लगातार पालन किया जा रहा है। यह स्पष्ट रूप से विभाग के साथ–साथ कोषालय स्तर पर अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को इंगित करता है।

निर्गम सम्मेलन (जून 2019) में, शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति के तथ्यों और आँकड़ों की पुष्टि करते हुए (अलीराजपुर और झाबुआ को छोड़कर) यह सूचित किया कि कपटपूर्ण आहरण किए गए और राशियाँ असंबंधित बैंक खातों में जमा की गई थी। संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों और अन्य के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है। आगे,

डी.पी.ओ. अलीराजपुर ने कहा (फरवरी 2019) कि संबंधित परियोजना अधिकारियों और लेखापालों से जानकारी प्राप्त की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। डी.पी.ओ., झाबुआ ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2019) कि प्राप्तकर्ताओं की सूची में उल्लिखित नाम न तो एस.एच.जी. थे और न ही एस.एच.जी. से संबंधित थे। एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर[45] और उसके परिवार के सदस्यों से संबंधित बैंक खातों में भुगतान किये गये थे।

ग्वालियर
दिनांक: 27 जनवरी 2020

(डी. साहू)
महालेखाकार
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 30 जनवरी 2020

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

[45] श्री शैलेन्द्र सिंह दया

परिशिष्ट

परिशिष्ट–2.1.1

(संदर्भ: कंडिका 2.1.1, पृष्ठ संख्या 7)

नगर पालिक निगम, भोपाल एवं इन्दौर की वार्डवार जनसंख्या एवं जल कनेक्शनों की संख्या की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक

वार्ड क्र.	नगर पालिक निगम, भोपाल			वार्ड क्र.	नगर पालिक निगम, इन्दौर		
	2011 की जनसंख्या	वृद्धि दर के तीन प्रतिशत अनुसार 2018 की जनसंख्या	मार्च 2018 की स्थिति में जल कनेक्शन		2011 की जनसंख्या	वृद्धि दर 4.09 प्रतिशत के अनुसार 2018 की जनसंख्या	मार्च 2018 की स्थिति में जल कनेक्शन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	25,889	31,840	3,435	1	27,393	36,266	853
2	23,173	28,500	2,534	2	29,464	39,008	2,560
3	21,182	26,051	661	3	28,963	38,345	2,057
4	24,527	30,165	5,068	4	26,216	34,708	4,344
5	21,500	26,442	3,903	5	29,005	38,400	3,422
6	21,267	26,156	1,422	6	28,321	37,495	3,493
7	23,744	29,202	4,208	7	26,477	35,054	1,484
8	25,712	31,623	2,482	8	28,855	38,202	1,894
9	26,000	31,977	3,171	9	26,119	34,580	1,911
10	25,194	30,985	3,131	10	27,579	36,513	1,984
11	25,852	31,795	1,982	11	25,503	33,764	2,856
12	22,511	27,686	2,822	12	25,639	33,944	2,316
13	25,322	31,143	2,975	13	27,979	37,042	3,039
14	25,884	31,834	1,780	14	27,446	36,336	2,186
15	19,438	23,906	2,779	15	29,019	38,419	1,302
16	21,167	26,033	1,437	16	29,058	38,471	365
17	24,291	29,875	2,603	17	29,557	39,131	630
18	25,109	30,881	2,420	18	29,288	38,775	961
19	19,733	24,269	2,594	19	26,724	35,381	1,070
20	19,266	23,695	2,285	20	28,421	37,627	1,978
21	19,288	23,722	3,091	21	22,139	29,310	2,935
22	19,442	23,911	2,993	22	22,305	29,530	1,828
23	21,005	25,834	2,874	23	24,146	31,967	2,455
24	25,001	30,748	2,268	24	27,067	35,835	2,656
25	21,361	26,271	1,796	25	23,615	31,264	5,400
26	20,121	24,746	2,014	26	22,051	29,194	2,655
27	24,989	30,733	2,861	27	24,645	32,628	1,838
28	24,155	29,708	3,163	28	24,630	32,608	2,067
29	25,529	31,397	4,026	29	23,832	31,552	2,893
30	23,007	28,296	1,565	30	25,953	34,360	2,320

1	2	3	4	5	6	7	8
31	21,171	26,038	4,343	31	22,824	30,217	4,499
32	19,830	24,388	5,190	32	21,957	29,069	4,158
33	24,819	30,524	5,212	33	22,621	29,948	4,382
34	22,798	28,039	3,022	34	22,058	29,203	2,310
35	25,485	31,343	2,477	35	22,220	29,418	1,433
36	22,512	27,687	3,066	36	28,422	37,629	1,213
37	23,324	28,686	3,827	37	23,517	31,135	2,907
38	21,249	26,134	3,143	38	28,846	38,190	2,210
39	22,521	27,698	2,547	39	29,492	39,045	2,865
40	23,230	28,570	2,655	40	22,117	29,281	3,180
41	25,430	31,276	3,896	41	25,171	33,324	2,148
42	23,677	29,120	2,870	42	22,382	29,632	3,722
43	22,288	27,411	2,628	43	22,210	29,404	5,262
44	19,506	23,990	3,004	44	24,157	31,982	3,935
45	19,282	23,714	4,422	45	23,356	30,922	2,771
46	20,605	25,342	3,253	46	22,694	30,045	1,977
47	24,018	29,539	1,977	47	26,441	35,006	4,028
48	20,926	25,736	2,336	48	22,201	29,392	3,482
49	19,623	24,134	3,566	49	24,374	32,269	4,039
50	19,719	24,252	706	50	27,699	36,671	4,558
51	20,880	25,680	3,279	51	26,300	34,819	750
52	23,781	29,248	1,843	52	23,356	30,922	1,788
53	21,924	26,964	49	53	29,108	38,537	2,710
54	25,940	31,903	2,240	54	27,762	36,755	3,364
55	25,213	31,009	2,238	55	22,167	29,347	5,369
56	24,770	30,464	1,340	56	29,018	38,418	3,019
57	25,847	31,789	1,703	57	27,782	36,781	3,687
58	20,690	25,446	2,464	58	24,963	33,049	3,043
59	20,402	25,092	634	59	22,444	29,714	2,494
60	24,757	30,448	11	60	24,025	31,807	3,030
61	21,574	26,533	372	61	21,965	29,080	2,335
62	19,669	24,190	1,082	62	22,619	29,946	2,679
63	25,180	30,968	1,203	63	22,638	29,971	3,134
64	25,964	31,932	2,991	64	29,645	39,248	2,248
65	23,322	28,683	213	65	25,378	33,599	5,706
66	21,115	25,969	1,246	66	25,886	34,271	4,107
67	25,994	31,969	2,214	67	22,447	29,718	2,235
68	25,697	31,604	3,351	68	22,058	29,203	1,208
69	19,363	23,814	2,777	69	25,596	33,887	5,218

1	2	3	4	5	6	7	8
70	19,809	24,363	1,934	70	25,805	34,164	2,068
71	20,706	25,466	3,521	71	23,592	31,234	4,000
72	21,958	27,006	3,016	72	22,726	30,087	3,731
73	21,555	26,510	4,661	73	23,411	30,994	1,290
74	24,680	30,353	3,295	74	29,290	38,778	5,290
75	25,733	31,648	1,877	75	28,185	37,315	571
76	25,915	31,872	3,229	76	24,913	32,983	1,307
77	25,532	31,401	2,373	77	26,902	35,616	506
78	24,917	30,645	4,848	78	28,853	38,199	3,228
79	25,940	31,903	2,959	79	29,664	39,273	1,766
80	19,991	24,586	1,686	80	29,465	39,009	4,328
81	16,578	20,389	721	81	28,984	38,373	6,071
82	20,365	25,046	1,153	82	29,436	38,971	5,736
83	20,255	24,911	1,421	83	29,642	39,244	4,157
84	18,334	22,549	306	84	27,412	36,291	2,718
85	15,108	18,581	686	85	29,669	39,280	2,447
कुल	19,22,130	23,63,977	**2,13,919**	**कुल**	21,95,274	29,06,376	**2,40,169**
	बल्क गृह जल कनेक्शन धारक		**63,447**		बल्क गृह जल कनेक्शन धारक		**12,548**
			2,77,366				**2,52,717**

परिशिष्ट–2.1.2

(संदर्भः कंडिका 2.1.6.2 एवं 2.1.8.2 पृष्ठ संख्या 12 एवं 34)

वर्ष 2013 से 2018 के दौरान नगर पालिक निगम, भोपाल एवं इंदौर में एसएलबी संकेतकों के अनुसार लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की स्थिति

स. क्र.	एसएलबी संकेतक	एसएलबी हैण्डबुक के अनुसार बैंचमार्क	वर्ष														
			2013-14			2014-15			2015-16			2016-17			2017-18		
			लक्ष्य	उप–लब्धि	वास्तविक	लक्ष्य	उप–लब्धि	वास्तविक	लक्ष्य	उप–लब्धि	वास्तविक	लक्ष्य	उप–लब्धि	वास्तविक	लक्ष्य	उप–लब्धि	वास्तविक
01	कुल आवासों के विरूद्ध जल कनैक्शनों का आच्छादन	100 %	70	67	64	100	80	63	100	80	68	100	90	66	100	93	66
02	प्रतिव्यक्ति जल आपूर्ति	135 एलपीसीडी	150	150	141	150	150	137	150	150	130	135	135	126	135	135	122
03	जल कनैक्शनों की तुलना में मीटरिंग की स्थिति	100 %	40	20	00	100	40	00	100	40	00	100	60	00	100	72	00
04	गैर राजस्व जल	20 %	25	26	30	15	20	30	15	20	38	20	19	38	20	15	49
05	जल आपूर्ति अवधि	24 घंटे	24*7	-	45 मिनट एक दिन छोड़कर	24*7	2	45 मिनट एक दिन छोड़कर	24*7	2	45 मिनट एक दिन छोड़कर	24*7	4	45 मिनट एक दिन छोड़कर	24*7	4	45 मिनट एक दिन छोड़कर
06	जल फिल्टरेशन पर्याप्तता	100	100	100	-	100	100	-	100	100	-	100	100	-	100	100	-
07	लोक शिकायत निवारण	80 %	95	93	92	100	98	99	100	98	99	80	100	98	80	100	97
08	संचालन एवं संधारण के विरूद्ध वसूली	100 %	50	42	41	70	50	39	70	50	38	100	60	41	100	65	38
09	जल प्रभारों की वसूली दक्षता	90 %	85	82	66	90	83	71	90	83	75	90	88	84	90	90	91

(स्रोतः नगर पालिक निगम, भोपाल)

स. क्र.	एसएलबी संकेतक	एसएलबी हैण्ड़बुक के अनुसार बैंचमार्क	वर्ष														
			2013-14			2014-15			2015-16			2016-17			2017-18		
			लक्ष्य	उप लब्धि	वास्त–विक	लक्ष्य	उप लब्धि	वास्त–विक	लक्ष्य	उप लब्धि	वास्तविक	लक्ष्य	उप लब्धि	वास्तविक	लक्ष्य	उप लब्धि	वास्तविक
01	कुल आवासों के विरूद्ध जल कनैक्शनों की स्थिति	100%	42	45	54	48	48	51	48	50	47	55	54	46	55	54	49
02	प्रतिव्यक्ति जल आपूर्ति	135 एलपीसीडी	92	100	64	110	110	50	100	110	48	150	105	53	150	105	58
03	जल कनैक्शनों की तुलना में मीटरिंग की स्थिति	100%	0.05	10	00	0.05	0.05	00	20	25	00	30	0.03	00	30	0.03	00
04	गैर राजस्व जल	20%	Nil	Nil	43	Nil	Nil	65	Nil	Nil	70	Nil	50	69	Nil	50	65
05	जल आपूर्ति अवधि	24 घंटे	1	1.5	30–45 मिनट एक दिन छोड़कर	2	1.5	30–45 मिनट एक दिन छोड़कर	1.5	2	30–45 मिनट एक दिन छोड़कर	2	1	30–45 मिनट एक दिन छोड़कर	2	1	30–45 मिनट एक दिन छोड़कर
06	जल फिल्टरेशन पर्याप्तता	100%	95	95	-	95	95	-	95	95	-	98	100	-	98	100	-
07	लोक शिकायत निवारण	80%	84	86	86	90	90	90	90	100	98	100	90	90	100	90	98
08	संचालन एवं संधारण के विरूद्ध वसूली	100%	45	50	19	60	50	27	60	50	12	60	50	16	60	50	18
09	जल प्रभारों की वसूली दक्षता	90%	70	75	10	78	78	14	75	78	08	80	47	10	80	47	12

(स्रोतः नगर पालिक निगम, इन्दौर), एलपीसीडी–लीटर्स प्रति व्यक्ति प्रतिदिन

परिशिष्ट–2.1.3

(संदर्भ: कंडिका 2.1.7.2, पृष्ठ संख्या 26)

जलशोधन संयंत्र में उपयोग किये जा रहे एलम/पीएसी सम्बन्धी जार परीक्षण प्रतिवेदन का विवरण

स. क्र.	दिनांक	कच्चे पानी की टर्बिडिटी	कच्चे पानी का पीएच	प्रयुक्त एलम	प्रयुक्त पी.ए.सी.	एलम/पी.ए.सी. के उपयोग के बाद प्राप्त टर्बिडिटी	प्राप्त पीएच
1	13.08.2014	215	0	35	0	7	7.72
2	17.08.2014	310	8	35	0	7	7.71
3	15.09.2014	107	7.9	35	0	5.9	7.72
4	15.09.2014	107	7.9	35	0	5.9	7.72
5	18.07.2015	114	8.1	35	0	6.1	7.8
6	01.08.2015	144	7.98	35	0	5.6	7.66
7	01.09.2015	179	7.99	35	0	8.24	7.66
8	14.09.2015	200	7.93	35	0	7.27	7.68
9	01.10.2015	72.4	8	35	3	8.6	7.66
10	07.10.2015	90.1	8	35	3	6.89	7.74

(स्रोत : नगर पालिक निगमों के जलशोधन संयंत्र प्रयोगशाला प्रतिवेदन)

परिशिष्ट–2.1.4

(संदर्भ: कंडिका 2.1.8.2, पृष्ठ संख्या 34)

नगर पालिक निगमों में वर्षवार जल प्रभार के वसूली की स्थिति

(राशि ₹ करोड़ में)

स. क्र.	वर्ष	नगर पालिक निगम, भोपाल में जल प्रभार की वसूली की स्थिति				नगर पालिक निगम, इन्दौर में जल प्रभार की वसूली की स्थिति			
		वर्तमान मांग	वर्तमान वसूली	बकाया राशि	वसूली दक्षता[1] (प्रतिशत)	वर्तमान मांग	वर्तमान वसूली	बकाया राशि	वसूली दक्षता (प्रतिशत)
1	**2**	**3**	**4**	**5 (3-4)**	**6**	**7**	**8**	**9 (7-8)**	**10**
01	2013–14	29.47	22.66	6.81	77	58.51	17.07	41.44	29
02	2014–15	29.44	23.53	5.91	80	56.82	16.76	40.06	29
03	2015–16	29.20	21.52	7.68	74	43.98	13.73	30.25	31
04	2016–17	32.86	28.42	4.44	86	61.38	17.88	43.50	29
05	2017–18	34.74	31.18	3.56	90	68.87	23.86	45.01	35
	मार्च 2018 की स्थिति में, पुरानी बकाया सहित अवसूलीकृत राशि			**48.81**		**मार्च 2018 की स्थिति में, पुरानी बकाया सहित अवसूलीकृत राशि**		**342.41**	

(स्रोत : नगर पालिक निगम, भोपाल एवं इन्दौर)

[1] वसूली दक्षता = (वसूली / मांग)*100

परिशिष्ट 3.1.1

(संदर्भ: कंडिका 3.1, पृष्ठ संख्या 44)

जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा वोटिंग कम्पार्टमेंट के उपार्जन के संदर्भ में भुगतान को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(राशि ₹ में)

स. क्र.	जिला	वोटिंग कम्पार्टमेंट का आकार*	आपूर्तिकर्ता का नाम	वोटिंग कम्पार्टमेंट की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी.) कालम 5*1.626 वर्ग मी.	दर प्रति वर्ग मी.	प्रमाणक के अनुसार भुगतान की गयी वास्तविक राशि	दर प्रति वोटिंग कम्पार्टमेंट (कालम 2 में दिये गये जिले के लिये)	राजस्थान में क्रय की गयी वोटिंग कम्पार्टमेंट की दर	राजस्थान की दर के अनुसार क्रय का मूल्य	अतिरिक्त भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12 (8-11)
1	अनूपपुर	दो बैलेट यूनिट	प्रोग्रेसिव कन्सलटैन्ट भोपाल	723	1176	1,134	13,33,321	1,844	222	1,60,506	11,72,815
2	बालाघाट	दो बैलेट यूनिट	प्रोग्रेसिव कन्सलटैन्ट भोपाल	1810	2943	1,134	33,37,430	1,844	222	4,01,820	29,35,610
3	भोपाल	दो बैलेट यूनिट	एम.पी.एल.यू.एन.	2453	3988	1,134	45,23,038	1,844	222	5,44,566	39,78,472
4	दमोह	दो बैलेट यूनिट	प्रोग्रेसिव कन्सलटैन्ट भोपाल	1200	1951	1,134	22,12,660	1,844	222	2,66,400	19,46,260
5	देवास	दो बैलेट यूनिट	प्रोग्रेसिव कन्सलटैन्ट भोपाल	1500	2439	1,134	27,65,826	1,844	222	3,33,000	24,32,826
6	धार	दो बैलेट यूनिट	प्रोग्रेसिव कन्सलटैन्ट भोपाल	2090	3398	1,134	38,53,718	1,844	222	4,63,980	33,89,738
7	इंदौर	दो बैलेट यूनिट	प्रोग्रेसिव कन्सलटैन्ट भोपाल	3500	5690	1,134	64,52,460	1,844	222	7,77,000	56,75,460
8	जबलपुर	दो बैलेट यूनिट	प्रोग्रेसिव कन्सलटैन्ट भोपाल	2500	4065	1,078	43,82,070	1,753	222	5,55,000	38,27,070
9	झाबुआ	दो बैलेट यूनिट	प्रोग्रेसिव कन्सलटैन्ट भोपाल	1070	1740	1,078	18,75,525	1,753	222	2,37,540	16,37,985
10	कटनी	दो बैलेट यूनिट	प्रोग्रेसिव कन्सलटैन्ट भोपाल	1200	1951	1,134	22,12,660	1,844	222	2,66,400	19,46,260

स. क्र.	जिला	वोटिंग कम्पार्टमेंट का आकार*	आपूर्तिकर्ता का नाम	वोटिंग कम्पार्टमेंट की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी.) कालम 5*1.626 वर्ग मी.	दर प्रति वर्ग मी.	प्रमाणक के अनुसार भुगतान की गयी वास्तविक राशि	दर प्रति वोटिंग कम्पार्टमेंट (कालम 2 में दिये गये जिले के लिये)	राजस्थान में क्रय की गयी वोटिंग कम्पार्टमेंट की दर	राजस्थान की दर के अनुसार क्रय का मूल्य	अतिरिक्त भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12 (8-11)
11	खरगौन	दो बैलेट यूनिट	प्रोग्रेसिव कन्सलटैन्ट भोपाल	1800	2927	1,078	31,55,090	1,753	222	3,99,600	27,55,490
12	नीमच	दो बैलेट यूनिट	प्रोग्रेसिव कन्सलटैन्ट भोपाल	816	1327	1,078	14,30,506	1,753	222	1,81,152	12,49,354
13	पन्ना	दो बैलेट यूनिट	लेजर ग्राफिक्स भोपाल	960	1561	1,078	16,83,081	1,753	222	2,13,120	14,69,961
14	रीवा	दो बैलेट यूनिट	लेजर ग्राफिक्स भोपाल	2214	3600	1,078	38,80,800	1,753	222	4,91,508	33,89,292
15	सतना	दो बैलेट यूनिट	प्रोग्रेसिव कन्सलटैन्ट भोपाल	2166	3522	1,078	37,96,716	1,753	222	4,80,852	33,15,864
16	शहडोल	दो बैलेट यूनिट	लेजर ग्राफिक्स भोपाल	983	1599	1,078	17,23,471	1,753	222	2,18,226	15,05,245
17	शिवपुरी	दो बैलेट यूनिट	प्रोग्रेसिव कन्सलटैन्ट भोपाल	1700	2764	1,078	29,79,807	1,753	222	3,77,400	26,02,407
18	टीकमगढ़	दो बैलेट यूनिट	प्रोग्रेसिव कन्सलटैन्ट भोपाल	1412	2296	1,078	24,75,088	1,753	222	3,13,464	21,61,624
19	उज्जैन	दो बैलेट यूनिट	प्रोग्रेसिव कन्सलटैन्ट भोपाल	1966	3197	1,134	36,25,398	1,844	222	4,36,452	31,88,946
योग				**32,063**	**52,134**		**5,76,98,665**			**71,17,986**	**5,05,80,679**

*वोटिंग कम्पार्टमेंट शीट का क्षेत्रफल: दो बैलेट यूनिट के लिये (24 इंच लम्बाई, 36 इंच चौड़ाई, 30 इंच उंचाई) = (24+36+24) X 30 वर्ग इंच =2520 वर्ग इंच अथवा 1.626 वर्ग मीटर

परिशिष्ट 3.2.1

(संदर्भ: कंडिका 3.2, पृष्ठ संख्या 46)

कलेक्टर मुरैना तथा श्योपुर द्वारा की गयी नियुक्तियों का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क्र.	नियुक्त किये गये व्यक्ति का नाम (श्री)	अस्थायी कार्य का विवरण	शासकीय सेवा में नियुक्ति का दिनांक	पद जिस पर नियुक्ति की गयी	भुगतान किया गया वेतन		नियुक्तियों हेतु अपनाई गयी प्रक्रिया
					अवधि	राशि ₹	
जिला मुरैना							
1	मनोज कुमार प्रजापति पुत्र श्री रमेश प्रजापति	निर्वाचन कार्य	12 अगस्त 2016	सहायक ग्रेड-3	अगस्त 2016 से फरवरी 2018	3,46,611	कलेक्टर मुरैना ने निर्वाचन कार्य में संलग्न अस्थायी कर्मचारियों के प्रकरणों का परीक्षण करने के लिये एक समिति का गठन किया था तथा इस समिति की अनुशंसा के आधार पर नियुक्तियाँ की गयी।
2	शिव कुमार शिवहरे		12 अगस्त 2016	सहायक ग्रेड -3	अगस्त 2016 से फरवरी 2018	3,45,341	
3	रोहित कुलश्रेष्ठ		12 अगस्त 2016	सहायक ग्रेड -3	अगस्त 2016 से फरवरी 2018	3,42,986	
4	जितेन्द्र श्रीवास		12 अगस्त 2016	सहायक ग्रेड -3	अगस्त 2016 से मार्च 2018	3,62,882	
5	सन्तोष रजक		12 अगस्त 2016	सहायक ग्रेड -3	अगस्त 2016 से फरवरी 2018	3,36,513	
6	ब्रज मोहन शर्मा		12 अगस्त 2016	भृत्य	अगस्त 2016 से फरवरी 2018	2,75,851	
7	मनोज प्रजापति पुत्र श्री राजकुमार प्रजापति		12 अगस्त 2016	भृत्य	अगस्त 2016 से फरवरी 2018	2,76,933	
8	बृजेश राठौर		12 अगस्त 2016	भृत्य	अगस्त 2016 से फरवरी 2018	2,75,302	
9	मुकेश कुमार		12 अगस्त 2016	भृत्य	अगस्त 2016 से फरवरी 2018	2,75,052	
10	दीपक रजक		12 अगस्त 2016	भृत्य	अगस्त 2016 से मार्च 2018	3,05,161	
जिला श्योपुर							
11	जितेन्द्र सिंह यादव	निर्वाचन कार्य	2 जनवरी 2016	सहायक ग्रेड -3	जनवरी 2016 से मार्च 2018	5,59,228	निष्कासित अस्थायी कर्मचारियों के प्रकरणों पर विचार करने के लिये कलेक्टर श्योपुर द्वारा तीन समितियाँ गठित की गयी तथा समितियों की अनुशंसा के आधार पर तत्कालीन कलेक्टर द्वारा नियुक्तियाँ की गयी।
12	लोकेन्द्र सिंह यादव		2 जनवरी 2016	सहायक ग्रेड -3	जनवरी 2016 से मार्च 2018	5,52,970	
13	कमल किशोर जंगम		4 मार्च 2016	भृत्य	मार्च 2016 से मार्च 2018	4,07,330	
14	कैलाश चन्द्र जंगम		4 मार्च 2016	भृत्य	मार्च 2016 से मार्च 2018	4,10,930	
15	कैलाश आदिवासी		4 मार्च 2016	भृत्य	मार्च 2016 से मार्च 2018	4,07,330	
16	सुरेन्द्र कुमार शर्मा		16 जून 2016	सहायक ग्रेड -3	जून 2016 से मार्च 2018	4,43,004	
17	राजेश कुमार आर्य		16 जून 2016	सहायक ग्रेड -3	जून 2016 से मार्च 2018	4,43,004	
18	राम वकील गुर्जर		16 जून 2016	सहायक ग्रेड -3	जून 2016 से मार्च 2018	4,43,004	
19	श्याम कुमार सैन		16 जून 2016	सहायक ग्रेड -3	जून 2016 से मार्च 2018	4,43,004	
20	हरिओम टैगोर		16 जून 2016	भृत्य	जून 2016 से मार्च 2018	3,59,771	
योग						**76,12,207**	

परिशिष्ट 3.3.1

(संदर्भ: कंडिका 3.3, पृष्ठ संख्या 47)

कपटपूर्ण हेरा–फेरी कर जारी तथा वास्तविक रूप से जारी भंडार की मात्रा को दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

अधीनस्थ इकाई का नाम जिसे भंडार जारी किया गया	निर्गम प्रमाणक क्रमांक /दिनांक	औषधि/सामग्री का विवरण जिसे कपटपूर्ण रूप से जारी किया जाना दर्शाया गया		वास्तविक रूप से जारी की गई औषधि/सामग्री की मात्रा	मात्रा में अन्तर	प्रति इकाई मूल्य			कुल अंतर राशि
		नाम	मात्रा			लागत	टैक्स	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =(4-5)	(7)	(8)	(9) = (7 + 8)	(10) = (6*9)
सीएचसी बड़ामल्हारा	1633/ 09.01.17	बीपी इन्स्ट्रूमेन्ट डिजिटल	25	0	25	1490.00	74.50	1564.50	39,113
	1637/ 11.01.17	बेबी सूट	2000	0	2000	150.00	7.50	157.50	3,15,000
	1641/ 03.03.17	एचसीवी कार्ड किट	08	0	08	512.50	25.63	538.13	4,305
सीएचसी गौरीहार	6103/ 07.04.17	टैब. प्रेडनिसोलोन 10 एमजी (10 x 10)	520	0	520	0.68	0.03	0.71	369
	16502/1.7.16	टैब.रैनीटिडिन	12000	2000	10000	0.3053	0.0153	0.3206	3,206
	16510/27.7.16	स्पीरिट सर्जिकल	12	2	10	45.71	2.29	48.00	480
सीएचसी लवकुशनगर	3719/ 12.08.16	सिरिंज 2 एमएल	5000	500	4500	1.29	0.06	1.35	6,075
	3720/ 12.08.16	इन्जे. मिडाज़ोलम	40	0	40	15.75	0.79	16.54	662
	3726/ 14.09.16	आईवी सेट	2000	200	1800	5.57	0.28	5.85	10,530
	3756/ 31.03.17	ड्रोप मल्टीविटामिन	2000	200	1800	14.65	0.73	15.38	27,684
	3757/ 31.03.17	हार्बोक्लीन कनसेन्ट्रेट (टॉयलेट क्लीनर)	105	0	105	490.00	24.50	514.50	54,023
	3720/12.08.16	एलटीटी किट	1400	400	1000	23	1.15	24.15	24,150
	3743/20.12.16	टैब. ऑफ्लोक्सेसिन	3000	300	2700	1.35	0.0675	1.4175	3,827
पीएचसी राजनगर	2737/ 18.10.16	बेबी सूट	2320	0	2320	150.00	7.50	157.50	3,65,400
	2754/ 25.01.17	टैब. एमॉक्सी क्लैवूनेट 225 एमजी (10 x 10)	2000	0	2000	3.12	0.16	3.28	6,560

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =(4-5)	(7)	(8)	(9) = (7 + 8)	(10) = (6*9)
सीएचसी बक्सवाहा	7607/ 04.08.16	टैब. इफा ब्लू	50000	5000	45000	0.14	0.01	0.15	6,750
	7618/ 09.12.16	बेड शीट एनआरसी	26	0	26	310.00	15.50	325.50	8,463
		मेल लिवरीज़	34	0	34	979.00	48.95	1027.95	34,950
सीएचसी बक्सवाहा	7618/ 09.12.16	ममता किट	300	0	300	387.00	19.35	406.35	1,21,905
	7621/ 10.01.17	बेबी सूट	1000	0	1000	150.00	7.50	157.50	1,57,500
	1306/ 15.05.17	इन्जे. अर्व	40	0	40	122.35	6.12	128.47	5,139
सीएचसी खजुराहो	2736/ 13.10.16	सर्जिकल सूचर 3.0	50	5	45	35.40	1.77	37.17	1,673
सीएचसी बिजाबर	7721/ 09.08.16	आईवी कैन्यूला	5000	500	4500	5.30	0.27	5.57	25,065
पीएचसी सतई	705/ 19.04.17	आईवी कैन्यूला	1500	500	1000	5.18	0.26	5.44	5,440
	7744/22.11.16	बेड शीट नर्सरी प्रिंट	16	10	6	310	Nil	310	1860
	7703/23.06.16	इन्जेक्शन ऑक्सीटोसिन	500	50	450	1.65	0.0825	1.7325	780
सीएचसी नौगांव	8522/ 16.08.16	मेल लिवरीज़	32	0	32	979.00	48.95	1027.95	32,894
	8568/ 27.02.17	इन्जे. पोटैशियम क्लोराईड	100	0	100	2.89	0.14	3.03	303
	8569/ 27.02.17	स्लिपर	04	0	04	290.00	14.50	304.50	1,218
	8566/27.02.17	टैव. बीटामेथासोन	11300	300	11000	0.1825	0.0091	0.1916	2108
	8568/27.02.17	इन्जे. पोटैशियम क्लोराईड	100	0	100	2.89	0.14	3.03	303
यूपीएचसी–2 छतरपुर	1908/20.9.16	टैव. पीसीएम 500 एमजी	2500	0	2500	0.216	0.0108	0.2268	567
	1929/27.07.16	सीरप आईएफए	200	0	200	6.84	0.342	7.182	1,436
	1929/27.07.16	स्पिरिट सर्जिकल	20	2	18	45.71	2.29	48.00	864
सीएचसी इशानगर	8412/8.08.16	ऑइन्ट. क्लोट्रीमेज़ॉल 2%	300	200	100	5.43	0.27	5.70	570
कुल									**12,71,172**

परिशिष्ट 3.4.1

(संदर्भ: कंडिका 3.4, पृष्ठ संख्या 48)

2016–18 के दौरान दवाओं/सामग्रियों के नमूना परीक्षण के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को किए गए भुगतान का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला का नाम	स्वीकृत आदेश क्र./दिनांक	परीक्षण के बिलों की संख्या	भुगतान का विवरण	
				राशि (₹ में)	उप–प्रमाणक क्रमांक/दिनांक
1	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, पन्चकुला, हरियाणा	245/24.03.2016	32	1,35,182	66 13.04.2016
2		247/24.03.2016	49	1,91,846	
3	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, पन्चकुला, हरियाणा	5/04.04.2016	49	1,54,640	98बी 18.04.2016
4		7/04.04.2016	31	1,13,765	
5		9/04.04.2016	31	81,746	
6		11/04.04.2016	47	1,47,707	
7	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, पन्चकुला, हरियाणा	17/07.04.2016	44	1,26,438	98ए 18.04.16
8		19/07.04.2016	70	2,27,436	
9		21/11.04.2016	47	1,36,849	
10	सोफिस्टीकेटेड इन्डस्ट्रियल मटीरियल ऐनलिटिकल लैब्स प्रा. लि.	15/07.04.2016	45	1,88,593	
11	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, पन्चकुला, हरियाणा	23/12.04.2016	36	1,23,076	98सी 18.04.2016
12	श्री कृष्णा ऐनलिटिकल सर्विसेज़, नई दिल्ली	25/12.04.2016	37	54,249	
13	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, पन्चकुला, हरियाणा	53/30.04.2016	75	38,258	44 07.05.2016
14		55/30.04.2016	28	1,15,070	
15		57/30.04.2016	33	141,435	
16		59/30.04.2016	53	1,84,151	
17	ओजोन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	61/30.04.2016	16	14,893	
18	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, पन्चकुला, हरियाणा	63/4.05.2016	52	2,30,167	71 18.05.2016
19	बैंगलोर टेस्ट हाउस, बैंगलोर	65/06.05.2016	30	31,073	
20	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, पन्चकुला, हरियाणा	68/17.05.2016	47	1,46,821	04 02.06.2016
21	स्टैन्डर्ड ऐनलिटिकल लेबोरेट्री	70/17.05.2016	39	2,12,230	

स. क्र.	मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला का नाम	स्वीकृत आदेश क्र./दिनांक	परीक्षण के बिलों की संख्या	भुगतान का विवरण	
				राशि (₹ में)	उप–प्रमाणक क्रमांक/दिनांक
22	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, पन्चकुला, हरियाणा	75/28.05.2016	49	1,28,133	52 09.06.2016
23	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, पन्चकुला, हरियाणा	80/31.05.2016	49	1,59,281	53 09.06.2016
24		82/31.05.2016	40	1,47,184	
25		84/01.06.2016	48	2,14,849	
26		86/01.06.2016	45	1,14,076	
27		90/01.06.2016	41	1,67,326	
28	ओजोन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	88/01.06.2016	8	8,858	
29	श्री कृष्णा ऐनलिटिकल सर्विसेज़,, नई दिल्ली	78/31.05.2016	12	15,193	
30	सोफिस्टिकेटेड इन्डस्ट्रियल मटीरियल ऐनलिटिकल लैब्स प्रा.लि.	99/14.06.2016	41	1,66,754	20 06.07.2016
31	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, पन्चकुला, हरियाणा	103/15.06.2016	61	2,48,366	
32	स्टेन्डर्ड ऐनलिटिकल लेबोरेट्री	101/15.06.2016	15	57,115	
33	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, पन्चकुला, हरियाणा	108/24.07.2015	183	7,77,503	25 06.08.2015
34	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, पन्चकुला, हरियाणा	115/17.08.2015	55	1,85,981	115 22.08.2015
35		117/17.08.2015	51	1,33,464	
36		119/17.08.2015	54	1,81,155	
37		121/17.08.2015	50	1,68,863	
38		123/17.08.2015	50	1,37,091	
39		125/17.08.2015	60	1,67,658	
40	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, पन्चकुला, हरियाणा	148/20.08.2015	87	2,19,361	112 24.08.2015
41		150/20.08.2015	24	74,654	
42		154/20.08.2015	68	2,42,275	
43		146/20.08.2015	52	1,86,756	
44	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, पन्चकुला, हरियाणा	135/06.08.2016	31	96,863	60 26.11.2016
45	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, पन्चकुला, हरियाणा	169/29.08.2016	37	1,48,563	61 26.11.2016
46	श्री कृष्णा ऐनलिटिकल सर्विसेज़, नई दिल्ली	173/29.08.2016	15	29,816	61 26.11.2016

स. क्र.	मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला का नाम	स्वीकृत आदेश क्र./दिनांक	परीक्षण के बिलों की संख्या	भुगतान का विवरण	
				राशि (₹ में)	उप–प्रमाणक क्रमांक/दिनांक
47	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, पन्चकुला, हरियाणा	153/26.08.2016	23	70,112	69 29.11.2016
48		161/26.08.2016	28	57,039	
49		157/26.08.2016	53	2,59,251	
50	फार्माअफिलिएट्स ऐनलिटिक्स एण्ड सिन्थेटिक (प्रा.) लि.	165/26.08.2016	5	12,748	
51	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, पन्चकुला, हरियाणा	155/26.08.2016	30	1,27,644	70 29.11.2016
52		159/26.08.2016	7	19,548	
53		163/26.08.2016	15	38,050	
54	फार्माअफिलिएट्स ऐनलिटिक्स एण्ड सिन्थेटिक (प्रा.) लि.	167/26.08.2016	3	14,501	
55	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, पन्चकुला, हरियाणा	171/29.08.2016	23	66,581	71 29.11.2016
56	श्री कृष्णा ऐनलिटिकल सर्विसेज़, नई दिल्ली	175/29.08.2016	9	18,099	
57	फार्माअफिलिएट्स ऐनलिटिक्स एण्ड सिन्थेटिक (प्रा.) लि.	179/02.09.2016	24	73,064	68 29.11.2016
58	सोफिस्टिकेटेड इन्डस्ट्रियल मटीरियल ऐनलिटिकल लैब्स प्रा.लि.	183/02.09.2016	23	1,02,612	
59	ओएसिस टेस्ट हाउस, अहमदाबाद	193/02.09.2016	2	811	
60	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, पन्चकुला, हरियाणा	187/02.09.2016	24	65,099	
61	फार्माअफिलिएट्स ऐनलिटिक्स एण्ड सिन्थेटिक (प्रा.) लि.	177/02.9.2016	21	85,229	34 08.12.2016
62	सोफिस्टीकेटेड इन्डस्ट्रियल मटीरियल ऐनलिटकल लैब्स प्रा.लि.	181/02.09.2016	48	1,38,500	
63	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, पन्चकुला, हरियाणा	185/02.09.2016	26	94,537	
64		189/02.09.2016	42	2,67,594	
65	ओएसिस टेस्ट हाउस, अहमदाबाद	191/02.09.2016	14	7,378	
66	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, पन्चकुला, हरियाणा	212/09.12.2016	66	1,71,913	65 24.12.2016
67	डव रिसर्च ऐनलिटिकल	218/13.12.2016	12	13,678	

स. क्र.	मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला का नाम	स्वीकृत आदेश क्र./दिनांक	परीक्षण के बिलों की संख्या	भुगतान का विवरण	
				राशि (₹ में)	उप–प्रमाणक क्रमांक/दिनांक
68	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, पन्चकुला, हरियाणा	214/9.12.2016	40	1,08,214	66 24.12.2016
69	देवान्श टेस्टिंग एण्ड रिसर्च लेबोरेट्री प्रा. लि.	220/13.12.2016	16	19,085	66 24.12.2016
70	डव रिसर्च ऐनलिटिकल	234/26.12.2016	17	39,017	38 13.01.2017
71	डव रिसर्च ऐनलिटिकल	232/26.12.2016	7	20,127	39 13.01.2017
72	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, पन्चकुला, हरियाणा	224/24.12.2016	39	93,363	47 19.01.2017
73	श्री कृष्णा ऐनलिटिकल सर्विसेज़, नई दिल्ली	228/19.12.2016	13	39,413	
74	श्री कृष्णा ऐनलिटिकल सर्विसेज़, नई दिल्ली	226/19.12.2016	19	26,988	49 19.01.2017
75	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, पन्चकुला, हरियाणा	222/24.12.2016	48	1,39,533	
76	सोफिस्टीकेटेड इन्डस्ट्रियल मटीरियल ऐनलिटिकल लैब्स प्रा.लि.	250/28.01.2017	27	68,279	15 03.02.2017
77	फार्माअफिलिएट्स ऐनलिटिक्स एण्ड सिन्थेटिक (प्रा.) लि.	246/25.01.2017	8	20,478	16 03.02.2017
78	शगुन टेस्टिंग लेबोरेट्रीज़	236/03.01.2017	29	88,125	48 19.01.2017
79	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, पन्चकुला, हरियाणा	238/13.01.2017	61	1,64,132	33ए 08.02.2017
80		240/13.01.2017	68	2,01,360	
81	डव रिसर्च ऐनलिटिकल	242/13.01.2017	27	98,548	
82	फार्माअफिलिएट्स ऐनलिटिक्स एण्ड सिन्थेटिक (प्रा.) लि.	248/25.01.2017	7	12,645	44 20.02.2017
83	सोफिस्टीकेटेड इन्डस्ट्रियल मटीरियल ऐनलिटिकल लैब्स प्रा.लि.	252/28.01.2017	31	87,392	55ए 20.02.2017
84	श्री कृष्णा ऐनलिटिकल सर्विसेज़, नई दिल्ली	256/07.02.2017	13	26,689	60ए 22.02.2017
85		260/07.02.2017	26	34,097	
86	सोफिस्टीकेटेड इन्डस्ट्रियल मटीरियल ऐनलिटिकल लैब्स प्रा.लि.	265/07.2.2017	5	18,019	
87	शगुन टेस्टिंग लेबोरेट्रीज़	266/07.02.2017	39	1,21,523	

स. क्र.	मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला का नाम	स्वीकृत आदेश क्र./दिनांक	परीक्षण के बिलों की संख्या	भुगतान का विवरण	
				राशि (₹ में)	उप–प्रमाणक क्रमांक/दिनांक
88	श्री कृष्णा ऐनलिटिकल सर्विसेज़, नई दिल्ली	254/07.02.2017	26	35433	60बी 22.02.2017
89		258/07.02.2017	43	56,708	
90	सोफिस्टीकेटेड इन्डस्ट्रियल मटीरियल ऐनलिटिकल लैब्स प्रा.लि.	262/07.02.2017	20	67,909	
91	स्टैन्डर्ड ऐनलिटिकल लेबोरेट्री	268/16.02.2017	50	2,05,176	26 08.03.2017
92		270/16.02.2017	45	1,25,727	
93	श्री कृष्णा ऐनलिटिकल सर्विसेज़, नई दिल्ली	280/04.03.2017	18	22,114	34 16.03.2017
94	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, पन्चकुला, हरियाणा	284/04.03.2017	21	68,316	
95	डव रिसर्च ऐनलिटिकल	286/04.03.2017	30	85,789	
96	बैंगलोर टेस्ट हाउस, बैंगलोर	290/06.03.2017	32	21,875	
97	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, पन्चकुला, हरियाणा	294/09.03.2017	15	61,450	43 20.03.17
98	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, पन्चकुला, हरियाणा	292/09.03.2017	16	51,943	44 20.03.17
99	सोफिस्टीकेटेड इन्डस्ट्रियल मटीरियल ऐनलिटिकल लैब्स प्रा. लि., नई दिल्ली	219/26.09.2017	61	78,919	27बी 09.10.2017
100		223/26.09.2017	57	51,365	
101		225/26.09.2017	53	62,598	
102	इन्टरस्टेलर टेस्टिंग सेन्टर प्रा. लि., हरियाणा	201/18.09.2017	64	1,31,262	105सी 29.09.2017
103	डव रिसर्च एण्ड ऐनलिटिक्स, हरियाणा	187/18.09.2017	61	62,953	
104	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, हरियाणा	204/21.09.2017	50	90,328	14बी 07.10.2017
105		206/21.09.2017	24	68,245	
106	सोफिस्टीकेटेड इन्डस्ट्रियल मटीरियल ऐनलिटिकल लैब्स प्रा. लि., नई दिल्ली	194/18.09.2017	60	86,207	
107		208/21.09.2017	72	1,07,439	
108		210/21.09.2017	64	85,837	
109	डव रिसर्च एण्ड ऐनलिटिक्स, हरियाणा	218/21.09.2017	66	79,717	
110	शगुन टेस्टिंग लेबोरेट्रीज़, हरियाणा	185/18.09.2017	54	39,592	35बी 12.10.2017
		212/21.09.2017	53	37,527	
111	डव रिसर्च एण्ड ऐनलिटिक्स, हरियाणा	216/21.09.2017	49	68,851	

स. क्र.	मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला का नाम	स्वीकृत आदेश क्र./दिनांक	परीक्षण के बिलों की संख्या	भुगतान का विवरण	
				राशि (₹ में)	उप–प्रमाणक क्रमांक/दिनांक
112	सोफिस्टीकेटेड इन्डस्ट्रियल मटीरियल ऐनलिटिकल लैब्स प्रा. लि., नई दिल्ली	221/26.09.2017	49	58,942	
113	सोफिस्टीकेटेड इन्डस्ट्रियल मेटेरियल ऐनलिटिकल लैब्स प्रा. लि., नई दिल्ली	195/18.09.2017	55	85,290	105बी 29.09.2017
114	इन्टरस्टेलर टेस्टिंग सेन्टर प्रा. लि., हरियाणा	197/18.09.2017	79	1,57,244	
115		199/18.09.2017	49	1,03,817	
116	इन्टरस्टेलर टेस्टिंग सेन्टर प्रा. लि., हरियाणा	171/08.09.2017	53	1,15,123	105ए 29.09.2017
117		173/08.09.2017	57	1,03,808	
118		177/08.09.2017	55	1,23,840	
119	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, हरियाणा	175/08.09.2017	40	1,11,761	
120	सोफिस्टीकेटेड इन्डस्ट्रियल मटीरियल ऐनलिटिकल लैब्स प्रा. लि., नई दिल्ली	179/08.09.2017	67	68,897	
121	शगुन टेस्टिंग लेबोरेट्रीज़, हरियाणा	148/01.09.2017	34	20,640	
122		150/01.09.2017	55	32,674	
123		152/01.09.2017	56	37,283	
124	इन्टरस्टेलर टेस्टिंग सेन्टर प्रा. लि., हरियाणा	169/08.09.2017	52	1,06,436	73ए 25.09.2017
125	सोफिस्टीकेटेड इन्डस्ट्रियल मटीरियल ऐनलिटिकल लैब्स प्रा. लि., नई दिल्ली	181/08.09.2017	44	51,062	
126	देवान्श टेस्टिंग एण्ड रिसर्च लेबोरेट्रीज़ प्रा. लि., रूड़की	183/14.09.2017	59	67,259	
127	सोफिस्टीकेटेड इन्डस्ट्रियल मेटेरियल ऐनलिटिकल लैब्स प्रा. लि., नई दिल्ली	131/30.08.2017	45	48,247	43इ 14.09.2017
128		142/31.08.2017	55	61,776	
129	स्टैन्डर्ड ऐनलिटिकल लेबोरेट्री (एनडी) प्रा. लि., दिल्ली	125/30.08.2017	61	3,05,278	13डी 14.09.2017
130	डव रिसर्च एण्ड ऐनलिटिक्स, हरियाणा	117/29.08.2017	59	56,623	
131	इन्टरस्टेलर टेस्टिंग सेन्टर प्रा. लि., हरियाणा	119/29.08.2017	55	1,22,732	
132		127/29.08.2017	50	86,264	

स. क्र.	मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला का नाम	स्वीकृत आदेश क्र./दिनांक	परीक्षण के बिलों की संख्या	भुगतान का विवरण	
				राशि (₹ में)	उप–प्रमाणक क्रमांक/दिनांक
133	देवान्श टेस्टिंग एण्ड रिसर्च, रूड़की	116/29.08.2017	56	75,191	43सी 14.09.2017
134	शगुन टेस्टिंग लेबोरेट्रीज़	113/29.08.2017	50	36,396	
135	इन्टरस्टेलर टेस्टिंग सेन्टर प्रा. लि., हरियाणा	139/31.08.2017	56	1,25,724	43बी 14.09.2017
136	सोफिस्टीकेटेड इन्डस्ट्रियल मेटेरियल ऐनलिटिकल लैब्स प्रा. लि., नई दिल्ली	135/31.08.2017	55	64,274	
137		138/31.08.2017	59	73,421	
138	स्टैन्डर्ड ऐनलिटिकल लेबोरेट्री (एनडी) प्रा. लि., दिल्ली	133/31.08.2017	55	3,36,697	
139	सोफिस्टीकेटेड इन्डस्ट्रियल मेटेरियल ऐनलिटिकल लैब्स प्रा. लि., नई दिल्ली	123/29.08.2017	59	53,878	43ए 14.09.2017
140		129/30.08.2017	57	71,817	
141	इन्टरस्टेलर टेस्टिंग सेन्टर प्रा. लि., हरियाणा	121/29.08.2017	55	1,20,809	
142	इन्टरस्टेलर टेस्टिंग सेन्टर प्रा. लि., हरियाणा	156/01.09.2017	55	98,249	69डी 23.09.2017
143	सोफिस्टीकेटेड इन्डस्ट्रियल मटीरियल ऐनलिटिकल लैब्स प्रा. लि., नई दिल्ली	290/25.11.2017	41	52,895	45ए 18.12.2017
144	स्टैन्डर्ड ऐनलिटिकल लेबोरेट्री (एनडी) प्रा. लि., दिल्ली	294/25.11.2017	15	73,092	
145	ओजोन फार्मास्यूटिकल्स लि., हरयिाणा	296/27.11.2017	52	57,475	
146	इन्टरस्टेलर टेस्टिंग सेन्टर प्रा. लि., हरियाणा	312/27.11.2017	46	94,308	45बी 18.12.2017
147	सोफिस्टीकेटेड इन्डस्ट्रियल मटीरियल ऐनलिटिकल लैब्स प्रा. लि., नई दिल्ली	300/27.11.2017	49	68,977	
148	ओजोन फार्मास्यूटिकल्स लि., हरियाणा	310/27.11.2017	31	32,816	
149	डव रिसर्च एण्ड ऐनलिटिक्स, हरियाणा	308/27.11.2017	48	53,987	
150	शगुन टेस्टिंग लेबोरेट्री, हरियाणा	298/27.11.2017	55	30,946	63ए 20.12.2017
151		302/27.11.2017	55	35,082	
152	डव रिसर्च एण्ड ऐनलैटिक्स, हरियाणा	304/27.11.2017	55	56,242	
153		306/27.11.2017	55	54,920	

स. क्र.	मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला का नाम	स्वीकृत आदेश क्र./दिनांक	परीक्षण के बिलों की संख्या	भुगतान का विवरण	
				राशि (₹ में)	उप–प्रमाणक क्रमांक/दिनांक
154	शगुन टेस्टिंग लेबोरेट्रीज़, हरियाणा	315/06.12.2017	55	35,175	63सी 20.12.2017
155	सोफिस्टीकेटेड इन्डस्ट्रियल मटीरियल ऐनलिटिकल लैब्स प्रा. लि., नई दिल्ली	317/06.12.2017	50	66,815	
156	इन्टरस्टेलर टेस्टिंग सेन्टर प्रा. लि., हरियाणा	278/14.11.2017	55	1,07,136	28सी 09.01.2018
157		286/14.11.2017	51	73,906	
158	स्टेन्डर्ड ऐनलिटिकल लेबोरेट्री (एनडी) प्रा. लि., दिल्ली	272/13.11.2017	40	1,77,734	
159	डव रिसर्च एण्ड ऐनलिटिक्स, हरियाणा	284/14.11.2017	50	46,754	
160	शगुन टेस्टिंग लेबोरेट्रीज़, हरियाणा	335/05.01.2018	50	30,998	70ए 25.01.2018
161		337/05.01.2018	51	32,682	
162	सोफिस्टीकेटेड इन्डस्ट्रियल मटीरियल ऐनलिटिकल लैब्स प्रा. लि., नई दिल्ली	339/11.01.2018	50	53,192	
163	शगुन टेस्टिंग लेबोरेट्रीज़, हरियाणा	331/04.01.2018	49	32,499	70बी 25.01.2018
164		333/04.01.2018	57	32,913	
165	देवान्श टेस्टिंग एण्ड रिसर्च लेबोरेट्री प्रा. लि, रूड़की	266/3.11.2017	41	51,830	23बी 20.12.2017
166	स्टैन्डर्ड ऐनलिटिकल लेबोरेट्री (एनडी) प्रा. लि., दिल्ली	288/22.11.2017	35	1,43,681	
167	सोफिस्टीकेटेड इन्डस्ट्रियल मटीरियल ऐनलिटिकल लैब्स प्रा. लि., नई दिल्ली	100/24.06.2017	55	1,13,256	41इ 21.07.2017
168	डव रिसर्च एण्ड ऐनलिटिक्स, हरियाणा	40/22.05.2017	35	76,276	41डी 21.07.2017
169		28/02.05.2017	55	64,181	
170	सोफिस्टीकेटेड इन्डस्ट्रियल मटीरियल ऐनलिटिकल लैब्स प्रा. लि., नई दिल्ली	38/22.05.2017	55	64,204	
171	डव रिसर्च एण्ड ऐनलिटिक्स, हरियाणा	104/06.07.2017	54	58646	41सी 21.07.2017
172	शगुन टेस्टिंग लेबोरेट्रीज़, हरियाणा	108/06.07.2017	43	31,292	
173	डव रिसर्च एण्ड ऐनलिटिक्स, हरियाणा	106/06.07.2016	60	67,659	41बी 21.07.2017

स. क्र.	मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला का नाम	स्वीकृत आदेश क्र./दिनांक	परीक्षण के बिलों की संख्या	भुगतान का विवरण	
				राशि (₹ में)	उप–प्रमाणक क्रमांक/दिनांक
174	शगुन टेस्टिंग लेबोरेट्रीज़, हरियाणा	30/02.05.2017	40	25,321	41ए 21.07.2017
175		20/22.04.2017	33	73,585	
176		46/23.05.2017	62	46,406	
177	ओजोन फार्मास्यूटिकल्स लि., हरियाणा	74/30.05.2017	04	6,675	47सी 29.07.2017
178	श्री कृष्णा ऐनलिटिकल सर्विसेज़, नई दिल्ली	32/09.05.2017	25	27,773	
179		61/28.05.2017	21	28,059	
180	ओएसिस टेस्ट हाउस, अहमदाबाद	68/29.05.2017	04	1,843	
181		52/27.05.2017	02	810	
182	इन्टरस्टेलर टेस्टिंग सेन्टर प्रा. लि., हरियाणा	34/22.05.2017	55	98,711	47एफ 29.07.2017
183	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, हरियाणा	54/27.05.2017	30	61,125	
184	सोफिस्टीकेटेड इन्डस्ट्रियल मटीरियल ऐनलिटिकल लैब्स प्रा. लि., नई दिल्ली	190/18.09.2017	60	75,462	27ए 09.10.2017
185		192/18.09.2017	60	82,390	
186	इन्टरस्टेलर टेस्टिंग सेन्टर प्रा. लि., हरियाणा	348/01.02.2018	37	66,484	25 28.02.2018
187	देवान्श टेस्टिंग एण्ड रिसर्च लेबोरेट्री प्रा. लि, रूड़की	361/01.02.2018	41	54,033	56 22.02.2018
188	देवान्श टेस्टिंग एण्ड रिसर्च लेबोरेट्री प्रा. लि, रूड़की	364/01.02.2018	42	63,057	55 22.02.2018
189	सोफिस्टीकेटेड इन्डस्ट्रियल मटीरियल ऐनलिटिकल लैब्स प्रा. लि., नई दिल्ली	360/01.02.2018	39	59,239	
190		354/01.02.2018	50	70,784	
191	शगुन टेस्टिंग लेबोरेट्रीज़, हरियाणा	313/06.12.2017	49	26,219	61 20.12.2017
192	स्टेन्डर्ड ऐनलिटिकल लेबोरेट्री (एनडी) प्रा. लि., दिल्ली	263/03.11.2017	01	22,095	02 01.12.2017
193	ओएसिस टेस्ट हाएस, अहमदाबाद	321/13.12.2017	53	26,737	72 29.01.2018
194	स्टैन्डर्ड ऐनलिटिकल लेबोरेट्री (एनडी) प्रा. लि., दिल्ली	329/21.12.2017	15	52,041	20 02.01.2018
195	डव रिसर्च एण्ड ऐनलिटिक्स, हरियाणा	380/26.02.2018	44	50,506	05 07.03.2018
196	इन्टरस्टेलर टेस्टिंग सेन्टर प्रा. लि., हरियाणा	368/19.02.2018	59	1,21,720	50 15.03.2018

स. क्र.	मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला का नाम	स्वीकृत आदेश क्र./दिनांक	परीक्षण के बिलों की संख्या	भुगतान का विवरण	
				राशि (₹ में)	उप–प्रमाणक क्रमांक/दिनांक
197	इन्टरस्टेलर टेस्टिंग सेन्टर प्रा. लि., हरियाणा	280/14.11.2017	50	97,575	07ए 01.12.2017
198		270/14.11.2017	48	1,21,700	
199		276/14.11.2017	55	1,57,222	
200	शगुन टेस्टिंग लेबोरेट्रीज़, हरियाणा	282/14.11.2017	55	49,633	
201	स्टेन्डर्ड ऐनलिटिकल लेबोरेट्री (एनडी) प्रा. लि., दिल्ली	274/14.11.2017	32	1,25,105	
202	इन्टरस्टेलर टेस्टिंग सेन्टर प्रा. लि., हरियाणा	257/03.11.2017	54	1,00,920	63ए 29.11.2017
203		255/03.11.2017	54	1,23,093	
204	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, हरियाणा	259/03.11.2017	33	1,31,965	
205	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, हरियाणा	262/03.11.2017	48	1,27,150	63बी 29.11.2017
206	स्टैन्डर्ड ऐनलिटिकल लेबोरेट्री (एनडी) प्रा. लि., दिल्ली	268/03.11.2017	37	1,63,874	
207	इन्टरस्टेलर टेस्टिंग सेन्टर प्रा. लि., हरियाणा	239/24.10.2017	50	85,300	22डी 13.11.2017
208	डव रिसर्च एण्ड ऐनलिटिक्स, हरियाणा	241/24.10.2017	60	67,231	
209		247/24.10.2017	55	64,088	
210	देवान्श टेस्टिंग एण्ड रिसर्च लेबोरेट्री प्रा. लि, रूड़की	243/24.10.2017	41	53,477	
211	सोफिस्टीकेटेड इन्डस्ट्रियल मटीरियल ऐनलिटिकल लैब्स प्रा. लि., नई दिल्ली	251/25.10.2017	58	82,287	22डी 13.11.2017
212	इन्टरस्टेलर टेस्टिंग सेन्टर प्रा. लि., हरियाणा	238/24.10.2017	60	1,31,093	18ए 08.11.2017
213		253/25.10.2017	36	66,797	
214	देवान्श टेस्टिंग एण्ड रिसर्च लेबोरेट्री प्रा. लि, रूड़की	250/25.10.2017	67	74,945	
215	सोफिस्टीकेटेड इन्डस्ट्रियल मटीरियल ऐनलिटिकल लैब्स प्रा. लि., नई दिल्ली	246/24.10.2017	43	62,095	
216	इन्टरस्टेलर टेस्टिंग सेन्टर प्रा. लि., हरियाणा	233/11.10.2017	54	1,47,252	14सी 07.11.2017
217	श्री कृष्णा ऐनलिटिकल सर्विसेज़, नई दिल्ली	235/11.10.2017	78	72,435	

स. क्र.	मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला का नाम	स्वीकृत आदेश क्र./दिनांक	परीक्षण के बिलों की संख्या	भुगतान का विवरण	
				राशि (₹ में)	उप–प्रमाणक क्रमांक/दिनांक
218	डव रिसर्च एण्ड ऐनलिटिक्स, हरियाणा	227/07.10.2017	55	54,707	30.10.2017
219		229/07.10.2017	50	45,887	
220		231/07.10.2017	60	73,674	
221	शगुन टेस्टिंग लेबोरेट्रीज़, हरियाणा	159/05.09.2017	49	37,841	69सी 23.09.2017
222		161/05.09.2017	67	65,970	
223		163/05.09.2017	48	43,504	
224	श्री कृष्णा ऐनलिटिकल सर्विसेज़, नई दिल्ली	144/01.09.2017	53	50,415	69ए 23.09.2017
225	इन्टरस्टेलर टेस्टिंग सेन्टर प्रा. लि., हरियाणा	146/01.09.2017	53	94,506	
226		154/01.09.2017	50	98,041	
227		158/01.09.2017	55	1,23,925	
228	देवान्श टेस्टिंग एण्ड रिसर्च लेबोरेट्री प्रा. लि, रूड़की	165/05.09.2017	50	52,882	69बी 23.09.2017
229	इन्टरस्टेलर टेस्टिंग सेन्टर प्रा. लि., हरियाणा	167/05.09.2017	52	1,00,884	
230	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, हरियाणा	350/01.02.2018	45	1,04,969	32ए 09.03.2018
231		352/01.02.2018	55	2,06,999	
232	सोफिस्टीकेटेड इन्डस्ट्रियल मटीरियल ऐनलिटिकल लैब्स प्रा. लि., नई दिल्ली	356/01.02.2018	50	82,705	
233	सोफिस्टीकेटेड इन्डस्ट्रियल मटीरियल ऐनलिटिकल लैब्स प्रा. लि., नई दिल्ली	358/01.02.2018	49	73,786	12बी 07.03.2018
234		366/05.02.2018	49	51,629	
235	इन्टरस्टेलर टेस्टिंग सेन्टर प्रा. लि., हरियाणा	346/01.02.2018	57	96,836	
236	सोफिस्टीकेटेड इन्डस्ट्रियल मटीरियल ऐनलिटिकल लैब्स प्रा. लि., नई दिल्ली	84/01.06.2017	53	78,424	47ए 29.07.2017
237		80/31.05.2017	34	91,802	
238	देवान्श टेस्टिंग एण्ड रिसर्च लेबोरेट्री प्रा. लि, रूड़की	102/30.06.2017	58	68,629	47बी 29.07.2017
239	सोफिस्टीकेटेड इन्डस्ट्रियल मटीरियल ऐनलिटिकल लैब्स प्रा. लि., नई दिल्ली	62/28.05.2017	50	68,424	47सी 29.07.2017
240	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, हरियाणा	48/23.05.2017	36	1,03,629	47इ 29.07.2017
241		42/23.05.2017	22	50,071	

स. क्र.	मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला का नाम	स्वीकृत आदेश क्र./दिनांक	परीक्षण के बिलों की संख्या	भुगतान का विवरण	
				राशि (₹ में)	उप–प्रमाणक क्रमांक/दिनांक
242	देवान्श टेस्टिंग एण्ड रिसर्च लेबोरेट्री प्रा. लि, रूड़की	24/25.04.2017	56	61,558	47डी 29.07.2017
243		56/28.05.2017	55	64,873	
244	डव रिसर्च एण्ड ऐनलिटिक्स, हरियाणा	22/24.04.2017	86	1,16,816	
245	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, हरियाणा	94/02.06.2017	39	1,09,175	44सी 24.07.2017
246		86/01.06.2017	53	1,28,831	
247	इन्टरस्टेलर टेस्टिंग सेन्टर प्रा. लि., हरियाणा	64/28.05.2017	51	1,01,691	
248	श्री कृष्णा ऐनलिटिकल सर्विसेज़, नई दिल्ली	58/28.05.2017	25	42,248	44सी 24.07.2017
249		36/22.05.2017	35	47,496	
250	आऐसिस टेस्ट हाउस, अहमदाबाद	50/27.05.2017	07	3,624	
251		66/29.05.2017	16	7,656	
252	स्टैन्डर्ड ऐनलैटिकल लेबोरेट्री (एनडी) प्रा. लि., दिल्ली	90/02.06.2017	31	58,368	44बी 24.07.2017
253		18/22.04.2017	44	1,27,307	
254	इन्टरनेशनल टेस्टिंग सेन्टर, हरियाणा	26/02.05.2017	36	71,077	
255		70/30.05.2017	52	1,04,326	
256	देवान्श टेस्टिंग एण्ड रिसर्च लेबोरेट्री प्रा. लि, रूड़की	88/01.06.2017	40	45,322	
257		92/02.06.2017	44	53,503	
258	सोफिस्टीकेटेड इन्डस्ट्रियल मटीरियल ऐनलिटिकल लैब्स प्रा. लि., नई दिल्ली	76/31.05.2017	58	76,527	
259		82/31.05.2017	42	1,21,570	
260	ओजोन फार्मास्यूटिकल्स लि., हरियाणा	72/30.05.2017	21	19,902	44ए 24.07.2017
261	शगुन टेस्टिंग लेबोरेट्रीज़, हरियाणा	44/23.05.2017	51	33,663	
262	स्टैन्डर्ड ऐनलिटिकल लेबोरेट्री (एनडी) प्रा. लि., दिल्ली	78/31.05.2017	33	1,18,934	
कुल			**11,407**	**2,35,90,997**	

परिशिष्ट 3.5.1

(संदर्भ: कंडिका 3.5, पृष्ठ संख्या 50)

ब्लड कम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट के लिए क्रय किए गए उपकरणों का विवरण

क्रय किए गए उपकरणों का विवरण	फर्म का देयक क्रमांक	दिनांक	क्रय की गई वस्तुओं की संख्या	राशि (₹)
कार्यालय, सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, बालाघाट				
रेफ्रीजरेटेड सेंट्रीफ्यूग	डीएचबी/स्टोर/14-15/428	21.03.16	01	19,49,850
प्लाज़्मा एक्सप्रेशर मैनुअल	टीपीएल/एम/डी/1516/0654	20.03.16	03	47,720
सेल काउन्टर	123	03.03.16	01	3,93,750
डूअल हेड ट्यूव सीलर	टीपीएल/एम/डी/1516/0653	20.03.16	01	1,29,023
कम्पो स्केल	टीपीएल/एम/डी/1516/0655	20.03.16	01	25,628
क्रायोबाथ	टीपीएल/एम/डी/1516/0658	21.03.16	01	1,07,991
योग				**26,53,962**
कार्यालय, सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, छतरपुर				
रेफ्रीजरेटेड सेंट्रीफ्यूग	920033940	25.03.16	01	19,49,850
सेल काउन्टर	144	24.03.16	01	3,93,750
ब्लड कलेक्शन मॉनिटर	टीपीएल/एम/डी/1617/0094	25.05.16	01	69,814
डबल हेड ट्यूव सीलर	टीपीएल/एम/डी/1617/0094	25.05.16	01	1,29,023
प्लाज्मा एक्सप्रेशर मैनुअल	टीपीएल/एम/डी/1617/0094	25.05.16	01	15,907
प्लाज़्मा बाथ	टीपीएल/एम/डी/1617/0094	25.05.16	01	62,744
क्रायोबाथ	टीपीएल/एम/डी/1617/0094	25.05.16	01	1,07,991
डीप फ्रीजर (–40 डिग्री सेंटीग्रेड)	सीआई/00918/17	19.05.16	01	2,17,688
डीप फ्रीजर (–80 डिग्री सेंटीग्रेड)	सीआई/00918/17	19.05.16	01	4,05,000
प्लेटलेट ऐजिटेटर एण्ड इनक्यूबेटर	सीआई/00919/17	19.05.16	01	1,96,763
सेरोलॉजी सेन्ट्रीफ्यूग	सीआई/00920/17	19.05.16	01	24,680
योग				**35,73,210**

क्रय किए गए उपकरणों का विवरण	फर्म का देयक क्रमांक	दिनांक	क्रय की गई वस्तुओं की संख्या	राशि (₹)
कार्यालय, सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, गुना				
रेफ्रीजरेटेड सेंट्रीफ्यूग	9240033941	25.03.16	01	19,49,850
प्लाज़्मा बाथ	टीपीएल/एम/डी/1617/0037	22.04.16	01	62,744
सेल काउन्टर	-	-	01	3,93,750
डबल हेड ट्यूव सीलर	टीपीएल/एम/डी/1617/0093	25.05.16	01	1,29,023
क्रायोबाथ	टीपीएल/एम/डी/1617/0038	22.04.16	01	1,07,991
योग				**26,43,358**
कार्यालय, सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, खण्डवा				
रेफ्रीजरेटेड सेंट्रीफ्यूग	9240033907	23.03.16	01	19,49,850
डीप फ्रीजर (–40 डिग्री सेंटीग्रेड)	सीआई/07599/16	27.03.16	01	2,17,688
डीप फ्रीजर (–80 डिग्री सेंटीग्रेड)	सीआई/07599/16	27.03.16	01	4,05,000
प्लेटलेट ऐजिटेटर एण्ड इनक्यूबेटर	सीआई/07600/16	27.03.16	01	1,96,762
कम्पो स्केल	टीपीएल/एम/डी/1516/0552	26.02.16	01	25,628
सेल काउन्टर	110	19.02.16	01	3,93,750
डबल हेड ट्यूव सीलर	टीपीएल/एम/डी/1516/0552	26.02.16	01	1,29,023
प्लाज़्मा थाइंग बाथ	टीपीएल/एम/डी/1516/0552	26.02.16	01	62,744
क्रायोबाथ	टीपीएल/एम/डी/1516/0552	26.02.16	01	1,07,991
योग				**34,88,436**
कार्यालय, सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, खरगोन				
ब्लड डोनर कोच	वीडीएस/16-17/003	05.04.16	01	2,75,099
प्लेटलेट ऐजिटेटर एण्ड इनक्यूबेटर	-	31.03.16	01	1,96,762
प्लाज़्मा थाइंग बाथ एण्ड क्रायोबाथ	टीपीएल/एम/डी/1617/0033	22.04.16	01	1,70,736
ट्यूव सीलर	टीपीएल/एम/डी/1617/0034	22.04.16	01	1,29,023
डीप फ्रीजर (–80 डिग्री सेंटीग्रेड)	सीआई/00774/17	15.05.16	01	4,05,000
डीप फ्रीजर (–40 डिग्री सेंटीग्रेड)	-	31.03.16	01	2,17,688
रेफ्रीजरेटेड सेंट्रीफ्यूग	-		01	19,49,850
योग				**33,44,158**

क्रय किए गए उपकरणों का विवरण	फर्म का देयक क्रमांक	दिनांक	क्रय की गई वस्तुओं की संख्या	राशि (₹)
कार्यालय, सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, मन्दसौर				
क्रायोफ्यूग	9240043589	08.03.17	01	19,49,851
डीप फ्रीजर (–80 डिग्री सेंटीग्रेड)	सीआई/00706/17	11.05.16	01	4,05,000
प्लेटलेट ऐजिटेटर एण्ड इनक्यूबेटर	सीआई/07744/16	31.03.16	01	1,96,762
सेल काउन्टर	140	18.03.16	01	3,93,750
प्लाज़्मा एक्सप्रेशर मैनुअल	टीपीएल/एमडी/1617/0036	22.04.16	01	47,720
क्रायोबाथ	टीपीएल/एमडी/1617/0092	25.05.16	01	1,07,991
डबल हेड ट्यूव सीलर	टीपीएल/एमडी/1617/0035	22.04.16	01	1,29,023
योग				**32,30,097**
कार्यालय, सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, रतलाम				
क्रायोफ्यूग	9240033899	23.03.16	01	19,49,850
बाइनोक्युलर माईक्रोस्कोप	54	23.05.16	01	26,145
सेल काउन्टर	143	20.03.16	01	3,93,750
प्लेटलेट ऐजिटेटर एण्ड इनक्यूबेटर	सीआई/00917/17	19.05.16	01	1,96,762
डीप फ्रीजर (–40 डिग्री सेंटीग्रेड)	सीआई/00916/17	19.05.16	01	2,17,688
डीप फ्रीजर (–80 डिग्री सेंटीग्रेड)	सीआई/00915/17	19.05.16	01	4,05,000
सेरोलॉजी सेन्ट्रीफ्यूग	सीआई/07746/16	31.03.16	01	24,680
योग				**32,13,875**
महायोग				**2,21,47,096**

परिशिष्ट 3.5.2

(संदर्भ: कंडिका 3.5, पृष्ठ संख्या 50)

परिचालन के लिए उपलब्ध आवश्यक सुविधा की स्थिति

जिला अस्पताल का का नाम (डीएच)	बीसीएसयू स्थापना के लिए भवन की उपलब्धता (हां / नहीं / नवीनीकरण / निर्माण कार्य किया जाना है)	क्या उपकरण स्थापित किये गये थे (हां / नहीं / भंडार में)	क्या प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध थे (हां / नहीं / प्रशिक्षणाधीन)	क्या लाइसेंस प्राप्त किया गया था (हां / नहीं / आवेदन किया है)	क्या बीसीएसयू क्रियाशील था (हां / नहीं)
डीएच, बालाघाट	नवीनीकरण किया जाना है	हां	हां	आवेदन किया है।	नहीं
डीएच, छतरपुर	नहीं	भंडार में	नहीं	नहीं	नहीं
डीएच, गुना	हां	नहीं	प्रशिक्षणाधीन	आवेदन किया है।	नहीं
डीएच, खण्डवा	हां	हां	हां	नहीं	नहीं
डीएच, खरगोन	अतिरिक्त / परिवर्तन कार्य प्रगतिरत	नहीं	हां	आवेदन किया है।	नहीं
डीएच, मंदसौर	हां	हां	हां	आवेदन किया है।	नहीं
डीएच, रतलाम	नवीनीकरण किया जाना है	हां	नहीं	आवेदन किया है।	नहीं

स्रोतः संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आँकड़े।

परिशिष्ट 3.6.1

(संदर्भ: कंडिका 3.6, पृष्ठ संख्या 51)

पैकेजेस तथा फर्म जिनसे कोटेशन आमंत्रित किए गए थे, का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	पैकेज क्रमांक	क्रय की गई वस्तुओं की संख्या	जावक क्र. / दिनांक	आवक क्र. /दिनांक	फर्मों के नाम जिनसे कोटेशन आमंत्रित किए गए थे
1	पैकेज 1	60	67 01.08.2014	61 / 07.08.2014 62 / 07.08.2014 63 / 07.08.2014 64 / 07.08.2014	यूनाईटेड टूल्स कॉरपोरेशन, भोपाल विशाल इन्टरप्राइजेज़, भोपाल फेयरडील ट्रेडर्स, भोपाल फिटवेल ट्रेडर्स, भोपाल
2	पैकेज 2	71	68 01.08.2014		
3	पैकेज 3	40	69 01.08.2014		
4	पैकेज 4	15	70 01.08.2014		
5	पैकेज 5	54	71 01.08.2014		
6	पैकेज 6	55	72 01.08.2014		
7	पैकेज 6	27	73 01.08.2014		
योग		**322**			
8	पैकेज 8	6	74 01.08.2014	56 / 07.08.2014 57 / 07.08.2014 58 / 07.08.2014 59 / 07.08.2014 60 / 07.08.2014	रॉयल कम्प्यूटर्स, इन्दौर क्रीसेन्ट कम्प्यूटर्स, इन्दौर दिव्या इन्डस्ट्रीज़, इन्दौर टैटेमे टेक्नॉलॉजी, इन्दौर एक्सपर्ट सिस्टम्स एण्ड सर्विसेज़, इन्दौर
9	पैकेज 9	13	75 01.08.2014		
10	पैकेज 10	2	76 01.08.2014	65 / 07.08.2014 66 / 07.08.2014 67 / 07.08.2014 68 / 07.08.2014	डेविस फर्नीचर सिस्टम्स प्रा.लि., भोपाल एशियन इन्टरप्राइजेज़, इन्दौर जैन फर्नीचर, इन्दौर स्नो स्पेस फर्नीचर सिस्टम्स प्रा.लि., भोपाल
11	पैकेज 11	7	77 01.08.2014		
12	पैकेज 12	4	78 01.08.2014		
महायोग		**354**			

परिशिष्ट 3.6.2

(संदर्भ: कंडिका 3.6, पृष्ठ संख्या 51)

क्रयों तथा आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान का पैकेजवार एवं प्रमाणक वार विवरण दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	आपूर्तिकर्ता का नाम मैसर्स	एफवीसी देयक क्रमांक	कोषालय प्रमाणक क्र. /दिनांक	क्रय की कुल राशि	क्रय की गई सामग्रियों तथा आपूर्तिकर्ताओं को किये गये भुगतान का पैकेजवार विवरण													
					पैकेज 01		पैकेज 02		पैकेज 03		पैकेज 04		पैकेज 05		पैकेज 06		पैकेज 07	
					वस्तुओं की सं.	राशि	वस्तुओं की सं.	राशि	वस्तुओं की सं.	राशि	वस्तुओं की सं.	राशि	वस्तुओं की सं.	राशि	वस्तुओं की सं.	राशि	वस्तुओं की सं.	राशि
1.	यूनाईटेड टूल्स कॉर्पोरेशन, भोपाल	78	40 26.12.14	37.22	12	5.27	16	4.13	12	5.06	06	8.24	21	5.06	16	3.80	09	5.66
2.	फिटवेल ट्रेडर्स, भोपाल	80	42 26.12.14	01.69	12	0.30	22	0.49	06	0.20	03	0.02	05	0.04	11	0.48	04	0.16
3.	विशाल इन्टरप्राइजेज़, भोपाल	81	43 26.12.14	13.13	19	2.08	18	2.02	11	0.35	04	0.28	21	3.03	17	2.82	09	2.55
4.	फेयरडील ट्रेडर्स, भोपाल	82	44 26.12.14	08.68	17	1.08	15	1.35	11	3.34	02	0.04	07	0.72	11	1.65	05	0.50
योग				**60.72**	**60**	**8.73**	**71**	**7.99**	**40**	**8.95**	**15**	**8.58**	**54**	**8.85**	**55**	**8.75**	**27**	**8.87**

स. क्र.	आपूर्तिकर्ता का नाम मैसर्स	एफवीसी देयक क्रमांक	कोषालय प्रमाणक क्र. /दिनांक	क्रय की कुल राशि	क्रय की गई सामग्रियों तथा आपूर्तिकर्ताओं को किये गये भुगतान का पैकेजवार विवरण									
					पैकेज 08		पैकेज 09		पैकेज 10		पैकेज 11		पैकेज 12	
					क्रय की गई वस्तुओं की सं.	क्रय की राशि	क्रय की गई वस्तुओं की सं.	क्रय की राशि	क्रय की गई वस्तुओं की सं.	क्रय की राशि	क्रय की गई वस्तुओं की सं.	क्रय की राशि	क्रय की गई वस्तुओं की सं.	क्रय की राशि
1.	टेटमे टेक्नॉलॉजी, इन्दौर	83	45 26.12.14	03.97	02	1.87	04	2.10	--	--	--	--	--	--
2.	डेविस फर्नीचर सिस्टम्स (प्रा.) लि., भोपाल	84	52 29.12.14	25.05	--	--	--	--	02	8.96	07	8.40	04	7.69
3.	रॉयल कम्प्यूटर्स, इन्दौर	86	47 26.12.14	1.38	--	--	04	1.38	--	--	--	--	--	--
4.	दिव्या इन्डस्ट्रीज़, इन्दौर	87	48 26.12.14	0.89	02	0.89	--	--	--	--	--	--	--	--
5.	क्रीसेन्ट कम्प्यूटर्स, इन्दौर	85	46 26.12.14	6.95	02	5.65	05	1.30	--	--	--	--	--	--
योग				**38.24**	**06**	**8.41**	**13**	**4.78**	**02**	**8.96**	**07**	**8.40**	**04**	**7.69**

परिशिष्ट 3.7.1
(संदर्भः कंडिका 3.7, पृष्ठ संख्या 53)
पर्यवेक्षण शुल्क तथा उस पर सेवाकर के रूप में अधिक राशि का भुगतान दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(राशि ₹ में)

स. क्र.	जिलों का नाम	वर्ष	स्वीकृत प्राक्कलित राशि	भुगतान राशि (पर्यवेक्षण शुल्क 5 प्रतिशत की दर से)	सेवाकर के रूप में भुगतान की गई राशि	कुल भुगतान की गई राशि (पर्यवेक्षण + उस पर सेवाकर)	भुगतान किये जाने योग्य राशि (पर्यवेक्षण शुल्क 3 प्रतिशत की दर से)	उस पर लागू सेवाकर	कुल भुगतान किये जाने योग्य राशि (सेवाकर + पर्यवेक्षण शुल्क)	अधिक भुगतान
1	बुरहानपुर	2015–16	4,56,03,452	22,79,678	3,26,359	26,06,037	13,68,104	1,95,947	15,64,051	10,41,986
2	मंदसौर	2014–15	6,27,84,793	31,39,254	3,88,035	35,27,289	18,83,544	2,32,806	21,16,350	14,10,939
		2015–16	1,25,08,464	6,25,424	88,649	7,14,073	3,75,253	53,191	4,28,444	2,85,629
3	कटनी	2013–14	44,34,685	2,21,735	27,357	2,49,092	1,33,041	16,444	1,49,485	99,607
		2014–15	1,23,41,495	6,17,629	78,201	6,95,830	3,70,245	45,762	4,16,007	2,79,823
		2015–16	4,08,00,799	20,41,641	2,91,979	23,33,620	12,24,024	1,75,048	13,99,072	9,34,548
4	देवास	2014–15	7,77,43,834	38,88,357	4,80,608	43,68,965	23,32,315	2,88,274	26,20,589	17,48,376
		2015–16	3,56,51,292	17,82,567	2,51,461	20,34,028	10,69,539	1,50,876	12,20,415	8,13,613
5	उज्जैन[2]	2013–14	3,90,53,378	18,55,330	2,29,127	20,84,457	11,71,601	1,44,810	13,16,411	7,68,046
		2014–15	7,23,22,722	34,43,778	4,25,583	34,86,361	21,69,682	2,68,173	24,37,855	10,48,506
		2015–16	5,06,81,685	25,39,586	3,56,539	28,96,125	15,20,451	2,12,863	17,33,314	11,62,811
6	छिन्दवाड़ा	2015–16	4,24,41,405	21,22,070	2,97,090	24,19,160	12,73,242	1,78,254	14,51,496	9,67,664
योग			**49,63,68,004**	**2,45,57,049**	**32,40,988**	**2,74,15,037**	**1,48,91,041**	**19,62,448**	**1,68,53,489**	**1,05,61,548**

[2] वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 के लिए पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान 4.75 प्रतिशत की दर से किया गया तथा उस पर सेवा कर की अदायगी की गई।

परिशिष्ट 3.8.1

(संदर्भः कंडिका 3.8, पृष्ठ संख्या 54)

नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा ऊर्जा कारक संधारित करने में असफलता के कारण किए गए अधिभार के भुगतान का विवरण

माह/वर्ष	कनेक्शन नं.	ऊर्जा कारक	माह के दौरान ऊर्जा शुल्क (₹ में)	निम्न ऊर्जा कारक के कारण अधिभार प्रतिशत	निम्न ऊर्जा कारक पर लगाये गये अधिभार राशि (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नगरपालिक निगम, जबलपुर					
अप्रैल 2016	5952832000	81	31,797	13	4,134
	5381832000	84	7,04,994	7	49,350
	8281832000	77	1,37,758	21	28,929
	1891832000	83	10,10,205	9	90,918
मई 2016	5952832000	81	35,370	13	4,598
	5381832000	82	5,81,695	11	63,986
	8281832000	77	1,32,141	21	27,750
	1891832000	82	10,36,302	11	1,13,993
	5822832000	72	2,28,347	31	70,787
जून 2016	5952832000	80	35,775	15	5,366
	5381832000	78	4,59,716	19	87,346
	8281832000	75	1,27,896	25	31,974
	1891832000	81	7,26,481	13	94,443
	5822832000	76	3,70,836	23	85,292
जुलाई 2016	5952832000	75	41,758	25	10,439
	5381832000	78	5,26,802	19	1,00,092
	8281832000	78	1,47,876	19	28,096
	9922832000	89	2,47,768	1	2,478
	1891832000	80	8,83,690	15	1,32,553
अगस्त 2016	5952832000	75	40,967	25	10,242
	5381832000	74	3,71,132	27	1,00,206
	8281832000	70	27,038	35	9,463
	4392832000	89	62,73,579	1	62,736
	1891832000	78	10,33,957	19	1,96,452
	5822832000	65	2,14,337	35	75,018
सितम्बर 2016	5952832000	78	39,549	19	7,514
	5381832000	80	4,14,268	15	62,140
	8281832000	47	5,580	35	1,953
	1891832000	83	10,87,330	9	97,860
	5822832000	75	2,31,331	25	57,833
अक्टूबर 2016	5952832000	80	41,731	15	6,260
	5381832000	80	4,26,777	15	64,017
	9922832000	89	2,55,374	1	2,554
	1891832000	83	11,83,801	9	1,06,542
	5822832000	74	2,54,344	27	68,673

माह / वर्ष	कनेक्शन नं.	ऊर्जा कारक	माह के दौरान ऊर्जा शुल्क (₹ में)	निम्न ऊर्जा कारक के कारण अधिभार प्रतिशत	निम्न ऊर्जा कारक पर लगाये गये अधिभार राशि (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नवम्बर 2016	5952832000	81	41,666	13	5,417
	5381832000	79	4,09,228	17	69,569
	9922832000	84	1,73,231	7	12,126
	1891832000	83	11,59,980	9	1,04,398
	5822832000	69	2,13,091	35	74,582
दिसम्बर 2016	5952832000	82	44,595	11	4,905
	5381832000	80	4,60,677	15	69,102
	9922832000	82	1,76,104	11	19,371
	1891832000	84	12,39,592	7	86,771
	5822832000	77	2,72,542	21	57,234
जनवरी 2017	5952832000	83	43,297	9	3,897
	5381832000	80	4,66,625	15	69,994
	9922832000	84	1,60,772	7	11,254
	1891832000	84	12,22,873	7	85,601
	5822832000	76	2,61,044	23	60,040
फरवरी 2017	5952832000	82	37,099	11	4,081
	5381832000	81	4,29,771	13	55,870
	8281832000	83	1,26,336	9	11,370
	9922832000	84	1,45,540	7	10,188
	1891832000	82	10,37,804	11	1,14,158
	5822832000	77	2,32,786	21	48,885
मार्च 2017	5952832000	81	34,813	13	4,526
	5381832000	82	5,16,383	11	56,802
	8281832000	82	1,24,074	11	13,648
	9922832000	89	2,03,829	1	2,038
	1891832000	84	11,70,081	7	81,906
	5822832000	76	2,19,948	23	50,588
अप्रैल 2017	5952832000	86	38,870	4	1,555
	1891832000	84	12,41,171	7	86,882
	5822832000	81	2,71,293	13	35,268
मई 2017	5952832000	87	46,412	3	1,392
	8281832000	83	1,60,497	9	14,445
	1891832000	84	13,12,366	7	91,866
	5822832000	82	3,00,025	11	33,003
जून 2017	5952832000	84	35,882	7	2,512
	5381832000	82	5,10,600	11	56,166
	8281832000	82	1,50,073	11	16,508
	1891832000	83	12,99,266	9	1,16,934
	5822832000	82	3,07,950	11	33,874

माह / वर्ष	कनेक्शन नं.	ऊर्जा कारक	माह के दौरान ऊर्जा शुल्क (₹ में)	निम्न ऊर्जा कारक के कारण अधिभार प्रतिशत	निम्न ऊर्जा कारक पर लगाये गये अधिभार राशि (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जुलाई 2017	5952832000	82	36,802	11	4,048
	1891832000	84	12,91,654	7	90,416
	5822832000	77	2,72,955	21	57,320
अगस्त 2017	5952832000	85	36,504	5	1,825
	8281832000	82	1,90,594	11	20,965
	1891832000	82	11,76,935	11	1,29,463
	5822832000	80	3,00,421	15	45,063
सितम्बर 2017	5952832000	85	35,832	5	1,792
	5381832000	80	3,73,702	15	56,055
	1891832000	82	10,54,426	11	1,15,987
अक्टूबर 2017	5952832000	82	27,221	11	2,994
	5381832000	84	5,50,606	7	38,542
	8281832000	83	1,58,469	9	14,262
	1891832000	83	8,39,063	9	75,516
	5822832000	81	2,38,452	13	30,999
नवम्बर 2017	9922832000	88	2,06,787	2	4,136
	8281832000	80	1,75,706	15	26,356
	1891832000	80	9,58,878	15	1,43,832
	5495345214	75	1,90,498	25	47,625
दिसम्बर 2017	5952832000	80	36,316	15	5,447
	5381832000	83	9,20,181	9	82,816
	8281832000	81	1,65,638	13	21,533
	1891832000	80	6,89,003	15	1,03,350
	5822832000	77	2,63,366	21	55,307
	9922832000	85	1,75,714	5	8,786
जनवरी 2018	5952832000	80	34,982	15	5,247
	5381832000	80	5,97,673	15	89,651
	8281832000	80	1,40,311	15	21,047
	1891832000	81	6,87,403	13	89,362
	5822832000	76	2,71,963	23	62,551
योग					**50,93,006**
नगर पालिका परिषद, बड़वानी					
अप्रैल 2014	572309	85	3,32,330	5	16,616
	572310	73	4,03,232	29	1,16,937
मई 2014	572309	87	3,46,074	3	10,382
	572310	75	4,06,060	25	1,01,515
जून 2014	572309	85	3,03,973	5	15,199
	572310	74	3,49,516	27	94,369
अगस्त 2014	572309	79	2,70,013	17	45,902
	572310	72	3,57,834	31	1,10,929

माह / वर्ष	कनेक्शन नं.	ऊर्जा कारक	माह के दौरान ऊर्जा शुल्क (₹ में)	निम्न ऊर्जा कारक के कारण अधिभार प्रतिशत	निम्न ऊर्जा कारक पर लगाये गये अधिभार राशि (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अक्टूबर 2014	572309	79	2,93,400	17	49,878
	572310	74	3,93,744	27	1,06,311
दिसम्बर 2014	572309	81	2,69,793	13	35,073
	572310	71	3,79,552	33	1,25,252
जनवरी 2015	572309	82	2,98,449	11	32,829
	572310	72	4,10,472	31	1,27,246
फरवरी 2015	572309	82	2,59,382	11	28,532
	572310	71	3,74,035	33	1,23,432
मार्च 2015	572309	83	3,48,490	9	31,364
	572310	73	4,04,066	29	1,17,179
अप्रैल 2015	572309	83	3,57,828	9	32,205
	572310	78	3,95,118	19	75,072
मई 2015	572309	83	4,08,522	9	36,767
	572310	77	4,65,234	21	97,699
जून 2015	572309	81	4,03,391	13	52,441
	572310	76	4,91,085	23	1,12,950
जुलाई 2015	572309	76	3,41,088	23	78,450
	572310	76	4,99,776	23	1,14,949
अगस्त 2015	572309	77	3,24,382	21	68,120
	572310	77	4,81,199	21	1,01,052
सितम्बर 2015	572309	74	2,93,094	27	79,135
	572310	73	4,36,325	29	1,26,534
अक्टूबर 2015	572309	76	3,23,331	23	74,366
	572310	75	4,24,975	25	1,06,244
नवम्बर 2015	572309	79	3,73,363	17	63,472
	572310	74	4,21,880	27	1,13,908
दिसम्बर 2015	572309	75	3,80,937	25	95,234
	572310	73	4,29,427	29	1,24,534
फरवरी 2016	572309	74	3,17,729	27	85,787
	572310	78	3,52,604	19	66,995
मार्च 2016	572309	73	3,49,240	29	1,01,280
	572310	82	3,73,837	11	41,122
अप्रैल 2016	572309	76	4,15,148	23	95,484
	572310	82	4,18,214	11	46,004
मई 2016	572309	74	4,85,584	27	1,31,108
	572310	82	4,43,547	11	48,790
जून 2016	4994453847	79	1,64,581	17	27,979
	572309	74	4,88,285	27	1,31,837
	572310	82	4,30,134	11	47,315
जुलाई 2016	572309	74	5,35,814	27	1,44,670
	572310	83	4,39,809	9	39,583

माह / वर्ष	कनेक्शन नं.	ऊर्जा कारक	माह के दौरान ऊर्जा शुल्क (₹ में)	निम्न ऊर्जा कारक के कारण अधिभार प्रतिशत	निम्न ऊर्जा कारक पर लगाये गये अधिभार राशि (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अगस्त 2016	4994453847	87	2,19,670	3	6,590
	572309	74	4,91,775	27	1,32,779
	572310	84	4,09,765	7	28,684
सितम्बर 2016	4994453847	82	2,21,389	11	24,353
	572309	77	5,23,873	21	1,10,013
	572310	84	3,96,947	7	27,786
अक्टूबर 2016	4994453847	81	2,11,637	13	27,513
	572309	77	5,23,873	21	1,10,013
	572310	84	4,19,944	7	29,396
नवम्बर 2016	4994453847	81	1,82,628	13	23,742
	572309	73	3,91,468	29	1,13,525
	572310	84	3,11,848	7	21,829
दिसम्बर 2016	572309	72	5,04,730	31	1,56,466
	572310	83	2,69,458	9	24,251
जनवरी 2017	572309	69	4,97,703	35	1,74,196
	572310	84	2,16,547	7	15,158
फरवरी 2017	572310	83	1,98,541	9	17,869
	572309	70	4,36,467	35	1,52,763
मार्च 2017	572309	69	5,08,109	35	1,77,838
	572310	83	2,35,781	9	21,220
अप्रैल 2017	4994453847	88	4,09,812	2	8,196
	572309	69	5,70,679	35	1,99,738
	572310	83	3,00,021	9	27,002
मई 2017	4994453847	88	4,20,262	2	8,405
	572309	73	6,15,495	29	1,78,494
	572310	84	3,44,187	7	24,093
जून 2017	4994453847	88	3,86,561	2	7,731
	572309	73	6,18,006	29	1,79,222
	572310	84	3,80,832	7	26,658
योग					**59,05,554**
महायोग					**1,09,98,560**

परिशिष्ट 3.9.1
(संदर्भः कंडिका 3.9, पृष्ठ संख्या 55)
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अधिरोपित शास्ति और किए गए भुगतान का विवरण
(राशि ₹ में)

निकाय का नाम	ई.पी.एफ.ओ. आदेश जारी करने का माह	देरी से जमा किए अंशदान की अवधि	जमा में देरी	शास्ति			भुगतान की गयी शास्ति (माह)
				क्षतिपूर्ति (14B)	ब्याज (7Q)	योग	
नगरपालिक निगम, देवास	अप्रैल 2016	04/11 से 04/15	37 से 1452 दिन	65,43,729	42,52,662	1,07,96,391	1,07,96,391 (सितम्बर 2016)
	नवम्बर 2016	05/15 से 07/16	39 से 292 दिन	28,23,051	17,87,799	46,10,850	46,10,850 (मार्च 2018)
	जुलाई 2018	8/16 से 12/17	50 से 772 दिन	-	30,76,157	30,76,157	30,76,157 (सितम्बर 2018)
नगरपालिक निगम, छिंदवाडा	मार्च 2014	09/11 से 11/13	12 से 596 दिन	9,65,694	6,73,376	16,39,070	16,39,070 (दिसम्बर 2014)
	नवम्बर 2015	04/14 से 03/15	18 से 88 दिन	1,54,560	2,37,539	3,92,099	3,92,099 (नवम्बर 2015)
	मई 2016	04/15 से 03/16	छह से 20 दिन	10,798	25,917	36,715	36,715 (जून 2016)
	अक्टूबर 2017	04/16 से 03/17	दो से 36 दिन	15,818	37,971	53,789	53,789 (दिसम्बर 2017)
नगरपालिक निगम, जबलपुर	मार्च 2014	05/11 से 01/14	नौ से 221 दिन	7,81,119	6,70,391	14,51,510	14,51,510 (जून 2015)
	अक्टूबर 2015	02/14 से 03/14	आठ से 19 दिन	5,963	14,308	20,271	20,271 (जनवरी 2016)
	सितम्बर 2017	03/16 से 02/17	तीन से 46 दिन	47,488	1,13,973	1,61,461	1,61,461 (नवम्बर 2017)
नगरपालिका परिषद, कोतमा	अगस्त 2015	01/11 से 01/14	एक से 600 दिन		3,91,473	3,91,473	3,91,473 (सितम्बर 2015)
	दिसम्बर 2015	02/14 से 03/15	आठ से 76 दिन	8,833	17,549	26,382	26,382 (जनवरी 2016)
नगरपालिका परिषद, करेली	अप्रैल 2015	01/11 से 11/13	पांच से 886 दिन	5,02,902	2,55,012	7,57,914	7,57,914 (सितम्बर 2015)

निकाय का नाम	ई.पी.एफ.ओ. आदेश जारी करने का माह	देरी से जमा किए अंशदान की अवधि	जमा में देरी	शास्ति			भुगतान की गयी शास्ति (माह)
				क्षतिपूर्ति (14B)	ब्याज (7Q)	योग	
	मार्च 2016	04/14 से 03/15	छह से 29 दिन	2,385	5,724	8,109	8,109 (अप्रैल 2016)
	जून 2016	04/15 से 03/16	एक दिन से अधिक	12,155	18,074	30,229	30,229 (अक्टूबर 2016)
नगरपालिका परिषद, बड़वानी	जून 2016	02/11 से 09/15	58 से 1344 दिन	9,44,479	5,61,197	15,05,676	5,61,197 (अक्टूबर 2016) 9,44,479 (अगस्त 2017)
योग						**2,49,58,096**	**2,49,58,096**

परिशिष्ट 3.10.1

(संदर्भः कंडिका 3.10, पृष्ठ संख्या 57)

एस.एन.पी. के अन्तर्गत पके हुये भोजन की आपूर्ति पर अधिक भुगतान का विवरण

एस.एन.पी. के अन्तर्गत पके हुये भोजन की आपूर्ति पर किया गया कुल व्यय तथा हितग्राहियों का विवरण									
जिले का नाम और अवधि	हितग्राहियों की संख्या					एस.एच.जी. को वास्तव में भुगतान की गई राशि राशि (₹ में)	रसोइया के लिये भुगतान की गई राशि (₹ में)	खाद्यान्न की राशि (₹ में)	एस.एच.जी., रसोइया, एन.ए.एन. को किया गया कुल भुगतान (₹ में)
	3 से 6 वर्ष तक के बच्चे		थर्ड मील–अति कम वजन के बच्चों के लिये	मंगल दिवस गर्भवती/ धात्री माता/ किशोरी बालिकायें	मंगल दिवस 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे				
	नाश्ता	भोजन	थर्ड मील	भोजन	भोजन				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10(7+8+9)
धार (04/2016 से 06/2017)	14510338	17793501	1250299	1210150	2210804	10,96,62,153	1,85,54,965	78,26,985	13,60,44,103
उमरिया (01/2016 से 09/2017)	6360430	8165501	620765	479856	106861	4,56,70,216	72,93,875	44,28,766	5,73,92,857
खरगौन (12/2015 से 06/2017)	22716360	26885535	1530113	2151886	3615565	16,61,08,309	1,11,67,000	1,28,37,420	19,01,12,730
योग	**43587128**	**52844537**	**3401177**	**3841892**	**5933230**	**32,14,40,678**	**3,70,15,840**	**2,50,93,171**	**38,35,49,690**

भुगतान किये जाने योग्य अधिकतम राशि और एसएनपी के अन्तर्गत पके भोजन की आपूर्ति पर अधिक भुगतान का विवरण								
जिले का नाम	हितग्राहियों की संख्या (उपरोक्त तालिका के कॉलम क्र 2से 6 से लिया गया)*मानदण्ड अनुसार दर					मानदंड अनुसार भुगतान योग्य कुल राशि (कालम–11 से 15 तक का योग) (₹ में)	आपूर्ति के लिये वास्तव मे भुगतान की गई कुल राशि (कॉलम–10) (₹ में)	अधिक भुगतान की राशि (₹ में)
	03 से 06 वर्ष तक के बच्चों के लिये			मंगल दिवस के लिये गर्भवती / धात्री माता/ किशोरी बालिकाओं के लिये	मंगल दिवस के लिये 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिये			
	नाश्ता @ ₹ 2	भोजन @ ₹4	थर्ड मील @ ₹ 3	@ ₹ 7	@ ₹ 4			
	(11=कॉलम 2*₹ 2)	(12=कॉलम3*₹ 4)	(13=कॉलम 4*₹ 3)	(14=कॉलम 5*₹ 7)	(15=कालम6* ₹ 4)	(16)	(17)	18(17–16)
धार	2,90,20,676	7,11,74,004	37,50,897	84,71,050	88,43,216	12,12,59,843	13,60,44,103	1,47,84,260
उमरिया	1,27,20,860	3,26,62,004	18,62,295	33,58,992	4,27,444	5,10,31,595	5,73,92,857	63,61,262
खरगौन	4,54,32,720	10,75,42,140	45,90,339	1,50,63,202	1,44,62,260	18,70,90,661	19,01,12,730	30,22,069
योग	**8,71,74,256**	**21,13,78,148**	**1,02,03,531**	**2,68,93,244**	**2,37,32,920**	**35,93,82,099**	**38,35,49,690**	**2,41,67,591**

परिशिष्ट–3.11.1

(संदर्भः कंडिका 3.11, पृष्ठ संख्या 59 एवं 60)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी वार मानदेय शीर्ष (मुख्य शीर्ष–2235, 31–004) से निकाली गई और असंबंधित बैंक खातों में जमा की गई राशि का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	लेन–देन की अवधि	शामिल बैंक खातों की संख्या	भुगतान की संख्या	कुल राशि (₹ में)
1	जिला कार्यक्रम अधिकारी, भोपाल	09/2016 से 06/2017	43	66	39,60,891
2	परियोजना अधिकारी, बाणगंगा, भोपाल	03/2016	5	5	2,37,000
3	परियोजना अधिकारी, बैरासिया–1, भोपाल	05/2014 से 06/2016	39	129	55,18,500
4	परियोजना अधिकारी, बैरासिया–2, भोपाल	11/2014 से 06/2016	23	75	25,46,000
5	परियोजना अधिकारी, बरखेडी, भोपाल	11/2014 से 05/2016	34	110	65,39,415
6	परियोजना अधिकारी, चांदबड़, भोपाल	11/2014 से 05/2016	42	96	62,15,294
7	परियोजना अधिकारी, गोविन्दपुरा, भोपाल	05/2014 से 04/2016	31	226	47,06,504
8	परियोजना अधिकारी, मोतियापार्क, भोपाल	03/2016 से 08/2016	15	20	13,14,000
9	परियोजना अधिकारी, फंदा, भोपाल	04/2016 से 08/2016	10	90	26,42,600
10	परियोजना अधिकारी, उदयपुरा रायसेन	02/2016 से 03/2016	11	46	21,88,404
11	परियोजना अधिकारी, लटेरी, विदिशा	06/2014 से 12/2015	5	34	26,71,398
12	जिला कार्यक्रम अधिकारी, मुरैना	10/2016 से 06/2018	9	306	5,94,286
13	जिला कार्यक्रम अधिकारी, अलीराजपुर	09/2015 से 12/2017	5	85	14,67,439
14	परियोजना अधिकारी, अलीराजपुर	06/2014 से 08/2014	1	5	9,500
15	परियोजना अधिकारी, भाबरा	06/2014 से 05/2015	4	33	2,57,532
16	परियोजना अधिकारी, जोबट	06/2014 से 04/2015	9	22	1,00,793
17	परियोजना अधिकारी, कट्ठीवाड़ा	11/2014	1	1	8,250

स. क्र.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	लेन–देन की अवधि	शामिल बैंक खातों की संख्या	भुगतान की संख्या	कुल राशि (₹ में)
18	परियोजना अधिकारी, उदयगढ़	07/2015	1	1	3,000
19	परियोजना अधिकारी, सोण्डवा	07/2014 से 07/2015	5	37	2,40,605
20	जिला कार्यक्रम अधिकारी, झाबुआ	06/2015 से 06/2018	7	148	10,03,304
21	परियोजना अधिकारी, मेघनगर	05/2014 से 02/2015	1	12	2,16,800
योग			**301**	**1547**	**4,24,41,515**

परिशिष्ट–3.12.1

(संदर्भः कंडिका 3.12, पृष्ठ संख्या 63)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी वार पोषण आहार शीर्ष से निकाली गई और असंबंधित बैंक खातों में जमा की गई राशि का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	लेन–देन की अवधि	शामिल बैंक खातों की संख्या	भुगतान की संख्या	कुल राशि (₹ में)
1	जिला कार्यक्रम अधिकारी, अलीराजपुर	05/2014 से 03/2017	7	45	40,72,346
2	जिला कार्यक्रम अधिकारी, झाबुआ	10/2015 से 03/2018	5	16	15,30,394
3	परियोजना अधिकारी, बाणगंगा	12/2014 से 06/2015	2	3	7,08,001
4	परियोजना अधिकारी, बरखेड़ी	06/2015	1	1	3,44,000
5	परियोजना अधिकारी, चॉदबड़	12/2014	1	2	6,31,936
6	परियोजना अधिकारी, गोबिन्दपुरा	06/2015 से 06/2016	5	6	3,40,756
7	परियोजना अधिकारी, मोतियापार्क	02/2015 से 06/2016	4	10	4,02,898
8	परियोजना अधिकारी, फंदा	06/2014 से 06/2016	13	115	19,27,169
9	परियोजना अधिकारी, सोण्डवा	09/2015 से 12/2015	8	16	1,64,165
10	परियोजना अधिकारी, उदयपुरा	06/2015	1	4	8,00,000
योग			**47**	**218**	**1,09,21,665**

परिशिष्ट–3.12.2

(संदर्भः कंडिका 3.12, पृष्ठ संख्या 63)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी वार आँगनवाड़ी भवन किराया (शीर्ष–22–011) शीर्ष से निकाली गई और असंबंधित बैंक खातों में जमा की गई राशि का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	लेन–देन की अवधि	शामिल बैंक खातों की संख्या	भुगतान की संख्या	कुल राशि (₹ में)
1	परियोजना अधिकारी, बैरसिया–1, भोपाल	10/14 से 7/16	18	46	15,50,300
2	परियोजना अधिकारी, बैरसिया–2, भोपाल	3/15 से 6/16	16	25	7,26,150
3	परियोजना अधिकारी, बाणगंगा, भोपाल	9/15 से 8/16	13	29	15,13,996
4	परियोजना अधिकारी, बरखेडी, भोपाल	5/15 से 8/16	18	39	21,07,800
5	परियोजना अधिकारी, चांदबड़, भोपाल	11/14 से 1/16	18	70	15,46,826
6	परियोजना अधिकारी, गोविन्दपुरा, भोपाल	4/15 से 2/16	29	156	31,71,286
7	परियोजना अधिकारी, मोतियापार्क, भोपाल	5/15 से 3/16	24	47	10,75,224
8	परियोजना अधिकारी, फंदा, भोपाल	12/14 से 7/16	11	39	7,91,000
9	परियोजना अधिकारी, सांची, रायसेन	12/15	09	09	1,62,000
10	परियोजना अधिकारी, उदयपुरा, रायसेन	11/15 से 6/16	15	16	11,14,000
योग			**171**	**476**	**1,37,58,582**

परिशिष्ट–3.12.3

(संदर्भः कंडिका 3.12, पृष्ठ संख्या 63)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी वार सामग्री आपूर्ति (शीर्ष–34–009) शीर्ष से निकाली गई और असंबंधित बैंक खातों में जमा की गई राशि का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	लेन–देन की अवधि	शामिल बैंक खातों की संख्या	भुगतान की संख्या	कुल राशि (₹ में)
1	परियोजना अधिकारी, बैरसिया–1, भोपाल	8/15 से 6/16	03	06	64,000
2	परियोजना अधिकारी, बैरसिया–2, भोपाल	8/16	01	01	39,000
3	परियोजना अधिकारी, बाणगंगा, भोपाल	9/15 एवं 3/16	02	02	1,49,898
4	परियोजना अधिकारी, बरखेडी, भोपाल	1/15 एवं 3/16	03	04	2,82,000
5	परियोजना अधिकारी, चांदबड़, भोपाल	6/14 से 8/16	10	16	7,40,809
6	परियोजना अधिकारी, गोविन्दपुरा, भोपाल	9/14 से 3/16	07	13	8,34,559
7	परियोजना अधिकारी, मोतियापार्क, भोपाल	9/14 से 7/16	03	04	86,140
8	परियोजना अधिकारी, फंदा, भोपाल	12/14 से 7/16	14	79	23,21,840
योग			**43**	**125**	**45,18,246**

परिशिष्ट–3.12.4

(संदर्भः कंडिका 3.12, पृष्ठ संख्या 63)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी वार रख–रखाव (शीर्ष–33–002) शीर्ष से निकाली गई और असंबंधित बैंक खातों में जमा की गई राशि का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	लेन–देन की अवधि	शामिल बैंक खातों की संख्या	भुगतान की संख्या	कुल राशि (₹ में)
1	परियोजना अधिकारी, बैरसिया–1, भोपाल	3/16 एवं 6/16	01	02	1,00,000
2	परियोजना अधिकारी, बाणगंगा, भोपाल	3/16	01	01	49,966
3	परियोजना अधिकारी, बरखेडी, भोपाल	3/16	01	01	50,000
4	परियोजना अधिकारी, चांदबड़, भोपाल	3/16	01	01	50,000
5	परियोजना अधिकारी, फंदा, भोपाल	3/16	01	01	48,750
योग			**05**	**06**	**2,98,716**

परिशिष्ट–3.12.5

(संदर्भः कंडिका 3.12, पृष्ठ संख्या 63)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी वार फ्लेक्सी फंड (शीर्ष–51–000) शीर्ष से निकाली गई और असंबंधित बैंक खातों में जमा की गई राशि का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	लेन–देन की अवधि	शामिल बैंक खातों की संख्या	भुगतान की संख्या	कुल राशि (₹ में)
1	परियोजना अधिकारी, बैरसिया–1, भोपाल	9/14 से 3/16	09	16	11,76,525
2	परियोजना अधिकारी, बैरसिया–2, भोपाल	8/14 से 3/16	03	05	6,24,918
3	परियोजना अधिकारी, बाणगंगा, भोपाल	12/14 से 3/16	04	07	5,24,495
4	परियोजना अधिकारी, बरखेडी, भोपाल	10/14 से 3/16	03	08	6,53,590
5	परियोजना अधिकारी, चांदबड़, भोपाल	11/14 से 3/16	04	08	10,19,855
6	परियोजना अधिकारी, गोविन्दपुरा, भोपाल	9/14 से 2/16	07	12	8,39,788
7	परियोजना अधिकारी, मोतियापार्क, भोपाल	6/15 से 5/16	05	06	2,86,090
8	परियोजना अधिकारी, फंदा, भोपाल	8/14 से 3/16	10	64	21,49,486
योग			**45**	**126**	**72,74,747**

परिशिष्ट–3.12.6

(संदर्भः कंडिका 3.12, पृष्ठ संख्या 63)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी वार विज्ञापन (शीर्ष–35–000) शीर्ष से निकाली गई और असंबंधित बैंक खातों में जमा की गई राशि का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	लेन–देन की अवधि	शामिल बैंक खातों की संख्या	भुगतान की संख्या	कुल राशि (₹ में)
1	परियोजना अधिकारी, बाणगंगा, भोपाल	12/14	01	01	1,00,000
2	परियोजना अधिकारी, चांदबड़, भोपाल	11/14 से 12/14	02	02	1,13,800
3	परियोजना अधिकारी, मोतियापार्क, भोपाल	3/16	01	01	99,780
4	परियोजना अधिकारी, फंदा, भोपाल	12/14 से 6/16	05	10	2,11,860
योग			**09**	**14**	**5,25,440**

परिशिष्ट–3.12.7

(संदर्भः कंडिका 3.12, पृष्ठ संख्या 63)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी वार परीक्षा एवं प्रशिक्षण (शीर्ष–24–002) शीर्ष से निकाली गई और असंबंधित बैंक खातों में जमा की गई राशि का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	लेन–देन की अवधि	शामिल बैंक खातों की संख्या	भुगतान की संख्या	कुल राशि (₹ में)
1	परियोजना अधिकारी, बैरसिया–1, भोपाल	3/16	03	03	62,000
2	परियोजना अधिकारी, बैरसिया–2, भोपाल	3/16 एवं 8/16	04	06	1,24,000
3	परियोजना अधिकारी, बरखेडी, भोपाल	12/14 एवं 11/15	02	02	1,23,238
4	परियोजना अधिकारी, चांदबड़, भोपाल	11/15 एवं 6/16	03	05	1,89,130
5	परियोजना अधिकारी, गोविन्दपुरा, भोपाल	11/15 एवं 6/16	02	02	1,44,600
6	परियोजना अधिकारी, मोतियापार्क, भोपाल	3/16	02	02	90,000
7	परियोजना अधिकारी, फंदा, भोपाल	11/14 से 6/16	05	08	4,21,930
योग			**21**	**28**	**11,54,898**

परिशिष्ट–3.12.8

(संदर्भः कंडिका 3.12, पृष्ठ संख्या 63)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी वार अटल बाल मिशन शीर्ष से निकाली गई और असंबंधित बैंक खातों में जमा की गई राशि का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	लेन–देन की अवधि	शामिल बैंक खातों की संख्या	भुगतान की संख्या	कुल राशि (₹ में)
1	परियोजना अधिकारी, बरखेडी, भोपाल	12/15	01	01	34,884
2	परियोजना अधिकारी, मोतियापार्क, भोपाल	11/15 से 6/16	10	18	4,93,050
3	परियोजना अधिकारी, फंदा, भोपाल	12/15 एवं 6/16	02	03	35,800
योग			**13**	**22**	**5,63,734**

परिशिष्ट – 3.12.9

(संदर्भः कंडिका 3.12, पृष्ठ संख्या 63)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी वार यात्रा भत्ता (शीर्ष–21–001) शीर्ष से निकाली गई और असंबंधित बैंक खातों में जमा की गई राशि का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	लेन–देन की अवधि	शामिल बैंक खातों की संख्या	भुगतान की संख्या	कुल राशि (₹ में)
1	परियोजना अधिकारी, गोविन्दपुरा, भोपाल	8/15 से 9/15	05	13	1,70,000
2	परियोजना अधिकारी, फंदा, भोपाल	5/15 से 1/16	08	56	7,95,675
योग			**13**	**69**	**9,65,675**

संक्षिप्तों की शब्दावली

नगर पालिक निगम, भोपाल एवं इन्दौर में जल प्रदाय प्रबन्धन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

स. क्र.	संक्षिप्त	पूर्ण शब्द (फुल फार्म)
1	एई	सहायक यंत्री
2	अमृत	अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन
3	बीएमसी	नगर पालिक निगम, भोपाल
4	बीआईएस	भारतीय मानक ब्यूरो
5	सीपीएचईईओ	जलप्रदाय एवं उपचार हेतु केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन की नियमावली
6	डीएमए	जिला माप क्षेत्र
7	डीपीआर्स	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
8	ईई	कार्यपालन यंत्री
9	ईएनसी	प्रमुख अभियंता
10	जीओआई	भारत सरकार
11	जीओएमपी	मध्य प्रदेश शासन
12	एचएचएस	रहवासियों
13	एचएलएससी	उच्च स्तरीय संचालन समिति
14	जेएनएनयूआरएम	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नगरीय रिन्यूवल मिशन
15	आईएमसी	नगर पालिक निगम, इन्दौर
16	एलपीसीडी	लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन
17	एमसी	नगर निगम
18	एमआईसी	मेयर–इन–काउन्सिल
19	एमआईएस	सूचना प्रबन्धकीय प्रणाली
20	एमएलडी	दस लाख लीटर प्रतिदिन
21	एमपी	मध्य प्रदेश
22	एमओएसपीआई	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
23	एमओयूडी	नगरीय विकास मंत्रालय
24	एनआरडब्ल्यू	गैर–राजस्व जल
25	एनयूटी	नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी इकाई
26	ओएचटी	उच्च स्तरीय टंकी
27	ओ एण्ड एम	संचालन एवं संधारण
28	पीएसी	पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड
29	पीडब्ल्यूडी	लोक निर्माण विभाग
30	एस्काडा	पर्यवेक्षी नियंत्रण एवं डेटा अधिग्रहण

स. क्र.	संक्षिप्त	पूर्ण शब्द (फुल फार्म)
31	एसडीजीस	संवहनीय विकास लक्ष्य
32	एसई	अधीक्षण यंत्री
33	एसजीआई	स्टूडियो गली इन्जेजनरिया
34	एसएलबी	सर्विस लेवल बैंचमार्क
35	एसएलएससी	राज्य स्तरीय संचालन समिति
36	एलएलटीसी	राज्य स्तरीय तकनीकी समिति
37	एसओपी	कार्यक्रम की अनुसूची
38	एसआर	सेवा जलाशय
39	यूएडीडी	नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय
40	यूएएचडी	नगरीय विकास एवं आवास विभाग
41	यूआईडीएसएसएमटी	छोटे एवं मझौले शहरों के लिये नगरीय अधोसंरचना विकास योजना
42	यूएलबी	नगरीय स्थानीय निकाय
43	यूएनडीजी	एकजुट राष्ट्र विकास समूह
44	यूएफडब्ल्यू	अ–लेखांकित जल
45	डब्ल्यूटीपी	जल शोधक संयंत्र

©
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in